

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, छत्तीसगढ़
भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

पर्यावरण भवन, सेक्टर-19, नवा रायपुर अटल नगर, जिला-रायपुर (छ.ग.)

E-mail : seaccg@gmail.com

विषय:- राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ की दिनांक 24/01/2022 को संपन्न 395वीं बैठक का कार्यवाही विवरण

—00—

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एस.ई.ए.सी.) छत्तीसगढ़ की 395वीं बैठक दिनांक 24/01/2022 को डॉ. बी.पी. नोहारे अध्यक्ष, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की आवश्यकता में संपन्न हुई। बैठक में समिति के निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया:-

1. डॉ. मनोज कुमार शोधकर, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
2. श्री किशन सिंह धूप, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
3. डॉ. शीलेश कुमार जाधव, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
4. श्री एन.के. चन्द्राकर, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
5. श्री कलदियुस तिकी, सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति

समिति द्वारा एजेंडा में समिलित विषयों पर निम्नानुसार विचार किया गया:-

एजेंडा आयटम क्रमांक-1: 392वीं, 393वीं एवं 394वीं बैठक क्रमशः दिनांक 10/01/2022, 11/01/2022 एवं 12/01/2022 के कार्यवाही विवरण का अनुसोदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ 392वीं, 393वीं एवं 394वीं बैठक क्रमशः दिनांक 10/01/2022, 11/01/2022 एवं 12/01/2022 को संपन्न हुई थी। समिति द्वारा सर्वसम्मति से उक्त बैठकों के कार्यवाही विवरण का अनुसोदन किया गया।

एजेन्डा आयटम क्रमांक-2: एस.ई.आई.ए.ए.. छत्तीसगढ़ से प्रेषित किये गये आवेदनों पर विचार कर निर्णय लिया जाना।

- मेसर्स द्वारिका प्रसाद गुप्ता (पैण्डीडीड ढोलोगाईट माईन), याम-पैण्डीडीड, तहसील-बिलहा, जिला-बिलासपुर (संविचालन का नस्ती क्रमांक 720)

आवेदन - पूर्व में प्रपोजल नम्बर - एसआईए/ सीजी/ एमआईए/ 63780/2018, दिनांक 09/06/2021 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया था। वर्तमान में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 23/07/2021 को पर्यावरणीय स्वीकृति में संशोधन हेतु आवेदन किया गया है।

पूर्व में ईस.आई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 06/06/2019 हारा प्रकरण 'बी' केटेगरी बज होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय हारा अप्रैल, 2015 में प्रबन्धित रहेण्डर्ड टम्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिवायरिंग इन्वायरनेंट कलीयरेस आण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैचडर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) भीन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु जारी किया गया। तत्पश्चात् परियोजना प्रस्तावक हारा फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट दिनांक 09/06/2021 को प्रस्तुत की गई है।

एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 28/06/2021 द्वारा आवेदक - मेसर्स
मारिका प्रसाद गुप्ता (पैण्डीडीह ढोलोमाईट माईन) की ग्राम-पैण्डीडीह,
तहसील-बिल्हा, जिला-बिल्हासपुर के खसरा क्रमांक 252, 253, 254/1, 254/2,
254/3, 254/4, 254/5, 254/6, 254/7, 254/8, 254/9, 254/10, 254/11
एवं 259 नं. स्थित ढोलोमाईट (शौण खनिज) खदान, कुल बोरफल-6.683 हेक्टेयर,
कमता - 50,000 टन प्रतिवर्ष हैं त पर्यावरणीय नियंत्रित जारी की गई थी।

एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 28/06/2021 को जारी पर्यावरणीय स्थीकृति में बुटिया खसरा लम्बांक 254/8 एवं जारी पर्यावरणीय स्थीकृति के पृ. लम्बांक 8 में याम-पोषडीहीं के स्थान पर याम-तरदूता में संशोधन आवंट गया है।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – सुपरीक्षा प्रबलण पर प्राधिकरण की दिनांक 02/09/2021 को संपन्न 114वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अद्वौधान किया गया। प्राधिकरण द्वारा नोट किया गया कि:-

- परियोजना प्रस्तावक द्वारा टी.ओ.आर. हेतु किये गये आवेदन के साथ प्रस्तुत फॉर्म-2 जारी टी.ओ.आर. पब्र एवं फाईनल इं.आई.ए. रिपोर्ट में खसरा क्रमांक 264/8 का उल्लेख किया गया है। जबकि परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु किये गये आवेदन के साथ प्रस्तुत फॉर्म-2, एलओ.आई. अनुमोदित बाईबिंग प्लान एवं तत्समय किये गये प्रस्तुतीकरण में खसरा क्रमांक 264/8 का उल्लेख नहीं किया गया है।
 - जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के पु. क्रमांक 8 में टकन चुटिवारा ग्राम-पंचायीडीह के स्थान पर ग्राम-नरदहा का उल्लेख हो गया है।

प्राधिकरण द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से उपरोक्त तथ्यों के आधार पर परीक्षण कर, उपर्युक्त अनुशासन किये जाने हेतु प्रकाशन एस.ई.ए.टी. छत्तीसगढ़ के सम्बन्ध प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया था।

बैठक का विवरण —

(अ) समिति की 395वीं बैठक दिनांक 24/01/2022:

समिति द्वारा नस्ती प्रस्तुत जामकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर पाया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा टी.ओ.आर. हेतु किये गये आवेदन के साथ प्रस्तुत फॉर्म—२ में त्रुटिया खासरा क्रमांक 254/८ का उल्लेख किया गया था। साथ ही यह भी पाया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु किये गये आवेदन के साथ प्रस्तुत फॉर्म—२ एवं ओआई अनुमोदित मार्फनिंग प्लान कार्यालय कालेज्टर द्वारा जारी प्रभाग पर्वी एवं तासमय वित्ती गवे प्रस्तुतीकारण में खासरा क्रमांक 254/८ का उल्लेख नहीं है। अतः उपरोक्त तथा की आधार पर समिति द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में सशोधन हेतु किये गये आवेदन को मान्य किया गया।

समिति द्वारा विचार किए उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

१. जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में "खासरा क्रमांक 252, 253, 254/१, 254/२, 254/३, 254/४, 254/५, 254/६, 254/७, 254/८, 254/९, 254/१०, 254/११ एवं 259"

के स्थान पर

"खासरा क्रमांक 252, 253, 254/१, 254/२, 254/३, 254/४, 254/५, 254/६, 254/७, 254/९, 254/१०, 254/११ एवं 259"

पढ़ा जाये।

२. जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के पु. क्रमांक ४ में सिपवीय त्रुटिया उल्लेखित "गाम—नरदहा" के रथान पर "गाम—पेण्ठीडीह" पढ़ा जाये।

समिति द्वारा सर्वसम्मति से उपरोक्त आशाय बाबत संशोधन जारी करने की अनुरोद्धा की गई।

राज्य सत्र पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.इ.आई.ए.ए.) छत्तीसगढ़ की तदानुसार सूचित किया जाए।

२. मेसर्स शुशीला मार्फनिंग प्राइवेट लिमिटेड, महाराष्ट्र को जारी विधिवत नोटिस के संबंध में।

प्राधिकरण की दिनांक 07/06/2021 को संघर्ष 110वीं बैठक की अनुसार एस.इ.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 12/09/2016 द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति को निरस्त किये जाने हेतु विधिवत नोटिस जारी किये जाने वाले निर्णय लिया गया था।

एस.इ.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 952/एस.इ.आई.ए.ए.छ.ग./2021 नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 28/06/2021 के माध्यम से परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में एस.इ.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 923/एस.इ.आई.ए.ए.छ.ग./2018 नया रायपुर दिनांक 12/09/2016 को जारी पर्यावरणीय स्वीकृति को निरस्त करने वाला कारण बताऊ नोटिस जारी किया गया था। जिसमें परियोजना



प्रस्तावक को अपना पहला नोटिस प्राप्ति दिनांक से 15 दिवस के भीतर लिखित रूप में एसईआईएए छत्तीसगढ़ को उत्तर प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया था।

उक्त नोटिस के परिपेक्ष में परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 16/08/2021 (प्राप्ति दिनांक 16/08/2021) द्वारा उत्तर / पहले लिखित में प्रस्तुत किया गया है।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 22/09/2021 को सम्पन्न 115वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती नोटिस एवं परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत लिखित उत्तर / पत्र का अबलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा सत्तामय सर्वसम्मति से नोटिस के परिपेक्ष में परियोजना प्रस्तावक से प्राप्त लिखित उत्तर / पत्र का तत्कालीन के आधार पर परीक्षण कर नियमानुसार अवगामी कार्रवाही बाबत उपयुक्त अभ्याससा किये जाने हेतु प्रकरण एसईआईसी, छत्तीसगढ़ के समक्ष प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया था।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 395वीं बैठक दिनांक 24/01/2022:

समिति द्वारा मस्ती प्रस्तुत जानकारी का अबलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न निष्पत्ति पाइ गई:-

1. समिति द्वारा उक्त नोटिस (एसईआईएए छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 923 / एसईआईएए-ए-८८ / 2018 नया रायपुर दिनांक 12/08/2016 को जारी पर्यावरणीय स्वीकृति को निरस्त करने वायत कारण बताओ नोटिस) की परिपेक्ष में परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 16/08/2021 द्वारा प्रस्तुत लिखित उत्तर / पत्र का अबलोकन किया गया जिसमें परियोजना प्रस्तावक का कथन है कि आवेदित खदान से गोमढी अभ्यारण्य की लीमा 01 किमी से अधिक है एवं इसके आधार पर जारी पर्यावरणीय स्वीकृति को निरस्त किये जाने हेतु कोई भी कानून नहीं है। इस परिपेक्ष में समिति द्वारा निम्न प्रावधानों का अबलोकन किया गया।

• भारत सरकार, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के आकिस मेमोरांडम दिनांक 02/12/2006 में कॉरिस्ट लेण्ड लथा बाइल्ड लाईफ हैपिटेट में शामिल होकर की प्रस्तावों को पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने की प्रक्रिया निर्धारित की गई थी। जिसके अनुसार कॉरिस्ट लेण्ड एवं पाइल्ड लाईफ हैपिटेट शामिल प्रस्तावों तथा / और राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य हेतु से 10 किमी की परिधि में स्थित होने की दशा में सशर्त पर्यावरणीय स्वीकृति दिये जाने का निम्न प्रावधान किया गया था—

" while granting environment clearance to projects involving forestland, wildlife habitat (core zone of elephant/tiger reserve etc.) and or located within 10 km of the National Park Wildlife Sanctuary (at present the distance of 10 km has been taken in conformity with the order dated 04/12/2006 in writ petition no 460 of 2004 in the matter of Goa foundation Vs Union of India), a specific condition shall be stipulated that the environment clearance is subject to their obtaining prior clearance from forestry and wildlife angle including clearance from the Standing Committee or the National Board for wildlife as applicable "

- भारत सरकार, पर्यावरण, बन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के आफिस मेमोरेंडम दिनांक 08/08/2019 द्वारा पूर्व में जारी उक्त निर्देश को अधिकृति करते हुये 10 कि.मी. की परिधि में राष्ट्रीय स्थान / वन्यजीव अभ्यारण्य क्षेत्र स्थित होने पर डेफलपमेंटल प्रोजेक्ट्स को पर्यावरणीय स्थीकृति जारी किये जाने की प्रक्रिया निर्धारित की गई है। जिसमें डेफलपमेंटल प्रोजेक्ट्स के अतिरिक्त उत्खनन परियोजनाओं हेतु भी निर्देश जारी किये गये हैं। जिसके अनुसार परिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले उत्खनन परियोजनाओं या राष्ट्रीय स्थान और अभ्यारण्य के सीमा से 01 कि.मी. के भीतर (जो भी अधिक हो) उत्खनन परियोजनाओं को पर्यावरणीय स्थीकृति जारी किया जाना प्रतिवधित किया गया है।
- 2. गठित जांच समिति के प्रतिवेदन एवं समिति के परीक्षण के आधार पर खदान की सीमा एवं गोमढी अभ्यारण्य की सीमा की दूरी 01 कि.मी. से लग होने के कारण पर्यावरणीय स्थीकृति जारी नहीं किया जा सकता है। अतः जारी पर्यावरणीय स्थीकृति को निरस्त किया जाना आवश्यक है।
- 3. एस.इ.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 28/08/2021 द्वारा याम—बिरकोल, तहसील—सराईपाली, जिला—महासमुद में अन्य 2 खदानों यथा श्री राजेश शर्मा तथा श्री अशोक कुमार पटेल की खदानों की सीमा एवं गोमढी अभ्यारण्य की सीमा की दूरी बाबत जानकारी हेतु प्रधान मुख्य बन संस्कार (वन्य प्राणी), छत्तीसगढ़ को पत्र प्रेषित किया गया, जिसके परिवेष्य में जानकारी आज दिनांक तक अप्राप्त है। अतः समिति का भत है कि एस.इ.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 29/08/2019 द्वारा खदान की सत्त्वत्वन क्षमता विस्तार (60,006 टन से 5,56,500 टन) के लिए जारी स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) को निरस्त किये गये आवेदन में कार्यालय कलेक्टर (वन्यजीव शाखा), जिला—महासमुद के ज्ञापन छापांक 1883/क./ख.लि./न.क्र./2017 महासमुद, दिनांक 09/11/2017 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 2 खदानों यथा श्री राजेश शर्मा तथा श्री अशोक कुमार पटेल, क्षेत्रफल 23.86 हेक्टेयर होना बताया गया है। उपरोक्त प्रावधानों को आधार पर याम—बिरकोल, तहसील—सराईपाली, जिला—महासमुद में अन्य 2 खदानों यथा श्री राजेश शर्मा तथा श्री अशोक कुमार पटेल द्वारा जारी पर्यावरणीय स्थीकृति को निरस्त किये जाने हेतु विविधत् नॉटिस जारी किया जाना आवश्यक है।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर समिति द्वारा विभार विभार विभार संपरति सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. मेसर्स सुशीला माईनिंग प्राइवेट लिमिटेड, महासमुद को एस.इ.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 12/09/2016 द्वारा जारी पर्यावरणीय स्थीकृति को निरस्त किये जाने की अनुशंसा की गई।
2. याम—बिरकोल, तहसील—सराईपाली, जिला—महासमुद में अन्य 2 खदानों यथा श्री राजेश शर्मा तथा श्री अशोक कुमार पटेल को जारी पर्यावरणीय स्थीकृति को निरस्त किये जाने हेतु विविधत् नॉटिस जारी किये जाने की अनुशंसा की गई।

शाज्य सतर पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राचीकरण (एस.इ.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ की तदानुसार सूचित किया जाए।



3. मेसर्स पथराकुप्पी लाईम स्टोन माईन (प्रो.- श्री अवधेश जैन), ग्राम-पथराकुप्पी, तहसील-तिल्डा, ज़िला-रायपुर (संधिवालय का नम्रता क्रमांक 580)

ऑनलाइन आवेदन — पूर्व में प्रयोजल नम्बर — एसआईए/सीजी / एमआईएन/63990/2017, दिनांक 15/04/2017 द्वारा दी.ओ.आर हेतु आवेदन किया गया था। उत्तमान में प्रयोजल नम्बर — एसआईए/सीजी / एमआईएन/63696/2018, दिनांक 06/06/2021 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के लिए फाईल हुआई. रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया।

प्रस्ताव का विवरण — यह पूर्व से संबंधित खुना पत्थर (मुख्य खनिया) खदान है। खदान ग्राम-पथराकुप्पी, तहसील-तिल्डा, ज़िला-रायपुर स्थित खसरा ग्रामांक 314/2 एवं 315/2 कुल हेक्टेक्ट-7.044 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्थानन छानता—94,500 टन प्रतिवर्ष है।

एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 06/12/2018 द्वारा प्रकरण थी—1 केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, बन और जलवायु परिवर्तन भवालय द्वारा अप्रैल, 2016 में प्रकाशित स्टैफ़लैट टम्स ऑफ़ रिफरेंस (टीओआर) कोर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट कोर प्रोजेक्ट्स/एकटीपिटीज रिव्हियरिंग इन्वायरमेंट बलीयरेस अप्टर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में चार्जित बोनी 1(ए) का रटैफ़ल टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन वोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु टीओआर जारी किया गया।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन एवं ई.—मेल दिनांक 11/06/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण —

(अ) समिति की 378वीं बैठक दिनांक 18/06/2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि विडियो कान्फ्रैंसिंग के माध्यम से उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के ई.—मेल पत्र दिनांक 18/06/2021 द्वारा सूचना दी गयी है कि अपरिहार्य कारणों से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः आगामी आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है। समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक के अनुरोध को मान्य किया गया।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में प्रेषित पत्र दिनांक 11/06/2021 के परिपेक्ष्य की वाहित जानकारी एवं समरत सुझाव जानकारी / दरतावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन एवं ई.—मेल दिनांक 20/07/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 380वीं बैठक दिनांक 23/07/2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री अवधेश जैन, प्रोपराईटर सलाहकार के रूप में मेसर्स ऑफरशीस माईन-टेक कान्सलटेन्ट्स की ओर से डॉ. अजली हरीनाथ चाचने विडियो कान्फ्रैंसिंग के माध्यम से उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न रिपोर्ट पाइ गई—

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण—

- i. पूर्व में दूना पत्थर खदान खासरा क्रमांक 314/2 एवं 315/2, कुल क्षेत्रफल— 7,044 हेक्टेयर, कागड़ा—5,000 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति राज्य स्तर पर्यावरण समाधात निर्धारण प्राधिकरण छल्लीसगढ़ द्वारा दिनांक 27/10/2009 को जारी की गई। यह स्वीकृति 5 वर्ष (For Commissioning of mine operation) तक की अवधि हेतु जारी की गई है।
- ii. होत्रीय कार्यालय, भारत सरकार पर्यावरण बन और जलवाया परियोजन मंत्रालय, रायपुर के इकापन दिनांक 05/03/2018 द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में भी गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है।
- iii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा विभिन्न घटों में किये गये उत्थनन का विवरण निम्नानुसार है—

| वर्ष | उत्थन (टन) |
|---------|------------|
| 2008–09 | 2,223.75 |
| 2009–10 | 2,223.75 |
| 2010–11 | 3,890.62 |
| 2011–12 | 3,890.62 |
| 2012–13 | 5,555.62 |
| 2013–14 | |
| 2014–15 | निरक्ष |
| 2015–16 | |
| 2016–17 | 37,800 |
| 2017–18 | 37,800 |

2. ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र — उत्थनन के संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना संभव नहीं है। उक्त के परिपेक्ष्य ने परियोजना प्रस्तावक द्वारा कार्यालय कलेक्टर (खनिज) जिला—रायपुर के पत्र क्रमांक 3010/तीन-6/ख.प. 11/07 रायपुर दिनांक 03/11/2011 एवं पत्र क्रमांक 1398/तीन-6/ख.प. 11/07 रायपुर दिनांक 20/09/2012 प्रस्तुत किया गया है। जिसके अनुसार ग्राम पंचायत के मधेशी की संख्या के अनुसूच आवश्यक चराई रकम 40 हेक्टेयर भूमि सुरक्षित होना बताया गया है। ग्राम में शासकीय बन से भी चराई का निरस्तार मिलता है तथा इस प्रकार ग्राम में चराई रकम 115.984 हेक्टेयर है। तभिति के संझान में यह तथ्य आया कि पूर्व में खनिज विभाग द्वारा ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये जिना लौज आवृत्ति की गई है तथा राज्य स्तर पर्यावरण समाधात निर्धारण प्राधिकरण, छल्लीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति भी जारी की गई है।
3. उत्थनन योजना — रीक्षयु औफ माईनिंग प्लान एण्ड प्रोग्रेसिव माइन लॉजर प्लान (Review of Mining Plan and Progressive Mine Closure Plan) प्रस्तुत किया गया है, जो होत्रीय खान नियंत्रक, भारतीय खान खूरो, रायपुर के पत्र क्रमांक रायपुर/चूप/खयो/1143/2017—रायपुर/177, दिनांक 27/04/2018 द्वारा अनुमोदित है।
4. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान — कार्यालय कलेक्टर (खनिज खाना), जिला—रायपुर के इकापन क्रमांक/क/खनिज/2018/क्यू रायपुर.



दिनांक 01/10/2018 के अनुसार आवेदित खदान से 300 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निम्नक है।

5. लीज का विवरण – लीज की अवधेश पौन के नाम पर है। लीज बीड़ 20 वर्षीय अर्थात् दिनांक 02/05/2008 से 01/05/2028 तक की अवधि हेतु पैध है।
6. मू–स्वामित्व – मू–स्वामित्व संकेती जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये हैं।
7. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
8. बन विमान का अनापत्ति प्रमाण पत्र – कार्यालय बन गंडलाधिकारी, रायपुर शामान्य बनमडल, जिला-रायपुर के इकायन छापन क्रमांक/मालि./रा./635 रायपुर, दिनांक 27/06/2006 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र की सीमा बन क्षेत्र से 1 कि.मी. की दूरी पर है।
9. महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी – निकटतम आवादी गाम-पश्चराकुपड़ी 0.45 कि.मी. एवं अस्पताल खरोरा 5 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 3.77 कि.मी. एवं राजमार्ग 11.47 कि.मी. दूर है। छोटा नाला 0.2 कि.मी. एवं कलडबरी सरक्षित बन 1 कि.मी. दूर है।
10. पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राष्ट्रीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्यूटेंड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।
11. खनन संपदा एवं खनन का विवरण – जियोलॉजिकल रिजर्व 49,16,420 टन एवं माइनेबल रिजर्व 14,72,783 टन है। लीज की 7.5 मीटर ऊँची सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिक्रियत क्षेत्र) का कुल क्षेत्रफल 10.095 वर्गमीटर है। औपन कास्ट सेमी मेकेनाईज़िल विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 30 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 0.25 मीटर है तथा कुल मात्रा 9,000 घनमीटर है। इस मिट्टी को सीमा पट्टी (7.5 मीटर) में फैलाकर बृक्षारोपण को लिए उपयोग किया जाएगा। बेच की ऊंचाई 5 मीटर एवं बौद्धाई 10 मीटर है। खदान की समावित आयु 15 वर्ष है। लीज क्षेत्र में ब्रह्मर तथापित नहीं है एवं इसकी तथापना का प्रस्ताव नहीं किया गया है। स्लासिंग नहीं किया जाता है। खदान में बायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिह्नकार विक्षय किया जाता है। वर्षावार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है-

| वर्ष | प्रस्तावित उत्खनन ROM (टन) |
|---------|----------------------------|
| 2018–19 | 94,500 |
| 2019–20 | 94,500 |
| 2020–21 | 94,500 |
| 2021–22 | 94,500 |
| 2022–23 | 94,500 |

12. जल आपूर्ति – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 7.5 घनमीटर प्रतिदिन होगी। खदान में विभिन्न क्रियाकलापों (जल छिह्नकार, बृक्षारोपण) हेतु जल की आपूर्ति आसपास स्थित निश्चिय खदानों में एकत्रित जल एवं पेयजल की आपूर्ति

ट्यूब वेल के माध्यम से की जाती है। इस बाबत अनापरित प्रभाषण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

13. प्रस्तुतीकारण के दौरान परियोजना प्रस्तावक हारा बताया गया कि वेयरल की आपूर्ति ट्यूब वेल के माध्यम से की जाएगी। इस संबंध में उनके हारा यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि प्रस्तावित ट्यूब वेल सार्वजनिक है अथवा निची?
- यदि स्थित ट्यूब वेल लौज क्षेत्र के भीतर अथवा अन्य स्थल पर व्यक्तिगत हो तो भू-जल की उपयोगिता हेतु सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अर्थारिटी से अनुमति प्राप्त किया जाना आवश्यक है।
 - यदि ट्यूब वेल सार्वजनिक हो तो जल आपूर्ति हेतु ग्राम पंचायत का अनापरित प्रभाषण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
14. बृक्षारोपण कार्य – लौज क्षेत्र की सीमा पट्टी में बारी और 7.5 नीटर की पट्टी में 5,048 नग बृक्षारोपण किया जाएगा।
15. खदान की 7.5 नीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन – लौज क्षेत्र की बारी और 7.5 नीटर की सीमा पट्टी ने उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।
16. ई.आई.ए. रिपोर्ट का विश्लेषण:-
- जल एवं बायु आदि गुणवत्ता संबंधी जानकारी – मॉनिटरिंग कार्य मार्च, 2019 से मई, 2019 के मध्य किया गया है। 10 किलोमीटर के अंतर्गत 6 स्थानों पर परियोगीय बायु गुणवत्ता मापन, 6 स्थानों पर भू-जल गुणवत्ता मापन, 6 स्थानों पर घनि स्तर मापन, 1 स्थलों पर सतही जल गुणवत्ता तथा 6 स्थानों पर मिट्टी के नमूने एकत्रित कर विश्लेषण किया गया है।
 - मॉनिटरिंग परिणामों के अनुसार पी.एम.₂₃ 21.36 से 32.16 माईक्रोग्राम/घनमीटर, पी.एम.₃₀ 60.26 से 66.72 माईक्रोग्राम/घनमीटर, एसओ₁, 8.14 से 11.82 माईक्रोग्राम/घनमीटर तथा एनओ₁, 8.56 से 15.62 माईक्रोग्राम/घनमीटर पाई गई है। जो उक्त क्षेत्र के निर्धारित मानक के अनुरूप है।
 - परियोजना स्थल के आसपास जल बजीती की गुणवत्ता भारतीय मानक के अनुसार है।
 - परियोगीय घनि स्तर (Day time) 46.8 डीबीए से 64.2 डीबीए एवं घनि स्तर (Night time) 40.8 डीबीए से 59.8 डीबीए पाया गया। जो उक्त क्षेत्र के निर्धारित मानक के अनुरूप है।
17. लौक सुनवाई दिनांक 18/11/2020 दोपहर 12:00 बजे स्थान – पंचायत नगर, ग्राम पंचायत भलवाडीह कला, तहसील-तिल्दा, जिला-रायपुर में संपन्न हुई। लौक सुनवाई वस्तावेज सदस्य सचिव, उत्तीरण व पर्यावरण संस्कार मंडल, ग्रा. रायपुर अटल नगर, जिला-रायपुर के पत्र दिनांक 08/01/2021 हारा प्रेषित किया गया है।
18. जनसुनवाई के दौरान मुख्य रूप से निम्न सुझाव/विचार प्रस्तुत किये गये हैं:-
- पर्यावरण की सुरक्षा हेतु व्यवस्था एवं संकेत निर्भाण किया जाए।
 - गजदूरों की स्वास्थ्य की उमीद की व्यवस्था की जाए।
 - खदान के ऊपर उत्तर्जन से फसलों को नुकसान होगा।

- iv. प्राथमिकता की आधार पर संबंधित चामों को लोगों को ही रोजगार (उचित मजदूरी दर पर) दिया जाना चाहिए।
- लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये विभिन्न मुद्दों के निराकरण की दिशा में परियोजना प्रस्तावक की ओर से उपस्थित प्रतिनिधि / कंसलटेंट का कथन निम्नानुसार है:-
- खदान के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में बृक्षारोपण का कार्य किया जाएगा। कंट्रोल ब्लास्टिंग एवं जल छिड़काव की व्यवस्था की जाएगी।
 - मजदूरों के समय-समय पर ज्वारस्थ अंडेशी विकिसीय परीक्षण किया जाएगा।
 - खदान में डस्ट उत्सर्जन नियंत्रण हेतु जल छिड़काव की व्यवस्था किया जाएगा।
 - शिक्षित बेरोजगारों को योग्यता के आधार पर स्थानीय लोगों को आवश्यकतानुसार रोजगार (शासन द्वारा निर्धारित दर पर मजदूरी प्रदान की जाएगी) हेतु प्राथमिकता दी जायेगी।
19. इन्हायरोमेंटल मैनेजमेंट प्लान— परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि कलमटर में कोई खदान नहीं आती है। पर्यावरणीय स्थीकृति हेतु आवेदित खदान द्वारा इन्हायरोमेंटल मैनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है। इन्हायरोमेंटल मैनेजमेंट प्लान के तहत निम्न कार्य प्रस्तापित हैं—
- प्रदूषण नियंत्रण हेतु परिवहन को दौरान सड़कों/एग्रोव रोड से उत्पन्न घूल उत्सर्जन के नियंत्रण के लिए जल छिड़काव हेतु अनुमानित राशि 1,20,000/- प्रतिवर्ष व्यय किया जाएगा।
 - गाड़ के पहुंच मार्ग के दोनों तरफ में (5,048 नग) बृक्षारोपण एवं बृक्षारोपण के रख-रखाव हेतु अनुमानित राशि 7,57,000/- प्रधान वर्ष में तथा आगामी चार वर्षों में अनुमानित राशि 5,07,000/- प्रतिवर्ष व्यय किया जाएगा।
 - परिवेशीय वायु, जल, मिट्टी एवं ज्वरि गुणवत्ता के अधिकान हेतु आर्द्धावधि मौनिटरिंग कार्य (Half yearly Environment Monitoring) किया जाएगा। इन्हायरोमेंट मौनिटरिंग हेतु अनुमानित राशि 1,20,000/- प्रतिवर्ष व्यय की जाएगी।
 - सड़कों के संधारण (Road Maintenance) हेतु अनुमानित राशि 97,000/- प्रतिवर्ष व्यय की जाएगी।
 - परियोजना प्रस्तावक द्वारा कीमत इन्हायरोमेंटल मैनेजमेंट प्लान के तहत उक्त कार्यों क्रियान्वयन हेतु समिति द्वारा सहभाति व्यक्त की गई।
20. कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) — परियोजना प्रस्तावक द्वारा चीईआर (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के सम्म विस्तार से चर्चा उपरात निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

| Capital Investment (in Lakh Rupees) | Percentage of Capital Investment to be Spent | Amount for CER Activities (in Lakh Rupees) | Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees) | |
|--|--|---|--|---|
| | | | Particulars | CER Fund Allocation (in Lakh Rupees) |
| 88.11 | 2% | 1.76 | Following activities at Government Primary and Middle | |

| | | Schools, Village-Pathrakundi |
|--|--|------------------------------|
| Rain Water Harvesting System in Government Primary School Village- Pathrakundi | | 0.855 |
| Rain Water Harvesting System in Government Middle School Village- Pathrakundi | | 0.915 |
| Total | | 1.770 |

समिति द्वारा उत्तराखण्ड सर्वसाम्मिलि से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था—

1. मू—स्थानिक संबंधी जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किये जाए।
2. उपरोक्त विवरण को स्पष्ट करते हुये पेयजल आपूर्ति हेतु अनापत्ति प्रभाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।
3. विगत वर्षों में किए गए उत्तराखण्ड की वास्तविक मात्रा (छिल्कीय वर्ष) की जानकारी खनिज विभाग से प्रभागित करा कर प्रस्तुत की जाए।
4. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) द्वारा उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में सदिर, भरघट, अस्पताल, स्कूल, आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित होने अथवा न होने बाबत जानकारी प्रस्तुत की जाए।
5. उपरोक्त जानकारी पूर्ण जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

उदानुसार एस.ई.ए.सी., छिल्कीशगढ़ के ज्ञापन दिनांक 19/08/2021 के परिणेत्र में परिचोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 13/09/2021 एवं 14/09/2021 को प्रस्तुत किया गया है।

(स) समिति की 389वीं बैठक दिनांक 13/09/2021:

समिति द्वारा नहीं प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई—

1. आवेदित भूमि शासकीय भूमि है।
2. परिचोजना प्रस्तावक द्वारा पेयजल की आपूर्ति लीज क्षेत्र के भीतर स्थित ट्यूब वेल के माध्यम से की जाएगी। मू—जल की उपयोगिता हेतु रोन्टेल गारुण्ड बीटर अवॉरिटी की अनुमति पत्र की प्रति प्रस्तुत की गई है।
3. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला—रायपुर के ज्ञापन क्रमांक 744/ख.लि./तीन—६/2021 रायपुर, दिनांक 08/09/2021 द्वारा विगत वर्ष 2017 से जून, 2021 तक उत्तराखण्ड कार्य निरंक है।
4. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला—रायपुर के ज्ञापन क्रमांक 744/ख.लि./तीन—६/2021 रायपुर, दिनांक 08/09/2021 द्वारा जारी प्रभाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र नहीं



मंडिर, भरपट, अस्पताल, बकल, पुल, एनीकट, राष्ट्रीय राजमार्ग, राजमार्ग एवं
जल आपूर्ति आदि प्रतिबन्धित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

सनिकि द्वारा उत्तमय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), ज़िला-रायपुर के ज़ापन
झांक/क/खनिज/2018/बयू रायपुर दिनांक 01/10/2018 के अनुसार¹
आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक
है। आवेदित खदान (ग्राम-पथराकुण्डी) का रक्कड़ 7.044 हेक्टेयर है। खदान की
सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5
हेक्टेयर या उससे अधिक होने के कारण यह खदान बी-1 श्रेणी की मानी गयी।
2. पूर्व में खनिज विभाग द्वारा ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये
जिन लीज आवेदित की गई थी तथा राज्य स्तर पर्यावरण समाधान नियंत्रण
प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति भी जारी की गई थी। तथा ही
शीघ्र औफ माईनिंग प्लान एण्ड प्रोग्रेसिव माइन क्लोजर प्लान (Review of
Mining Plan and Progressive Mine Closure Plan) क्षेत्रीय खान नियंत्रक,
भारतीय खान ब्यूरो, रायपुर के पत्र ज़ापन
रायपुर/बूप/खयौ/1143/2017-रायपुर/177, दिनांक 27/04/2018 द्वारा
अनुमोदित है। यर्तमान में लीज क्षेत्र में कोई वृद्धि नहीं होते हुए गांवका केवल
उत्थनन क्षमता में वृद्धि हो रही है। इ.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 (यथा
संशोधित) में निम्न प्रावधान है:-

"Clearances from other regulatory bodies or authorities shall not be required prior to receipt of applications for prior environmental clearance of projects or activities, or screening, or scoping, or appraisal, or decision by the regulatory authority concerned, unless any of these is sequentially dependent on such clearance either due to a requirement of law, or for necessary technical reasons.

3. उपरोक्त तथ्यों पर सनिकि द्वारा सम्यक रूप से विचार विमर्श संपर्कत सर्वसम्मति
की आवेदक - मेहरां पथराकुण्डी लाईम स्टोन माईन (प्रो.- श्री अव्योदय जैन) की
ग्राम-पथराकुण्डी, टाइरील-ठिल्डा, ज़िला-रायपुर स्थित खसारा झांक 314/2
एवं 315/2 में स्थित चूमा पत्थर (मुख्य खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल-7.044
हेक्टेयर, क्षमता - 94,500 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की
अनुशंसा की गई।
4. खनिज विभाग द्वारा ग्राम में लीज दिये जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत के
अनापत्ति प्रमाण पत्र के संबंध में खनिज विभाग द्वारा उपयुक्त कार्यवाही एवं
निर्णय लेने के उपरांत भू-प्रवेश की अनुमति प्रदान की जाए।
5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान के चारों तरफ फैसिंग का कार्य किये जाने के
उपरांत ही उत्थनन कार्य प्रारंभ किया जाए।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार - उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक
28/09/2021 को संपन्न 116वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती
का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से ग्राम
पंचायत के अनापत्ति प्रमाण पत्र की आवश्यकता के संबंध में पेसा एक्ट (PESA Act)
के तहत परीक्षण कर उपयुक्त अनुशंसा किये जाने हेतु प्रकरण एस.ई.ए.सी.,
छत्तीसगढ़ के सम्म प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया।

(d) समिति की 395वीं बैठक दिनांक 24/01/2022:



समिति द्वारा नरसी, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई—

- प्रस्तुत रीहयु औफ माईनिंग प्लान एण्ड प्रेसेप्रिंट माईन क्लौजर प्लान अनुसार शाम—पथराकुण्डी से प्रस्तावित खदान स्थल की दूरी 1 किमी। एवं परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के टीरान प्रस्तुत जानकारी (Presentation copy) में खदान खदान स्थल की दूरी 0.46 किमी बताई गई है। अतः उपर स्पष्टीकरण करते हुये शाम—पथराकुण्डी से प्रस्तावित खदान स्थल की वास्तविक दूरी संबंधी जानकारी खनि अधिकारी से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
- शाम पंचायत के अनापत्ति प्रभाण पत्र की आवश्यकता के संबंध में ऐसा एकट (PESA Act) का अवलोकन किया गया।
- पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के लिए शाम पंचायत द्वारा जारी अनापत्ति प्रभाण पत्र की आवश्यकता है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से गिम्नानुसार निर्णय लिया गया—

- शाम—पथराकुण्डी से प्रस्तावित खदान स्थल की वास्तविक दूरी संबंधी जानकारी खनि अधिकारी से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत किया जाए।
- परियोजना प्रस्तावक यह शाम पंचायत का अनापत्ति प्रभाण पत्र प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।
- उपरोक्त पाइल जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सुचित किया जाए।

एजेन्डा आयटम क्रमांक-3:

गौण/मुख्य खनिजों एवं औद्योगिक परियोजनाओं संबंधी प्रकरणों के प्रस्तुतीकरण उपरांत पर्यावरणीय स्वीकृति / टीओआर/अन्य आवश्यक निर्णय लिया जाना।

- मेसर्स मोहनपुर आर्डिनरी स्टोन कारी (प्रो.— श्री रामपदेश वर्मा), शाम—मोहनपुर, तहसील—डोगरगढ़, जिला—राजनांदगांव (संधिवालय का नरसी क्रमांक 1124)

ऑनलाईन आवेदन — प्रपोजल नम्बर — एसआईए /सीजी /एमआईए / 131694 / 2019, दिनांक 11/01/2020। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियों होने से ड्राफ्ट दिनांक 30/01/2021 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा पाइल जानकारी दिनांक 25/06/2021 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण — यह पूर्व से संचालित साधारण पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान शाम—मोहनपुर, तहसील—डोगरगढ़, जिला—राजनांदगांव स्थित पाटे औफ खसरा क्रमांक 616, कुल डोक्रफल—1.36 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्त्वनन क्षमता—10,000 टन प्रतिवर्ष है।



तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन एवं ई-मेल दिनांक 26 / 07 / 2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 382वीं बैठक दिनांक 30 / 07 / 2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि विडियो कान्फ्रैंसिंग के माध्यम से उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के ई-मेल दिनांक 30 / 07 / 2021 द्वारा सूचना दी गयी है कि वाचित जानकारी अपूर्ण होने के कारण से समिति के समझ बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः आगामी आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है। समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक के अनुरोध को मान्य किया गया।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में घासी गई वाचित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित आगामी माह के आयोजित बैठक में प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन एवं ई-मेल दिनांक 27 / 08 / 2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 385वीं बैठक दिनांक 31 / 08 / 2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि विडियो कान्फ्रैंसिंग के माध्यम से उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 30 / 08 / 2021 द्वारा सूचना दी गयी है कि वाचित जानकारी अपूर्ण होने के कारण से समिति के समझ बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः आगामी आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में घासी गई वाचित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 18 / 01 / 2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(स) समिति की 395वीं बैठक दिनांक 24 / 01 / 2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु भी रामप्रदेश यमी, प्रोपराइटर उपलिख्त हुए। समिति द्वारा नस्ती प्रस्तुत जानकारी का अदलौकन एवं परीक्षण करने पर निम्न सिद्धांत पाइ गई:-

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:-

- i. पूर्व में साधारण पत्थर खदान पाटी औफ खदान क्रमांक 616, कुल हीक्कल-1.38 हेक्टेयर, शामता-10,000 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण समाधान निर्धारण प्राधिकरण, जिला-राजनांदगांव द्वारा दिनांक 29 / 01 / 2018 जो जारी की गई। यह स्वीकृति दिनांक 31 / 03 / 2020 तक की अवधि हेतु जारी की गई है।
- ii. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के तात्त्विक पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है।
- iii. निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण नहीं किया गया है।

- iv. कार्यालय कलेक्टर (खानिज शाखा), जिला-राजनांदगांव के झापन क्रमांक 1144 / ख.लि.02 / 2021 राजनांदगांव, दिनांक 13 / 06 / 2021 द्वारा दिमांक वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है:-

| वर्ष | उत्खानन (घनमीटर) |
|---------|------------------|
| 2011–12 | निर्णक |
| 2012–13 | |
| 2013–14 | 347 |
| 2014–15 | 163 |
| 2015–16 | 297 |
| 2016–17 | 60 |
| 2017–18 | 60 |
| 2018–19 | 110 |
| 2019–20 | 110 |
| 2020–21 | 100 |

- v. पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 31 / 03 / 2020 को समाप्त होने के चपराहत भी उत्खनन किया गया है। इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि भारत सरकार, पर्यावरण, बन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओएम. दिनांक 25 / 03 / 2020 को अनुसार जिन परियोजनाओं एवं कार्यकलापों को जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की दैवता दिनांक 15 / 03 / 2020 से 30 / 04 / 2020 के मध्य समाप्त हो रही है। उनकी पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 30 / 06 / 2020 तक वृद्धि की गई है। तथाप्राहत भारत सरकार, पर्यावरण, बन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 27 / 11 / 2020 अनुसार—

"9A. Notwithstanding anything contained in this notification, the validity of prior environmental clearances granted under the provisions of this notification in respect of the projects or activities whose validity is expiring in the Financial Year 2020-2021 shall deemed to be extended till the 31st March, 2021 or six months from the date of expiry of validity, whichever is later. Such extension is subject to same terms and conditions of the prior environmental clearance in the respective clearance letters, to ensure uninterrupted operations of such projects or activities which have been stalled due to the outbreak of Corona Virus (COVID-19) and subsequent lockdowns (total or partial) declared for its control".

उपरोक्त अधिसूचना के अनुसार उत्खनन कार्य किया गया है। जिसे समिति द्वारा गान्य किया गया।

2. शाम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र — उत्खनन के संबंध में शाम पंचायत मोहनपुर का दिनांक 05 / 11 / 2011 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. उत्खनन योजना — क्षारी प्लान (एलॉग थिथ इन्हायरोमैट मैनेजमेंट प्लान एप्ल क्षारी क्लौजर प्लान) प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (खनि, प्रशा.) जिला-रायपुर के झापन क्रमांक / क. / ख.लि. / तीम-८ / 2017 / 549 रायपुर दिनांक 17 / 08 / 2017 द्वारा अनुमोदित है।
4. 500 मीटर की परिधि में स्थित खादान — कार्यालय कलेक्टर (खानिज शाखा), जिला-राजनांदगांव के झापन क्रमांक / 489 / ख.लि.02 / 2021 राजनांदगांव,



दिनांक 23/06/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के नीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निम्नक है।

5. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएँ – कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला-राजनांदगांव के झापन क्रमांक/489/ख.लि 02/2021 राजनांदगांव, दिनांक 23/06/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मन्दिर, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनोकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं हैं।
6. भूमि एवं लीज का विवरण – यह शासकीय भूमि है। लीज की शम्पटेश बर्न के नाम पर है, जिसकी अवधि 10 वर्ष अर्थात् दिनांक 17/02/2012 से 16/02/2022 तक है। तत्पश्चात् लीज दीड़ ने 20 वर्षों की, दिनांक 17/02/2022 से 16/02/2042 तक की अवधि बढ़िया की गई है।
7. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
8. बन विभाग का अनापरित प्रमाण पत्र – कार्यालय उप बनमण्डलाधिकारी, ढौगरगढ़ उप बनमण्डल, ढौगरगढ़ सामान्य बनमण्डल ढैरागढ़, जिला-राजनांदगांव के झापन क्रमांक 2356, दिनांक 27/12/2011 से जारी अनापरित प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र निकटतम बन क्षेत्र की सीमा से 1 कि.मी. की दूरी पर है।
9. गहत्पूर्ण संरचनाओं की दूरी – निकटतम आबादी गाम-मोहनपुर 1.5 कि.मी. एवं स्कूल गाम-मोहनपुर 2 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 4 कि.मी. दूर है।
10. पारिस्थितिकीय /जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राजीय सीमा, राष्ट्रीय उदान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण कोई द्वारा घोषित किटिकली पौल्युटेंड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया गया है।
11. खनन संपदा एवं खनन का विवरण – परियोजनालिक रिजर्व 1,49,600 टन, माइनेबल रिजर्व 92,008 टन एवं रिकवरेबल रिजर्व 73,008 टन है। लीज की 7.5 मीटर छोड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 4,358 वर्गमीटर है। ओपन कार्स्ट सेमी गेल्हाईज़ड खिड़ि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 5.5 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की गहराई 0.5 मीटर है। इस मिट्टी को सीमा पट्टी (7.5 मीटर) में फैलाकर कुकारीपण के लिए उपयोग किया जाएगा। बैंच की ऊपराई 3 मीटर एवं छोड़ाई 3 मीटर है। खदान की संभावित आयु 8 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रांतर स्थापित नहीं है एवं छासकी स्थापना का प्रस्ताव नहीं किया गया है। औक हैमर से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाता है। खदान में बायू प्रदूषण ठेतु जल छिड़काव की व्यवस्था की गई है। वर्षावार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है—

| वर्ष | प्रस्तावित उत्खनन (टन) |
|---------|------------------------|
| प्रथम | 10,000 |
| द्वितीय | 10,000 |

| | |
|---------|--------|
| त्रितीय | 10,000 |
| चतुर्थ | 10,000 |
| पंचम | 10,000 |

- जल आपूर्ति – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 4 घनमीटर प्रतिदिन होती है। खदान में विभिन्न क्रियाकलापों (जल छिड़काय, बृक्षारोपण) हेतु जल की आपूर्ति आसपास स्थित गिरिज्या खदानों में एकक्रिया जल एवं पेयजल की आपूर्ति शाम पंचायत द्वारा टैकर के माल्यम से की जाएगी। इस बाबत शाम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पञ्च प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
 - बृक्षारोपण कार्य – लौज क्षेत्र की सीमा में जारी और 7.5 मीटर की पट्टी में 1,100 नग बृक्षारोपण किया जाएगा।
 - खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन – प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि लौज क्षेत्र के जारी और 7.5 मीटर की सीमा पट्टी का कुल क्षेत्रफल 4,358 वर्गमीटर क्षेत्र है, जिसमें से परिवहन दिशा में 180 वर्गमीटर क्षेत्र 2 मीटर ही गहराई तक उत्खनित है। प्रतिवर्षित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन किया जाना पर्यावरणीय स्थीकृति की शर्ती का उल्लंघन है। अतः परियोजना प्रस्तावक के विलक्षण नियमानुसार आवश्यक दण्डात्मक कार्यवाही किया जाना आवश्यक है। साथ ही पूर्व से उत्खनित क्षेत्र को पुनःभराय एवं रिजर्व की मण्डा कर सशांकित अनुमोदित मार्फतिंग प्लान प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
 - उल्लेखनीय है कि भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा नौन कोल भाईंनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु मानक पर्यावरणीय शर्तें जारी की गई हैं। शर्त क्रमांक ४॥(१) के अनुसार:-

"The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

उच्चत मानक शार्ट के अनुसार गाईन लीज हीज के अंदर 7.5 मीटर छोड़ सकती जौन में वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक है।

१६. कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) — परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीईआर (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार में चर्चा उपरोक्त निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है—

| Capital Investment (in Lakh Rupees) | Percentage of Capital Investment to be Spent | Amount for CER Activities (in Lakh Rupees) | Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees) | |
|--|--|---|--|---|
| | | | Particulars | CER Fund Allocation (in Lakh Rupees) |
| 30 | 2% | 0.60 | Following activities at Government Primary School, Village- Mohanpur | Rain Water 0.50 |

| | | Harvesting System | |
|--|--|------------------------------------|-------------|
| | | Running water facility for Toilets | 0.20 |
| | | Plantation with fencing | 0.10 |
| | | Total | 0.30 |

17. लौज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर में निर्धारित शर्तानुसार 800 नग वृक्षारोपण किया जाना था। परंतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा 500 नग वृक्षारोपण किया गया है। समिति का मत है कि शेष वृक्षारोपण कार्य पूर्ण कर वृक्षारोपण की जानकारी फोटोग्राफस एवं विडियोशाफ्टी तथा रख—रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकावार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
18. सीईआर का विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया है। सीईआर का विस्तृत प्रस्ताव एवं प्रस्तावित रक्कूल के प्राचार्य (Principal) का सहमति पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
19. सीईआर के तहत वृक्षारोपण हेतु पीघों का रोपण, सुख्खा हेतु फॉर्सिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख—रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकावार व्यय का विवरण सहित विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा विवार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:—

1. पैदजल की आपूर्ति हेतु ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।
2. उपरोक्त विवरण अनुसार संशोधित अनुमोदित माइनिंग प्लान प्रस्तुत किया जाए।
3. लौज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर में शेष वृक्षारोपण कार्य पूर्ण कर वृक्षारोपण की जानकारी फोटोग्राफस एवं विडियोशाफ्टी तथा रख—रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकावार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया जाए।
4. प्रतिबंधित 7.5 मीटर भीड़ी सीमा पट्टी ने अपैप उत्खनन किया जाना पाये जाने पर परियोजना प्रस्तावक के विकल्प नियमानुसार आवश्यक दण्डाल्यक कार्यवाही किये जाने हेतु संभालक, भौमिकी तथा खनिकर्म, इन्द्रावती भवन, नदा रायपुर अटल नगर को आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु पत्र प्रेषित किया जाए।
5. सीईआर का विस्तृत प्रस्ताव एवं प्रस्तावित रक्कूल के प्राचार्य (Principal) का सहमति पत्र प्रस्तुत किया जाए।
6. सीईआर के तहत वृक्षारोपण हेतु पीघों का रोपण, सुख्खा हेतु फॉर्सिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख—रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकावार व्यय का विवरण सहित विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
7. उपरोक्त वाचित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

2. मेराही मुरा "ब" सोण्ड माईन (प्र).— श्री दीपक कुमार अयवाल), शाम—मुरा, तहसील—खरसिया, ज़िला—रायगढ़ (सचिवालय का नमस्ती क्रमांक 1739)
ऑनलाइन आवेदन — प्रधानमंत्री नम्बर — एसआईए / सीजी / एमआईएन / 220876 / 2021, दिनांक 20 / 07 / 2021।

प्रस्ताव का विवरण — यह प्रस्तावित रेत (ग्रीन रिपोर्ट) खदान है। यह खदान शाम—मुरा, तहसील—खरसिया, ज़िला—रायगढ़ स्थित पार्ट औंक खसरा क्रमांक 241, कुल होडफल—4.5 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उत्खनन माण्ड नदी से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता—90,000 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एसआईएसी, छत्तीसगढ़ के ज्ञापन एवं ई—मेल दिनांक 29 / 07 / 2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण —

(अ) समिति की 384वीं बैठक दिनांक 02 / 08 / 2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि विडियो कान्फ्रैंसिंग के माध्यम से उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के ई—मेल दिनांक 02 / 08 / 2021 द्वारा सूचना दी गयी है कि जानकारी अपूर्ण होने के कारण से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः आगामी बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है। समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक के अनुरोध को मान्य किया गया।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में चाहीं गई वाहित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित आगामी माह के आयोजित बैठक में प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एसआईएसी, छत्तीसगढ़ के ज्ञापन एवं ई—मेल दिनांक 27 / 08 / 2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 385वीं बैठक दिनांक 31 / 08 / 2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि विडियो कान्फ्रैंसिंग के माध्यम से उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 31 / 08 / 2021 द्वारा सूचना दी गयी है कि वाहित जानकारी अपूर्ण होने के कारण से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः आगामी आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में चाहीं गई वाहित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एसआईएसी, छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 18 / 01 / 2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(स) समिति की 395वीं बैठक दिनांक 24 / 01 / 2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री राजू महंत, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई—

- पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण— इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।



2. याम संचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र – उत्थानन के संबंध में याम संचायत मुरा का दिनांक 13/10/2020 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. घिन्हांकित/सीमांकित – कार्यालय कलेक्टर, खण्डिज शास्त्रा से प्राप्त प्रमाण पत्र अनुसार यह खदान घिन्हांकित/सीमांकित कर घोषित है।
4. उत्थानन गोजना – माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (ख.प्र.), जिला-रायगढ़ के झापन क्रमांक 1060/ख.लि.-3/रेत/2021 रायगढ़, दिनांक 10/06/2021 द्वारा अनुबोधित है।
5. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान – कार्यालय कलेक्टर (खण्डिज शास्त्रा), जिला-रायगढ़ के झापन क्रमांक 1061/ख.लि.-3/रेत/2021 रायगढ़, दिनांक 10/06/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य रेत खदानों की संख्या निरंक है।
6. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं – कार्यालय कलेक्टर (खण्डिज शास्त्रा), जिला-रायगढ़ के झापन क्रमांक 1061/ख.लि.-3/रेत/2021 रायगढ़, दिनांक 10/06/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे राष्ट्रीय राजमार्ग, पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
7. एलओआई संबंधी विवरण – एलओआई कार्यालय कलेक्टर (खण्डिज शास्त्रा), जिला-रायगढ़ के झापन क्रमांक 809/ख.लि.-3/रेत नीलामी/2021 रायगढ़, दिनांक 13/04/2021 द्वारा जारी की गई, जिसकी वैधता जारी दिनांक से 6 माह की अवधि तक थी। प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि एलओआई की वैधता तृप्ति हेतु आवेदन किया गया है, जो प्रक्रियाधीन है।
8. बन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीज से निकटतम बन क्षेत्र एवं गोमड़ी अभयारण्य की वास्तविक दूरी संबंधी जानकारी हेतु बन विभाग से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं की गई है।
9. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
10. महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी – निकटतम आबादी याम-मुरा 1 कि.मी. एवं स्फूल याम-मुरा 1 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 40 कि.मी. एवं राजमार्ग 39 कि.मी. दूर है। त्रीकृत रेत खदान के 1 कि.मी. की दूरी तक पुल/एनीकट स्थित नहीं है।
11. पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राजनीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता बोर्ड स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।
12. खनन स्थल पर नदी के पाट की छोड़ाई एवं खदान की नदी तट से दूरी – आवेदन अनुसार खनन स्थल पर नदी के पाट की छोड़ाई – अधिकतम 411 मीटर, न्यूनतम 355 मीटर तथा खनन स्थल की लंबाई – अधिकतम 299 मीटर, न्यूनतम 296 मीटर एवं खनन स्थल की छोड़ाई – अधिकतम 157 मीटर,

न्यूनतम 147 मीटर दराई गई है। खदान की नदी तट के बिनारे से दूरी अधिकतम 90 मीटर, न्यूनतम 43 मीटर है।

13. खदान स्थल पर रेत की घोटाई – आवेदन अनुसार स्थल पर रेत की गहराई – 3 मीटर तथा रेत खनन की प्रस्तावित गहराई – 2 मीटर दराई गई है। अनुमोदित नाईनिंग प्लान अनुसार खदान में माइनेवल रेत की मात्रा – 90,000 घनमीटर है। रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर बर्तमान में उपलब्ध रेत सतह की घोटाई जानने के लिए, प्रस्तावित स्थल पर 5 गढ़े (Piles) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई तत्त्वावधान कर, खनिंज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की गई है। इसके अनुसार रेत की उपलब्ध औसत घोटाई 3.18 मीटर है। रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा भी प्रस्तुत किया गया है।
14. खदान क्षेत्र में रेत सतह के लेवल्स – रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल एवं प्रस्तावित स्थल के चारों तरफ में 100 मीटर की दूरी तक, 25 मीटर गुण 25 मीटर के ग्रिड बिन्डुओं पर दिनांक 05/05/2021 को रेत सतह के बर्तमान लेवल्स (Levels) लेकर उन्हें खनिंज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये गये हैं। समिति का मत है कि आरएल सर्वे रिपोर्ट सहित ग्रिड मेप में सर्वेयर द्वारा प्रमाणित (नाम, सील एवं हस्ताक्षर सहित) जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
15. रेत उत्खनन के लिए प्रस्तावित स्थल पर रेत की वास्तविक गहराई हेतु प्रस्तुत पंचनामा में खनि निरीक्षक से हस्ताक्षरित है, परंतु खनि निरीक्षक द्वारा प्रमाणित (नाम, सील एवं हस्ताक्षर सहित) कराकर प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः समिति का मत है कि उक्त को संबंध में खनि निरीक्षक द्वारा प्रमाणित (नाम, सील एवं हस्ताक्षर सहित) कराकर पानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
16. सीईआर का प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया है। सीईआर का विस्तृत प्रस्ताव एवं प्रस्तावित इकूल के प्राचार्य (Principal) का सहमति पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
17. सीईआर को तहत युक्तारोपण हेतु पौधों का रोपण, सुख्का हेतु फॉसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख-रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकावार व्यय का विवरण विस्तृत प्रस्ताव सहित प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। साथ ही करंज एवं पामुन प्रजाति को भी सम्मानित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।
18. खदान के नदी तट, पहुंच गार्फ के दोनों ओर या यथायोग्य रूपाने में युक्तारोपण हेतु पौधों, फॉसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख-रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकावार व्यय का विवरण विस्तृत प्रस्ताव सहित प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। साथ ही करंज एवं पामुन प्रजाति को भी सम्मानित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

समिति द्वारा विचार विमश संपर्क सर्वसामग्रि से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. एलओआई की वैधता वृद्धि संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए।
2. सीज सीमा से निकटतम बन क्षेत्र एवं गोमढी अभयारण्य की वास्तविक दूरी संबंधी जानकारी हेतु बन विभाग से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।
3. आरएल सर्वे रिपोर्ट सहित ग्रिड मेप में सर्वेयर द्वारा प्रमाणित (नाम, सील एवं हस्ताक्षर सहित) जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए।



4. रेत उत्थानन के लिए प्रस्तावित रक्काल पर रेत की वास्तविक गहराई हेतु पक्कामा में खानि निश्चिक हारा प्रमाणित (नाम, सील एवं हस्ताक्षर सहित) बनाकर जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए।
 5. सीईआर का विस्तृत प्रस्ताव एवं प्रस्तावित रक्काल के प्राचार्य (Principal) का नामस्ति पत्र प्रस्तुत किया जाए।
 6. सीईआर के तहत दृश्यारोपण हेतु पौधों का सेपण, सुखा हेतु फैसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख-रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार व्यय का विवरण सहित प्रस्तुत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
 7. खदान की नदी तट, पहुँच मार्ग के दोनों ओर या यथायोग्य स्थान में धूशारोपण हेतु पौधों, फैसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख-रखाव के लिए 6 वर्षों का घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत प्रस्ताव सहित प्रस्तुत किया जाए।
 8. उपरोक्त वाचित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरात आगामी कार्यवाली की जाएगी।
- परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

3. मेसर्स रक्खापाली सेष्ट माईन (प्रो.— श्री प्रभात लाट), ग्राम—रक्खापाली, तहसील—खारसिया, ज़िला—रायगढ़ (साधिवालय का नस्ती क्रमांक 1741) ऑनलाईन आवेदन — प्रपोज़िल नम्बर — एसआईए / सीजी / एमआईएन / 220874 / 2021, दिनांक 20 / 07 / 2021।

प्रस्ताव का विवरण — यह प्रस्तावित रेत (ग्रीष्म खनिज) खदान है। यह खदान ग्राम—रक्खापाली, तहसील—खारसिया, ज़िला—रायगढ़ सिध्त पाट औफ खासा क्रमांक 323, कुल क्षेत्रफल—2.045 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उत्थानन माप्त नदी से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्थानन क्षमता — 31,560 एनमीटर प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एसआईएसी, छत्तीसगढ़ के ज्ञापन एवं ई—मेल दिनांक 29 / 07 / 2021 हारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण —

(अ) समिति की 384वीं बैठक दिनांक 02 / 08 / 2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि विडियो कानेक्सिंग के माध्यम से उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक को ई—मेल दिनांक 02 / 08 / 2021 हारा सूचना दी गयी है कि जानकारी अपूर्ण होने के कारण से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः आगामी बैठक में सभी प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है। समिति हारा परियोजना प्रस्तावक के अनुरोध को मान्य किया गया।

समिति हारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में खाही गहरी वाचित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी/दस्तावेज सहित आगामी माह के आयोगित बैठक में प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्दिष्ट किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एसआईएसी, छत्तीसगढ़ के ज्ञापन एवं ई—मेल दिनांक 27 / 08 / 2021 हारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 385वीं बैठक दिनांक 31/08/2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि विडियो कानॉलिंग के माध्यम से उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 31/08/2021 द्वारा सूचना दी गयी है कि वाहित जानकारी अपूर्ण होने के कारण से समिति को समझ बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः आगामी आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा तत्त्वावधि सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में याही गई वाहित जानकारी एवं समस्त सुरक्षित जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एसईएसी-छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 18/01/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(स) समिति की 395वीं बैठक दिनांक 24/01/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री राजू गहत, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अपलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई—

- पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण— इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति पारी नहीं की गई है।
- शाम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र — उत्खनन के संबंध में शाम पंचायत रक्षापाली का दिनांक 09/11/2020 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
- चिन्हाकित/सीमाकित — कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा से प्राप्त प्रमाण पत्र अनुसार यह खदान चिन्हाकित/सीमाकित कर घोषित है।
- उत्खनन योजना — गाईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (ख.प्र.), जिला-रायगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 1053/ख.लि.-३/रेत/2021 रायगढ़, दिनांक 10/06/2021 द्वारा अनुमोदित है।
- 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान — कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-रायगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 1052/ख.लि.-३/रेत/2021 रायगढ़, दिनांक 10/06/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य रेत खदानों की सल्ला निरंक है।
- 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक होत्र/सोरचनाए — कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-रायगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 1052/ख.लि.-३/रेत/2021 रायगढ़, दिनांक 10/06/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक होत्र जैसे राष्ट्रीय राजमार्ग, पुल, बांध, एमीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित होत्र निर्मित नहीं हैं।
- एलओआई, संबंधी विवरण — एलओआई कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-रायगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 807/ख.लि.-३/रेत नीलामी/2021 रायगढ़, दिनांक 13/04/2021 द्वारा जारी की गई, जिसकी वैधता जारी दिनांक से 6 माह की अवधि तक थी। प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि एलओआई की वैधता त्रुटि हेतु आवेदन किया गया है, जो प्रक्रियाधीन है।



8. बन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र – खायालीय बनपरिक्रमा अधिकारी, खासिया परिषेक, रायगढ़ बनपट्टल, जिला-रायगढ़ के झापन छानक/ख. /1272 खासिया, दिनांक 16/11/2021 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित होते निकटतम बन होते की सीमा से 10 कि.मी. की दूरी पर है। जबकि उक्त प्रमाण पत्र में लीज सीमा से गोमद्धा अभयारण्य की वास्तविक दूरी का लल्लेख नहीं किया गया है।
9. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
10. महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी – निकटतम आबादी घास-रक्षापाली 1 कि.मी. एवं स्कूल घास-रक्षापाली 3 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 39 कि.मी. एवं राजमार्ग 41 कि.मी. दूर है। खदान से 450 मीटर की दूरी पर आपस्ट्रीम में एक पुल स्थित है। स्थीकृत रेत खदान के 1 कि.मी. की दूरी तक एनीकट स्थित नहीं है।
11. पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील होते – परियोजना प्रस्तावक छारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय राजमार्ग, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण कोड छारा धोकित लिंटिकली पील्चुटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील होते या धोकित जैवविविधता होते स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।
12. खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई एवं खदान की नदी तट से दूरी – आवेदन अनुसार खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई – अधिकतम 297 मीटर, न्यूनतम 278 मीटर तथा खनन स्थल की लंबाई – अधिकतम 192 मीटर, न्यूनतम 187 मीटर एवं खनन स्थल की चौड़ाई – अधिकतम 114 मीटर, न्यूनतम 103 मीटर दर्शाई गई है। खदान की नदी तट के विनाश से दूरी अधिकतम 38 मीटर, न्यूनतम 34 मीटर है।
13. खदान स्थल पर रेत की मोटाई – आवेदन अनुसार स्थल पर रेत की महराई – 3 मीटर तथा रेत खनन की प्रस्तावित महराई – 2 मीटर दर्शाई गई है। अनुमोदित मार्फतिंग फ्लान अनुसार खदान में मार्फनेवल रेत की मात्रा – 31,560 घनमीटर है। रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत सतह की मोटाई जानने के लिए प्रस्तावित स्थल पर 5 ग्रॅडेज (Grad) छोड़कर उसकी वास्तविक महराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की गई है। इसके अनुसार रेत की उपलब्ध औरत मोटाई 3.18 मीटर है। रेत की वास्तविक महराई हेतु पर्यनाम भी प्रस्तुत किया गया है।
14. खदान होते में रेत सतह के लेवल्स – रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल एवं प्रस्तावित स्थल के घासी तरफ में 100 मीटर की दूरी तक, 25 मीटर गुणा 25 मीटर के पिछे दिनुआं पर दिनांक 05/05/2021 को रेत सतह के वर्तमान लेवल्स (Levels) लेकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरात फोटोग्राफर सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये गये हैं। समिति का मत है कि आरएल सर्वे रिपोर्ट सहित यिन नेप में सर्वेयर छारा प्रमाणित (नाम, सील एवं हस्ताक्षर सहित) जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
15. रेत उत्खनन के लिए प्रस्तावित स्थल पर रेत की वास्तविक महराई हेतु प्रस्तुत पर्यनाम में खनि निरीक्षक से हस्ताक्षरित है, परंतु खनि निरीक्षक छारा प्रमाणित (नाम, सील एवं हस्ताक्षर सहित) कराकर प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः समिति

का भत है कि उक्त के संबंध में खानि निरीक्षक द्वारा प्रमाणित (नाम, सील एवं हस्ताक्षर सहित) कराकर जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

16. गैर मार्डनिंग होत्र — एनीकट खदान से 450 मीटर की दूरी पर अपर्स्ट्रीम में स्थित है। नये गाइडलाईन अनुसार एनीकट के डाउनस्ट्रीम में कम से कम 500 मीटर छोड़ा जाना आवश्यक है। अतः एनीकट की तरफ से खदान से 50 मीटर लंबाई का खनन क्षेत्र को खनन के लिए प्रतिविधित किया गया है। उपरोक्तानुसार मार्डनिंग प्राप्ति खदान में गैर मार्डनिंग क्षेत्र 4,670 वर्गमीटर रखा गया है। अतः ऐसे उत्खनन का कार्य आवश्यक 1,578 हेक्टेयर क्षेत्र में किया जाना प्रस्तावित है।
17. सीईआर का प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया है। सीईआर का विस्तृत प्रस्ताव एवं प्रस्तावित रूपूल के प्राचार्य (Principal) का सहमति पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
18. सीईआर के तहत यूक्तारोपण हेतु पौधों का रोपण, सुरक्षा हेतु फॉरिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख—रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार व्यय का विवरण विस्तृत प्रस्ताव सहित प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
19. खदान के नदी तट पहुंच नार्म के दोनों ओर या यथायोग्य स्थान में यूक्तारोपण हेतु पौधों, फॉरिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख—रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार व्यय का विवरण विस्तृत प्रस्ताव सहित प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। साथ ही करंज एवं जामुन प्रजाति को भी समिलित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

समिलि द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. एलओआई की वैधता तृप्ति संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए।
2. लीज सीमा से निकटतम बन होत्र एवं गोमढ़ी अभयारण्य की वास्तविक दूरी संबंधी जानकारी हेतु बन विभाग से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।
3. आरएल नवे रिपोर्ट सहित गिरु मैप में सर्वेयर द्वारा प्रमाणित (नाम, सील एवं हस्ताक्षर सहित) जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए।
4. ऐसे उत्खनन के लिए प्रस्तावित रूपूल पर ऐसे वी वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा में खानि निरीक्षक द्वारा प्रमाणित (नाम, सील एवं हस्ताक्षर सहित) कराकर जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए।
5. सीईआर का विस्तृत प्रस्ताव एवं प्रस्तावित रूपूल के प्राचार्य (Principal) का सहमति पत्र प्रस्तुत किया जाए।
6. सीईआर के तहत यूक्तारोपण हेतु पौधों का रोपण, सुरक्षा हेतु फॉरिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख—रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार व्यय का विवरण सहित विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
7. खदान के नदी तट पहुंच नार्म के दोनों ओर या यथायोग्य स्थान में यूक्तारोपण हेतु पौधों, फॉरिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख—रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार व्यय का विवरण विस्तृत प्रस्ताव सहित प्रस्तुत किया जाए।
8. उपरोक्त वालित जानकारी/दस्तावेज ग्राहा होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।



परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

4. मेसर्स कृष्ण आगरन स्ट्रीम्स एण्ड टेक्नॉलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, उत्तराखण्डरिट्रिब्यल एरिया, याम-सरोरा, तहसील व जिला-रायपुर (संविवालय का नम्रती क्रमांक 622)

ऑनलाईन आवेदन – पूर्व में प्रयोजन नम्बर – एसआईए/ सीजी/ आईएनडी/ 29609 /2017, दिनांक 20 / 10 / 2018 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया था। वर्तमान में प्रयोजन नम्बर – एसआईए/ सीजी/ आईएनडी/ 221170 /2021, दिनांक 22 / 07 / 2021 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में संशोधन हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – परियोजना प्रस्तावक द्वारा कमता विस्तार के तहत याम-सरोरा, उत्तराखण्डरिट्रिब्यल एरिया, जिला-रायपुर स्थित प्लाट क्रमांक 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821A, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835A, 836, 837, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847 एवं 848A, कुल क्षेत्रफल – 2.667 हेक्टेयर (6.59 एकड़) के अंतर्गत निम्नानुसार कार्यकलाप हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति में संशोधन बाबत आवेदन किया गया है:-

| कार्यकलाप | ई.सी. आदेश अनुसार स्थापित कमता (टन प्रतिवर्ष) | ई.सी. में बाहित संशोधन (टन प्रतिवर्ष) | ई.सी. में बाहित संशोधन उपरांत प्रस्तावित कमता (टन प्रतिवर्ष) |
|--|---|---------------------------------------|--|
| प्लेट्स/इंगाट | 1,20,000 | — | 1,20,000 |
| सी.सी.एन. एवं हॉट बार्ज अवार्टिं रोलिंग मिल | 1,08,000 | प्रतिस्थापित (Replaced) | प्रतिस्थापित (Replaced) |
| रि-हीटिंग फर्मेस आधारित रोलिंग मिल | 12,000 | 1,08,000 | 1,20,000 |
| एम.एस. पाईप एण्ड टेक्नॉलॉजीज | 1,20,000 | — | 1,20,000 |
| गैल्वेनाइजिंग ऑफ पाईप एण्ड टेक्नॉलॉजीज एण्ड फेन्डिंग कंपनी | 34,600 | — | 34,600 |
| फेन्डिंग मुनिट | 34,600 | — | 34,600 |

पर्यावरणीय स्वीकृति में संशोधन हेतु परियोजना की विनियोग रूपये 3 करोड़ होगी।

जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:- एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 23 / 02 / 2019 द्वारा कमता विस्तार के तहत याम-सरोरा, उत्तराखण्डरिट्रिब्यल एरिया, जिला-रायपुर स्थित प्लाट क्रमांक 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821A, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835A, 836, 837, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847 एवं 848A, कुल क्षेत्रफल – 2.667 हेक्टेयर (6.59 एकड़) के अंतर्गत निम्नानुसार कार्यकलाप हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया गया है:-

| कार्यकलाप | नियमित क्षमता | क्षमता विस्तार उपर्याप्त प्रस्तावित क्षमता |
|---|---------------------|--|
| इण्डकशन फार्मेस यूनिट विध सी.सी.एम. सो बिलेट्स/इगाट उत्पादन हेतु रोलिंग मिल से सी-रोल्ड प्रोडक्ट्स उत्पादन हेतु | 34,600 टन प्रतिवर्ष | 1,20,000 टन प्रतिवर्ष |
| रोलिंग मिल से सी-रोल्ड प्रोडक्ट्स उत्पादन हेतु | 34,600 टन प्रतिवर्ष | 1,20,000 टन प्रतिवर्ष (1) |
| एम.एस. पाईप एण्ड ट्यूब | 34,600 टन प्रतिवर्ष | 1,20,000 टन प्रतिवर्ष |
| गैल्वेनाइजिंग औफ पाईप एण्ड ट्यूब एण्ड फॉबिकेटेड आईटम्स | 34,600 टन प्रतिवर्ष | 34,600 टन प्रतिवर्ष |
| फॉबिकेशन यूनिट | 34,600 टन प्रतिवर्ष | 34,600 टन प्रतिवर्ष |

(1) कुल 1,20,000 टन प्रतिवर्ष रोल्ड प्रोडक्ट्स में से 1,08,000 टन प्रतिवर्ष का उत्पादन ऑनलाइन होट चार्जिंग रोलिंग मिल से लगे हुये इण्डकशन फार्मेस यूनिट विध सी.सी.एम. से किया जाएगा एवं शेष 12,000 टन प्रतिवर्ष रोल्ड प्रोडक्ट्स का उत्पादन बिलेट सी-हीटिंग फार्मेस आधारित रोलिंग मिल से किया जाना प्रस्तावित है। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छल्लीसगढ़ के झापन एवं ई-मेल दिनांक 25/08/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण —

(अ) समिति की 385वीं बैठक दिनांक 31/08/2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री प्रभाकर लाल दास, प्लॉट मैनेजर विडियो कान्फ्रैंसिंग के माध्यम से उपरिषत हुए। प्रस्तुतीकरण के दौरान प्रस्तुत जानकारी में लिखमता होने के कारण दिनांक 31/08/2021 को उनके द्वारा जानकारियों का पुनर्प्रीक्षण कर समिति के समक्ष आगामी आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में बाही गई वाइल जानकारी एवं समर्त कुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु मिर्दिशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छल्लीसगढ़ के झापन दिनांक 18/01/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 395वीं बैठक दिनांक 24/01/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री प्रभाकर कुमार लाल दास, मैनेजर एवं पर्यावरण सलाहकार मैसरी ए.एम.पी.आई.इन्डस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, हैदराबाद की ओर से भी नियुक्त आहुजा उपरिषत हुए। समिति द्वारा नस्ती प्रस्तुत जानकारी का अखलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न रिपोर्ट पाई गई:-

1. लेण्ड एरिया स्टेटमेंट —

| S.No. | Land use | Area (in SQM) | Area (%) |
|-------|-------------------------------|---------------|----------|
| 1. | Induction Area | 2,800 | 10.05 |
| 2. | Rolling Mill | 4,000 | 15.02 |
| 3. | GI Pipes & Fabrication unit | 4,868 | 18.23 |
| 4. | Raw Material Yard | 2,000 | 7.51 |
| 5. | Finished material & slag yard | 1,500 | 5.63 |



| | | | |
|----|-----------|--------|-------|
| 6. | Road Area | 900 | 3.40 |
| 7. | Open Area | 1,800 | 6.70 |
| 8. | Greenbelt | 8,802 | 33.01 |
| | Total | 26,670 | 100 |

2. रो-मटेरियल -

| S. No. | Raw Material | Existing Quantity | After Amendment Quantity |
|--------|--------------|-------------------|--------------------------|
| 1. | Sponge Iron | 1,14,000 TPA | 1,14,000 TPA |
| 2. | Scrap | 24,000 TPA | 24,000 TPA |
| 3. | Alloys | 1,200 TPA | 1,200 TPA |
| 4. | Coal | 5 TPD | 36 TPD |
| 5. | Lime | - | 63 TPA |

3. वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था - वर्तमान में इफडकान फर्नेस एवं रि-हीटिंग फर्नेस आधारित रोलिंग मिल में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु सेन्ट्रल डस्ट कलेशन सिस्टम के साथ बेग फिल्टर स्थापित है। प्रस्तावित संशोधन उपरात रि-हीटिंग फर्नेस आधारित रोलिंग मिल में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु पी.टी.एफ.ई. बेग फिल्टर एवं 33 मीटर ऊंची चिमनी स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। उपरोक्त व्यवस्था से पार्टिकुलेट मेटर वा उत्सर्जन 25 मिलीग्राम/सामान्य घनमीटर से ज्ञाम रखा जाना प्रस्तावित किया गया है। पर्युजिटिव डस्ट उत्सर्जन नियंत्रण हेतु जल छिकाय किया जाता है। गैल्वेनाइजिंग प्लॉट में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु पर्युम एक्सट्रॉवशन सिस्टम एवं 33 मीटर ऊंचाई की चिमनी स्थापित है। यही व्यवस्था प्रस्तावित संशोधन उपरात अपनाई जाएगी।
4. समिति के संझान में यह तथ्य आया कि पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में पार्टिकुलेट मेटर का उत्सर्जन की मात्रा का उल्लेख किया गया था एवं वर्तमान में परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु पार्टिकुलेट मेटर के लिए प्रस्तुत गणना में उत्सर्जन की मात्रा में भिन्नता है। समिति का नत है कि उक्त का स्पष्टीकरण किया जाना आवश्यक है।
5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा के दौरान बताया गया कि जारी पर्यावरणीय स्वीकृति अनुसार एस.ओ., उत्सर्जन की मात्रा 18,000 मिलीग्राम प्रतिवर्ष है। प्रस्तावित संशोधन हेतु स्टैक इनलेट के पहले लाईन डोसिंग इकाई स्थापित की जाएगी। जिससे एस.ओ., उत्सर्जन की मात्रा 16,800 मिलीग्राम प्रतिवर्ष होगी।
6. ठोस अपशिष्ट अपवहन व्यवस्था - प्रस्तावित संशोधन उपरात रोलिंग मिल से रसेग - 17,100 टन प्रतिवर्ष, यूस्ड ऑयल - 0.21 घनमीटर प्रतिवर्ष, लाईम रसेज - 153 टन प्रतिवर्ष एवं ऐश - 13 टन प्रतिदिन ठोस अपशिष्ट के रूप में उत्पन्न होगा। रसेग को रसेग प्रोसेसिंग यूनिट को विक्रय किया जाएगा। यूस्ड ऑयल को अधिकृत रिसाईबलर को विक्रय किया जाएगा। लाईम रसेज को सीमेट उत्पाद को विक्रय किया जाएगा। ऐश को ईट निर्माण इकाई को उपलब्ध कराया जाएगा।
7. जल प्रबंधन व्यवस्था -

- जल खपत एवं स्त्रोत - वर्तमान में परियोजना हेतु कुल 98 घनमीटर प्रतिदिन (घरेलू उपयोग हेतु 09 घनमीटर प्रतिदिन एवं औद्योगिक प्रक्रिया हेतु 89 घनमीटर प्रतिदिन) का उपयोग किया जाता है। प्रस्तावित संशोधन उपरात

परियोजना हेतु कुल 115 घनमीटर प्रतिदिन (कुलिंग हेतु 82 घनमीटर प्रतिदिन, डस्ट संप्रेशन हेतु 15 घनमीटर प्रतिदिन, धरेलू उपयोग हेतु 8 घनमीटर प्रतिदिन एवं ग्रीन बैल्ट हेतु 10 घनमीटर प्रतिदिन) का उपयोग किया जाना प्रस्तावित है। पूर्व में आवश्यक जल की आपूर्ति हेतु सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अधीरिटी द्वारा 32,340 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु जारी की गई थी, जिसकी वैधता दिनांक 07/02/2021 तक थी। वर्तमान में आवश्यक जल की आपूर्ति सी.एस.आई.डी.सी. के माध्यम से की जाती है। प्रस्तावित कार्यकलाप हेतु आवश्यक जल की आपूर्ति हेतु सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अधीरिटी से अनुमति प्राप्त किये जाने हेतु आवेदन किया जाना चाहाया गया है।

- जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था – औद्योगिक प्रक्रिया से दूषित जल उत्पन्न होता है। कुलिंग उपरांत प्राप्त दूषित जल को ठंडा कर पुनः कुलिंग हेतु उपयोग में लाया जाता है। औद्योगिक दूषित जल के उपचार हेतु ई.टी.पी. (न्यूट्रिलाइजेशन रिस्टर्म) रखायित है। वर्तमान में धरेलू दूषित जल के उपचार हेतु सेप्टिक टंक एवं सोकपिट निर्माण किया गया है। प्रस्तावित संशोधन उपरांत धरेलू दूषित जल की मात्रा 6 घनमीटर प्रतिदिन होगी, जिसके उपचार हेतु एमबीबीआर तकनीक आधारित सीकेज ट्रीटमेंट प्लांट क्षमता 8 घनमीटर प्रतिदिन की रखायना प्रस्तावित है। शून्य निरस्ताशन की स्थिति रखी जाती है। यही व्यवस्था प्रस्तावित संशोधन हेतु अपनाई जाएगी।
- रेन वॉटर हार्डस्टिंग व्यवस्था – उद्योग परिसर में वर्षा के पानी का कुल रनऑफ 18,313 घनमीटर प्रतिवर्ष है। रेन वॉटर हार्डस्टिंग व्यवस्था के अलगत 12 नग रिचार्ज पिट (लंबाई 2.5 मीटर, चौड़ाई 2.5 मीटर, गहराई 2.5 मीटर) निर्मित किया गया है। प्रस्तावित रेन वॉटर हार्डस्टिंग व्यवस्था परवात परिसर के पूर्ण रनऑफ को रिचार्ज किया जा सकेगा। सभी रिचार्ज स्ट्रक्चर्स इस प्रकार निर्मित किये गये कि इनमें समान मात्रा में वर्षा जल का बहाव ही सके।
- b. विद्युत खपत – वर्तमान में परियोजना हेतु लगभग कुल 14.89 मेगावॉट विद्युत खपत होती है, जिसकी आपूर्ति छल्तीसागढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड से की जाती है। पैकिटिप क्यावस्था हेतु 150 को.ल्ही.ए (02 नग x 75 को.ल्ही.ए) का ढी.जी. सेट स्थापित है। यही व्यवस्था प्रस्तावित संशोधन उपरांत अपनाई जाएगी। परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि परिसर के भीतर सोलर प्लांट की स्थापना किया गया है। समिति का भत है कि सोलर प्लांट की क्षमता एवं कोटोड्याप्स सहित जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
- 9. वृक्षारोपण संबंधी जानकारी – परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि वर्तमान में हरित पटिका के विकास हेतु कुल क्षेत्रफल के 0.88 हेक्टेयर (33 प्रतिशत) क्षेत्र में 2,200 नग पौधे रोपित किया गया है तथा पूर्व में जारी पर्यावरणीय रवैशुति अनुसार 33 प्रतिशत में से पौधे 0.213 हेक्टेयर (8 प्रतिशत) वृक्षारोपण के रथान पर दुगुना वृक्षारोपण 0.426 हेक्टेयर (16 प्रतिशत) का कार्य किये जाने हेतु अटल नगर विकास प्राधिकरण में राशि रूपये 20,16,000/- रुपया किया गया है। साथ ही सुनको द्वारा उद्योग परिसर के 5 किलोमीटर के भीतर 0.364 हेक्टेयर क्षेत्र में कुल 910 नग पौधे लगाया जाना बताया गया है। इस प्रकार कुल 1.244 हेक्टेयर (40 प्रतिशत) क्षेत्र में 3,110 नग पौधे रोपित किया जाना बताया गया है। समिति का भत है कि वृक्षारोपण के रुप-रूपाव



आगामी 5 वर्षों तक सुनिश्चित करते हुये मृत पौधों को प्रतिस्थापित (Mortality replacement) किया जाना आवश्यक है।

10. परियोजना प्रस्तावक द्वारा गीर्ह आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु स्थल निरीक्षण उपरांत निम्नानुसार प्रस्तुत किया गया है:-

| Capital Investment (in Lakh Rupees) | Percentage of Capital Investment to be Spent | Amount for CER Activities (in Lakh Rupees) | Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees) | |
|--|--|---|---|--------------------------------------|
| | | | Particulars | CER Fund Allocation (in Lakh Rupees) |
| | | | Following activities at 10 Nearby Government Schools | |
| 1015 | 1% | 10.15 | Rain Water Harvesting System | 6.09 |
| | | | Running Water Facility for Toilets | 1.80 |
| | | | Potable Drinking Water Facility with 3 year AMC | 1.75 |
| | | | Plantation with Fencing | 1.00 |
| | | | Total | 10.64 |

प्रस्तावित कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) का कार्य (1) शासकीय प्राधिक शाला ग्राम-खुडमुद्दी, (2) शासकीय शाला ग्राम-खांगैरपेट (3) शासकीय शाला ग्राम-गोदामोर, (4) शासकीय शाला ग्राम-बोहरडीह, (5) शासकीय शाला ग्राम-भरकोनी, (6) शासकीय प्राधिक शाला ग्राम-माडी, (7) शासकीय शाला ग्राम-निनवा, (8) शासकीय शाला ग्राम-सनगुनी, (9) शासकीय शाला ग्राम-भरदा एवं (10) शासकीय शाला ग्राम-भेदवा में किया जाएगा।

11. समिति के संझान में यह स्थित आया कि वर्तमान में स्थापित इकाई एवं प्रस्तावित संशोधन हेतु एनजी बैलेस, बॉटर बैलेस एवं रो-मटेरियल बैलेस चार्ट प्रस्तुत नहीं किया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

- जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन में की गई कार्यवाही की विनुगार जानकारी प्रस्तुत की जाए।
- वर्तमान में स्थापित इकाई एवं प्रस्तावित संशोधन उपरांत एनजी बैलेस, बॉटर बैलेस एवं रो-मटेरियल बैलेस प्रस्तुत किया जाए।
- पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में पार्टिकुलेट मैटर का उत्सर्जन की मात्रा का उल्लेख किया गया था एवं वर्तमान में परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु पार्टिकुलेट मैटर के लिए प्रस्तुत गणना में उत्सर्जन की मात्रा मैं भिन्नता है। समिति का मत है कि उक्त का उपष्टीकरण किया जाए।

4. सौलर प्लाट की कमता (फोटोग्राफ्स सहित) एवं ऐन बीटर हार्डस्टोर रद्द करने की फोटोग्राफ्स प्रस्तुत किया जाए।
 5. जल आपूर्ति हेतु सीएसआईडीसी/जल की आपूर्ति हेतु लेन्टल ग्राउण्ड बीटर अधीरिटी से अनुमति प्राप्त कर प्रति प्रस्तुत किया जाए।
 6. उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने तक रात आगामी कार्यवाही की जाएगी।
- परियोजना प्रस्तावक को उदानुसार सूचित किया जाए।
5. मेसर्स श्री टैकराम जाह पलेग स्टोन (लाईम स्टोन कारी), गाम-गिसदा, तहसील-आरग, जिला-रायपुर (साधिवालय का नस्ती क्रमांक 1486)
- ऑनलाईन आवेदन — प्रधानमंत्री नम्बर — एसआईए / सीजी / एमआईएन / 186814 / 2020, दिनांक 06 / 12 / 2020। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कियी होने से इसपन दिनांक 29 / 12 / 2020 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्दिष्ट किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 30 / 01 / 2021 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।
- प्रस्ताव का विवरण — यह पूर्व से संबंधित पलेग स्टोन (गौण खनिज) खदान है। खदान गाम-गिसदा, तहसील-आरग, जिला-रायपुर रिक्त पाट औंक खासरा क्रमांक 1344, कुल क्षेत्रफल—1.052 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्थनन कमता—11,000 टन प्रतिवर्ष है।
- बैठकों का विवरण —

(अ) समिति की 360वीं बैठक दिनांक 01 / 03 / 2021:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा तत्त्वाभ्यास समिति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था—

1. प्रस्तुत 500 मीटर के प्रमाण पत्र से यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि उक्त खदानों के 500 मीटर के भीतर अन्य खदान हैं अथवा नहीं? ईआईए. नोटिफिकेशन, 2006 (यथा संशोधित) में परिभावित कलस्टर अनुसार “कोई कलस्टर उस समय बनाया जाएगा, जब एक लीज के परिसरी के बीच दूसी उस सदृश खनिज होते हैं अन्य पट्टे के परिसर से 500 मीटर से बहुत है।” अर्थात् कलस्टर हेतु हीमोजिनियस मिनरल क्षेत्र में विचाराधीन खदान के लीज सीमा से 500 मीटर के भीतर आने वाले सभी खदानों को शामिल करते हुए तथा इस प्रकार शामिल खदानों के लीज सीमा के 500 मीटर के भीतर आने वाले अन्य सभी खदानों को (कलस्टर में खदानों को बहाँ तक शामिल किया जाए जहाँ तक 500 मीटर की दूरी में कोई खदान अवशिष्ट न हो) शामिल किया जाना चाहिए। अतः उपरोक्तानुसार प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।
2. उत्थनन एवं ड्राकार(यदि हो तो) हेतु गाम पंचायत के अनापलित प्रमाण पत्र की (बैठक दिनांक, समिति एवं सरपंच के हस्ताक्षर सहित) अक्षतन प्रति कार्यवाही विवरण सहित प्रस्तुत किया जाए।
3. भूमि संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किये जायें।
4. घूर्वे में आवेदित रखत पर सानन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण समाधान निधारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण समाधान



- नियोरण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति की गई हो। पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिकारियोंपित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोयाप्स सहित प्रस्तुत की जाए। ताथ ही मृदारोपण की अद्यतन स्थिति की जानकारी कोटोयाप्स सहित प्रस्तुत की जाए।
5. विगत वर्षों में किए गए उत्थनन की वास्तविक मात्रा (वित्तीय वर्ष) की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत की जाए।
 6. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु विस्तृत प्रस्ताव पूर्ण विवरण के साथ प्रस्तुत किया जाए।
 7. परियोजना प्रस्तावक को उपरीवत समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोयाप्स) के साथ प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के पत्र एवं ई-मेल क्रमशः दिनांक 09/04/2021 एवं 27/04/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 365वीं बैठक दिनांक 01/05/2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु विडियो कान्फ्रैंसिंग के माध्यम से कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा कोई अनुरोध पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा घोषित जानकारी एवं अनुरोध पत्र प्राप्त होने पर आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 02/06/2021 के परिषेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 05/06/2021 को प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु अनुरोध पत्र प्रस्तुत किया गया है।

(स) समिति की 385वीं बैठक दिनांक 31/06/2021:

समिति द्वारा नस्ती/ अनुरोध पत्र प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण कर तथा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से परियोजना प्रस्तावक को अनुरोध को स्वीकार करते हुए पूर्व में याही गई घोषित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 18/01/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(द) समिति की 395वीं बैठक दिनांक 24/01/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री संतोष युमार यादव, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई—

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण— इस खदान की पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
2. कार्यालय कलेक्टर (खनिज राखा), जिला-रायपुर के ज्ञापन क्रमांक 1257/ख.लि./टीन-८/2020 रायपुर, दिनांक 18/11/2020 द्वारा वर्ष 2008 से आज दिनांक तक कोई उत्पादन कार्य नहीं किया गया है।



3. ग्राम पंचायत का अनापरित प्रमाण पत्र — उत्थनन की राखी में ग्राम पंचायत निशदा का दिनांक 16/01/2007 का अनापरित प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। ग्राम पंचायत के अनापति प्रमाण पत्र की अद्यतन प्रति कार्यवाही विवरण सहित प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
4. उत्थनन योजना — क्षारी प्लान एलॉग विधि क्षारी बलोजर प्लान विधि इन्हारीमेंट मेनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (खनिज प्रश्न), जिला—रायपुर के ज्ञापन क्रमांक क/ख.लि./टीन—८/उ.प. 117/2008/3003 रायपुर, दिनांक 23/01/2017 द्वारा अनुमोदित है। छातीसगढ़ गोण खनिज अधिनियम, 2015 के नियम 24 अनुसार प्रस्तुत क्षारी प्लान की वैधता समाप्त हो गई है। अतः अनुमोदित क्षारी प्लान प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
5. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान — कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला—रायपुर के ज्ञापन क्रमांक 383/ख.लि./टीन—८/2021 रायपुर, दिनांक 24/07/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर की भीतर अवस्थित 14 खदानों, क्षेत्रफल 10.76 हेक्टेयर होना बताया गया है, जिसमें केवल विचाराधीन खदान के लीज सीमा से 500 मीटर की परिधि में अवस्थित खदानों का विवरण दिया गया है। उक्त प्रमाण पत्र से यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि उक्त खदानों की 500 मीटर की भीतर अन्य खदान हैं अथवा नहीं? ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 (वथा संशोधित) में परिभाषित बलस्टर अनुसार “कोई बलस्टर उस समय बनाया जाएगा, जब एक लीज के परिसरों के बीच दूरी उस सदृश खनिज क्षेत्र में अन्य पट्टे के परिसर से 500 मीटर से कम है।” अर्थात् बलस्टर हेतु होनीजिनियस मिनरल क्षेत्र में विचाराधीन खदान के लीज सीमा से 500 मीटर की भीतर आने वाले सभी खदानों को शामिल करते हुए तथा इस प्रकार शामिल खदानों के लीज सीमा के 500 मीटर की भीतर आने वाले अन्य सभी खदानों को (बलस्टर में खदानों को यहीं तक शामिल किया जाए, जहाँ तक 500 मीटर की दूरी में कोई खदान अवस्थित न हो) शामिल किया जाना चाहिए।
6. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक होत्र/संरचनाएं — कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला—रायपुर के ज्ञापन क्रमांक/क/ख.लि./टीन—८/2019/2014 रायपुर, दिनांक 23/09/2019 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे नदिर मरिजद, मरघट, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं हैं।
7. भूमि एवं लीज का विवरण — यह शासकीय भूमि है। लीज श्री टेकराम साहू के नाम पर है। लीज डीड 10 वर्षों अर्थात् दिनांक 01/06/2008 से 30/04/2018 तक की अवधि हेतु ऐध थी। तत्परतात् लीज डीड 20 वर्षों अर्थात् दिनांक 01/06/2018 से 30/04/2038 तक की अवधि हेतु विस्तारित की गई है।
8. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट — वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
9. बन विभाग का अनापति प्रमाण पत्र — कार्यालय घनमण्डलाधिकारी, रायपुर घनमण्डल, जिला—रायपुर के ज्ञापन क्रमांक/मा.पि./रा./2343 रायपुर, दिनांक 23/08/2006 से जारी अनापति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।



10. महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी – पिकटेटम आवारी ग्राम–निसादा 1 कि.मी. एवं स्कूल ग्राम–निसादा 1 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 0.55 कि.मी. दूर है। महानदी 0.15 कि.मी. एवं महानदी नदर 0.48 कि.मी. दूर है।
11. पारिसिध्दतिकीय / जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र – परियोजना प्रस्तावक छारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेंड एरिया, पारिसिध्दतिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।
12. खनन संपदा एवं खनन का विवरण – यहान में प्रस्तुत क्षारी प्लान की पैधता छलीसागढ़ गौण खनिज अधिनियम, 2015 के नियम 24 अनुसार समाप्त हो गई है।
13. जल आपूर्ति – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 3 घनमीटर प्रतिदिन होती है। खदान में डिभिन्न क्रियाकलापों (जल डिफ़्रेशन, नृक्षारोपण) हेतु जल की आपूर्ति आसपास स्थित नियक्य खदानों में एकत्रित जल एवं पैदल जल की आपूर्ति ग्राम पंचायत द्वारा टैकर के मात्र्यम से की जाएगी। इस बाबत ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
14. नृक्षारोपण कार्य – लीज क्षेत्र की सीमा में बांसों और 7.5 मीटर की पट्टी में 733 नग नृक्षारोपण किया जाएगा।
15. सीईआर का विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया है। सीईआर, का विस्तृत प्रस्ताव एवं प्रस्तावित स्कूल के प्राचार्य (Principal) का सहमति पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वजन्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. अनुमोदित क्षारी प्लान प्रस्तुत किया जाए।
2. उत्तरानन एवं क्लस्टर (यदि हो तो) हेतु ग्राम पंचायत के अनापत्ति प्रमाण पत्र की (बिंठक दिनांक, सचिव एवं सचिव के हस्ताक्षर सहित) अद्यतन प्रति कार्यवाही विवरण सहित प्रस्तुत किया जाए।
3. प्रस्तुत 500 मीटर के प्रमाण पत्र से यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि उक्त खदानों के 500 मीटर के भीतर अन्य खदान हैं अथवा नहीं? ईआईए. नोटिफिकेशन, 2008 (यथा संज्ञोधित) में परिभासित क्लस्टर अनुसार “कोई क्लस्टर उस समय बनाया जाएगा, जब एक लीज के परिसरों को बीच दूरी उस सदृश खनिज क्षेत्र में अन्य पट्टे के परिसर से 500 मीटर से कम है।” अर्थात् क्लस्टर हेतु होमोजिनियस मिनरल क्षेत्र में विद्याराजीन खदान के लीज सीमा से 500 मीटर के भीतर आने वाले सभी खदानों को शामिल करते हुए तथा इस प्रकार शामिल खदानों के लीज सीमा के 500 मीटर के भीतर आने वाले अन्य सभी खदानों को (क्लस्टर में खदानों को बहाँ तक शामिल किया जाए जहाँ तक 500 मीटर की दूरी में कोई खदान अवस्थित न हो) शामिल किया जाना चाहिए। अतः उपरोक्तानुसार प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।
4. पैदल जल की आपूर्ति हेतु ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।

5. सी.ई.आर. का विस्तृत प्रस्ताव एवं प्रस्तावित रेकूल के प्राचार्य (Principal) का सहमति पत्र प्रस्तुत किया जाए।
 6. लोज बोर्ड की सीमा में घारों और 7.5 मीटर की पट्टी में एवं सी.ई.आर. के तहत वृक्षारोपण हेतु पौधों का रोपण, सुख्खा हेतु कॉसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख-रखाव के लिए 5 वर्षों का चटकवार व्यय का विवरण सहित विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
 7. कार्यालय कलेक्टर (खनिज साखा), जिला-रायपुर से दिगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा (वित्तीय दर्श) की जानकारी प्रमाणित करावार प्रस्तुत की जाए।
 8. उपरोक्त सहित जानकारी/दस्तावेज़ प्राप्त होने उपरात आगामी कार्यवाही की जाएगी।
- परियोजना प्रस्तावको तदानुसार सूचित किया जाए।

6. मेसर्स श्री राज्य यादव फ्लैगी लाइंस स्टोन कवारी, ग्राम-गिसदा, तहसील-आरंग, जिला-रायपुर (राजिवालय का नस्ती क्रमांक 1480)
ऑनलाइन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए / सीजी / एमआईए / 185938 / 2020, दिनांक 01 / 12 / 2020। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाइन आवेदन में कमियों होने से ज्ञापन दिनांक 29 / 12 / 2020 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा सहित जानकारी दिनांक 30 / 01 / 2021 को ऑनलाइन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संबलित फ्लैगी लाइंस स्टोन (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम-गिसदा, तहसील-आरंग, जिला-रायपुर स्थित पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 1345, कुल हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता – 3,300 टम प्रतिवर्ष है।

दैर्घ्यों का विवरण –

(अ) समिति की 357वीं बैठक दिनांक 11 / 02 / 2021:

समिति द्वारा प्रकरण वर्ती नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा सत्त्वाग्रह सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

1. पूर्व में आवेदित स्थल पर खनन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण समाधान निर्धारण प्राधिकरण (एसईआईएए), छत्तीसगढ़ अध्यया जिला सत्रार्थीय पर्यावरण समाधान निर्धारण प्राधिकरण (डीईआईएए), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई ही पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिसूचित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही वृक्षारोपण की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए।
2. पिगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज खिभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।
3. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु विस्तृत प्रस्ताव पूर्ण विवरण को साथ प्रस्तुत किया जाए।



4. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज़ (अद्यतन फोटोग्राफ्स) के साथ प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तथानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी. छल्लीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 17/03/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 363वीं बैठक दिनांक 24/03/2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 24/03/2021 द्वारा सूचना दी गयी है कि अपरिहार्य कारणों से समिति के तमाक बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना समव नहीं है। अतः आगामी आयोजित बैठक में समय ड्राफ्ट करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज़ (अद्यतन फोटोग्राफ्स) के साथ प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तथानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी. छल्लीसगढ़ के पत्र एवं ई-मेल क्रमशः दिनांक 09/04/2021 एवं 27/04/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(स) समिति की 368वीं बैठक दिनांक 05/05/2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा कोई अनुरोध पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी एवं अनुरोध पत्र प्राप्त होने पर आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तथानुसार एस.ई.ए.सी. छल्लीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 02/06/2021 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 05/08/2021 को प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु अनुरोध पत्र प्रस्तुत किया गया है।

(द) समिति की 385वीं बैठक दिनांक 31/08/2021:

समिति द्वारा नस्ती / अनुरोध पत्र, प्रस्तुत जानकारी का अयलोकन एवं परीक्षण कर तथा तत्समय सर्वसम्मति से परियोजना प्रस्तावक के अनुरोध को स्वीकार करते हुए पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज़ सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तथानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी. छल्लीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 18/01/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(इ) समिति की 395वीं बैठक दिनांक 24/01/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री इयाम सुंदर यादव, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अयलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न सिद्धांत पाई गई-

- पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:- इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
- कार्यालय कलेक्टर (खणिज शाखा), जिला-रायपुर के ज्ञापन क्रमांक क./ख.लि./तीन-6/2021/1169-2 रायपुर दिनांक 25/01/2021 द्वारा वर्ष 2009 से आज दिनांक तक कोई उत्पादन कार्य नहीं किया गया है।

3. ग्राम पंचायत का अनापरित प्रमाण पत्र – उत्कृष्टन के संबंध में ग्राम पंचायत निसदा का दिनांक 16/01/2007 का अनापरित प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। ग्राम पंचायत की अनापरित प्रमाण पत्र की अद्यतन प्रति कार्यकारी विवरण सहित प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
4. उत्कृष्टन यौजना – क्यारी प्लान एलॉग किथ क्यारी कलोजर प्लान विष्य इन्व्हारोमेंट मेनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (खनि, प्रशा), जिला-रायपुर के ज्ञापन क्रमांक क/ख.लि./तीन-६/उ.प./२०/२०१७/३७४६ रायपुर, दिनांक 21/03/2017 द्वारा अनुमोदित है।
5. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान – कार्यालय कलस्टर (खनिज शाखा), जिला-रायपुर के ज्ञापन क्रमांक ३८१/ख.लि./तीन-६/२०२१ रायपुर, दिनांक 24/07/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 14 खदानों, क्षेत्रफल 11.40 हेक्टेयर होना बताया गया है, जिसमें केवल विधारणीय खदान के लीज सीमा से 500 मीटर के परिधि में अवस्थित खदानों का विवरण दिया गया है। उक्त प्रमाण पत्र से यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि उक्त खदानों के 500 मीटर के भीतर अन्य खदान हैं अथवा नहीं? इंडाई ए. नोटिफिकेशन, 2006 (यथा संशोधित) में परिभाषित कलस्टर अनुसार “कोई कलस्टर उस समय बनाया जाएगा, जब एक लीज के परिसरों के बीच दूरी उस सदृश खनिज क्षेत्र में अन्य पट्टे के परिसर से 500 मीटर से कम है।” अर्थात् कलस्टर हेतु होमोजिनियस भिन्नरूप क्षेत्र में विधारणीय खदान के लीज सीमा से 500 मीटर के भीतर आने वाले सभी खदानों को शामिल करते हुए तथा इस प्रकार शामिल खदानों के लीज सीमा के 500 मीटर के भीतर आने वाले अन्य सभी खदानों को (कलस्टर में खदानों को वहीं तक शामिल किया जाए, जहाँ तक 500 मीटर की दूरी में कोई खदान अवस्थित न हो) शामिल किया जाना चाहिए।
6. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं – कार्यालय कलस्टर (खनिज शाखा), जिला-रायपुर के ज्ञापन क्रमांक/क/ख.लि./तीन-६/२०१९/२०१३ रायपुर, दिनांक 23/09/2019 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, ग्रामघट, चाष, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
7. भूमि एवं लीज का विवरण – यह शासकीय भूमि है। लीज भी सज्य यादव के नाम पर है। लीज लीड 10 वर्षी अर्थात् दिनांक 01/05/2008 से 30/04/2018 तक की अवधि हेतु ऐसा थी। तत्पश्चात् लीज लीड लीज लीड 20 वर्षी अर्थात् दिनांक 01/05/2018 से 30/04/2038 तक की अवधि हेतु विस्तारित की गई है।
8. डिस्ट्रीक्ट सार्व रिपोर्ट – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सार्व रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
9. वन विभाग का अनापरित प्रमाण पत्र – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, रायपुर वनमण्डल, जिला-रायपुर के ज्ञापन क्रमांक/मा.यि./रा./२३४३ रायपुर, दिनांक 23/08/2006 से जारी अनापरित प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
10. महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी – निकटतम आवादी ग्राम-निसदा ०.९ कि.मी. एवं रक्कूल ग्राम-निसदा ०.९ कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग ०.५३ कि.मी. दूर है। महानदी ०.११ कि.मी. एवं महानदी नहर ०.४६ कि.मी. दूर है।



11. पारिस्थितिकीय / जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय सदान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।
12. खनन संपदा एवं खनन का विवरण – अनुमोदित कारो फ्लान अनुसार जियोलौजिकल रिजर्व लगभग 2,03,445 टन, माइनेबल रिजर्व लगभग 84,641 टन एवं रिकलरेबल रिजर्व 63,480 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिशेषित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 3,756 वर्गमीटर है। ओपन कार्स्ट ऐन्युअल विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 9 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की गहराई 3 मीटर है। इस मिट्टी की सीमा पट्टी (7.5 मीटर) में फैलाकर वृक्षारोपण के लिए उपयोग किया जाएगा। दैर्घ्य की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं लैंडाई 1.5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 10 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रक्षर स्थापित नहीं है एवं इसकी स्थापना का प्रस्ताव नहीं किया गया है। यौक हैमर से ड्रिलिंग एवं ब्लास्टिंग किया जाता है। खदान में बायु प्रदूषण नियन्त्रण हेतु जल का छिलकाव किया जाता है। वर्षावार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है—

| वर्ष | प्रस्तावित उत्खनन (टन) | वर्ष | प्रस्तावित उत्खनन (टन) |
|---------|------------------------|--------|------------------------|
| प्रथम | 2,925 | पाष्टम | 3,439 |
| द्वितीय | 3,000 | सप्तम | 3,526 |
| तृतीय | 3,112 | आष्टम | 3,600 |
| चतुर्थ | 3,225 | नवम | 3,712 |
| पंचम | 3,300 | दशम | 3,825 |

नोट: तालिका में दशमलव के बाद की अंकों को राहरण्डओफ किया गया है।

13. जल आपूर्ति – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 3 घनमीटर प्रतिदिन होती है। खदान में विभिन्न कियाकलापों (जल छिलकाव, वृक्षारोपण) हेतु जल की आपूर्ति आसपास स्थित निष्क्रिय खदानों में एकत्रित जल एवं पैदलजल की आपूर्ति ग्राम पंचायत द्वारा टैकर के माध्यम से की जाएगी। इस बाबत ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

14. वृक्षारोपण कार्य – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 688 नग वृक्षारोपण किया जाएगा।

15. खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन – प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी का कुल क्षेत्रफल 3,756 वर्गमीटर क्षेत्र है, जिसमें से कुछ क्षेत्र 6 मीटर की गहराई तक उत्खनित है। प्रतिशेषित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन किया जाना पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों का उल्लंघन है। अतः परियोजना प्रस्तावक के विस्तृत नियमानुसार आवश्यक दण्डास्मक कार्यवाही किया जाना आवश्यक है। साथ ही पूर्व से उत्खनित क्षेत्र को पुनर्भवाद एवं रिजर्व की मण्डा कर संरक्षित अनुमोदित नाइनिंग फ्लान प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

16. उल्लेखनीय है कि भारत सरकार, पर्यावरण, बन एवं जलवाया परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा नीन कोल माईनिंग ब्रोजॉकट्स हेतु मानक पर्यावरणीय शर्तें जारी की गई हैं। शर्त क्रमांक 48(1) के अनुसार—

"The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

उपर दी गई शर्त के अनुसार माईन लीज क्षेत्र के अंदर 7.5 मीटर छोड़े सेपटी जौन में युक्तारोपण किया जाना आवश्यक है।

17. सीईआर का विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया है। सीईआर का विस्तृत प्रस्ताव एवं प्रस्तावित रूकूल के प्राचार्य (Principal) का सहमति पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया—

1. उल्लेखन हेतु याम पंचायत के अनापत्ति प्रमाण पत्र की (दिल्ली दिनांक, समिव एवं सरपंच के हस्ताक्षर सहित) अद्यतन प्रति कार्यवाही विवरण सहित प्रस्तुत किया जाए।
2. उपरोक्त विवरण अनुसार संशोधित अनुमोदित माईनिंग घटान प्रस्तुत किया जाए।
3. प्रस्तुत 500 मीटर के प्रमाण पत्र से यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि उक्त खदानों की 500 मीटर के भीतर अन्य खदान हैं अथवा नहीं? है आईए नोटिफिकेशन, 2006 (यथा संशोधित) में परिभाषित बलस्टर अनुसार "कोई बलस्टर उस समय बनाया जाएगा, जब एक लीज के परिसरों के बीच दूरी उस सदृश खानिज क्षेत्र में अन्य पट्टे के परिसर से 500 मीटर से कम है।" अर्थात् बलस्टर हेतु होमोजिनियस मिनरल क्षेत्र में विचाराधीन खदान के लीज सीमा से 500 मीटर की भीतर आने वाले सभी खदानों को शामिल करते हुए तथा इस प्रकार शामिल खदानों के लीज सीमा के 500 मीटर के भीतर आने वाले अन्य सभी खदानों को (बलस्टर में खदानों को वही तक शामिल किया जाए, जहाँ तक 500 मीटर की दूरी में कोई खदान अवशिष्ट न हो) शामिल किया जाना चाहिए। अतः अंतिम खदान से 500 मीटर बलस्टर में कोई खदान नहीं है का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।
4. पेयजल की आपूर्ति हेतु याम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।
5. प्रतिबंधित 7.5 मीटर छोड़ी सीमा पट्टी में अवैध उल्लेखन किया जाना पाये जाने पर परियोजना प्रस्तावक के विस्तृत नियमानुसार आवश्यक दण्डात्मक कार्यवाही किये जाने हेतु संवालक, भीमिकी तथा खानिकर्म इन्द्रावली भवन, नवा रायपुर अटल नगर की आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु पत्र प्रेषित किया जाए।
6. सीईआर का विस्तृत प्रस्ताव एवं प्रस्तावित रूकूल के प्राचार्य (Principal) का सहमति पत्र प्रस्तुत किया जाए।

7. लीज क्लोज की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में एवं सीईआर के तहत नृकाशोपण हेतु पीछों का शोषण, सुख्खा हेतु कॉसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख-रखाव के लिए 5 वर्षों का प्रटक्कार व्याय का विवरण सहित दिस्तुत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
8. कायालय कलेक्टर (अनिज शाखा), जिला-सूरजपुर से विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक गाज़ा (वित्तीय घटि) की जानकारी प्रमाणित कराकर प्रस्तुत की जाए।
9. उपरोक्त वाहित जानकारी/दस्तावेज़ प्राप्त होने उपरात आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

7. मेसर्स देवीपुर आर्डिनरी स्टोन क्वारी बाईन (प्रो.— श्रीमती मंजू अचाल), शाम—देवीपुर, तहसील व जिला—सूरजपुर (संचिवालय का नस्ती क्रमांक 1742) ऑनलाइन आवेदन — प्रपोजल नम्बर — एसआईए / सीजी / एमआईएन / 220855 / 2021, दिनांक 20 / 07 / 2021।

प्रस्ताव का विवरण — यह पूर्व से संचालित संकारण पत्थर (ग्रीण खगिल) खदान है। खदान शाम—देवीपुर, तहसील व जिला—सूरजपुर स्थित खसरा क्रमांक 1529, कुल क्षेत्रफल—0.405 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता — 2,106 टन (810 घनमीटर) प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के द्वारा एवं ई—मेल दिनांक 20 / 07 / 2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण —

- (अ) समिति की 384वीं बैठक दिनांक 02 / 08 / 2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि विद्वियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से समर्पित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक को ई—मेल दिनांक 02 / 08 / 2021 द्वारा सूचना दी गयी है कि अपरिहार्य कारणों से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना सम्भव नहीं है। अतः अतिरिक्त समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है। समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक के अनुरोध को मान्य किया गया।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा वाहित जानकारी एवं अनुरोध पत्र प्राप्त होने पर आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ की 384वीं बैठक दिनांक 02 / 08 / 2021 के परिषेद्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 27 / 08 / 2021 को प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु अनुरोध पत्र प्रस्तुत किया गया है।

- (ब) समिति की 385वीं बैठक दिनांक 31 / 08 / 2021:

समिति द्वारा नस्ती/ अनुरोध पत्र, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण कर तथा तत्समय सर्वसम्मति से परियोजना प्रस्तावक के अनुरोध को स्वीकार करते हुए पूर्व में चाही गई वाहित जानकारी एवं समर्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज़ सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तथानुसार परियोजना प्रस्तावक को एसईएसी, छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 18/01/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(स) रामिति की 395वीं बैठक दिनांक 24/01/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री भीमसेन अश्वाल, अधिकृत प्रतिनिधि उपरिख्यत हुए। रामिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अखलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न रिप्टि पाइ गई—

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्थीकृति संबंधी विवरण—

- i. पूर्व में पत्थर खदान खदान क्रमांक 1629, कुल क्षेत्रफल—0.405 हेक्टेयर क्षमता—1,047 घनमीटर (2,722.2 टन) प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्थीकृति जिला सतरीय पर्यावरण समाप्त निधारण प्राधिकरण, जिला—सूरजपुर द्वारा दिनांक 13/02/2017 को जारी की गई। यह स्थीकृति जारी दिनांक से 3 वर्ष हेतु जारी की गई।
- ii. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्थीकृति के हातों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है।
- iii. नियोजित शतानुसार बुकारोपण किया गया है।
- iv. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला—सूरजपुर के ज्ञापन क्रमांक 47/खनिज/2020 सूरजपुर, दिनांक 15/05/2020 द्वारा दिग्त वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है—

| वर्ष | उत्पादन (घनमीटर) |
|------------------------------------|------------------|
| दिनांक 13/02/2017 से 31/12/2017 तक | 216 |
| 2018 | 378 |
| 2019 | 819 |

- v. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्थीकृति जारी दिनांक 13/02/2017 से दिनांक 12/02/2020 (3 वर्ष) हेतु जारी की गई थी। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) द्वारा दिग्त वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी में दिनांक 31/12/2019 तक उल्लेख है। अतः दिनांक 12/02/2020 तक किये गये उत्खनन की जानकारी प्रस्तुत किया गया जाना आवश्यक है।
2. ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र — उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत देवीपुर का दिनांक 11/10/2008 वर्ष अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। ग्राम पंचायत के अनापत्ति प्रमाण पत्र की अद्यतन प्रति कार्यवाही विवरण सहित प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
3. उत्खनन योजना — रिवाईज़ योजना प्लान, इन्हारोमेट मैनेजमेंट प्लान एण्ड क्यारी एलोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो स्थानीय अधिकारी, जिला—कोरिया के पु. ज्ञापन क्रमांक 832/खनिज/खलि.2/2021/कोरिया ऐकुण्ठपुर, दिनांक 21/06/2021 द्वारा अनुमोदित है।
4. 500 मीटर की परिधि में रिस्त खदान — कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला—सूरजपुर के ज्ञापन क्रमांक 1124/खनिज/2020 सूरजपुर, दिनांक 05/12/2020 के भीतर अवस्थित 3 खदानों के क्षेत्रफल 3.868 हेक्टेयर होना चाहिया गया है, जिसमें केवल विधारातीन खदान के लीज सीमा से 500 मीटर के परिधि में अवस्थित खदानों का विवरण दिया गया है। उक्त प्रमाण पत्र से वह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि उक्त खदानों के 500 मीटर के भीतर अन्य खदान हैं।



अधिका नहीं? ईआईए नोटिफिकेशन, 2006 (वथा संशोधित) में परिमापित कलस्टर अनुसार “कोई कलस्टर उस समय बनाया जाएगा, जब एक लीज के परिसरों के बीच दूसी उस सदृश खनिज क्षेत्र में अन्य पट्टी के परिसर से 500 मीटर से कम है।” अर्थात् कलस्टर हेतु होमोजिनियस मिनरल क्षेत्र में विद्वाराधीन खदान के सीज सीमा से 500 मीटर के भीतर आने वाले सभी खदानों को शामिल करते हुए तथा इस प्रकार शामिल खदानों के लीज सीमा के 500 मीटर के भीतर आने वाले अन्य सभी खदानों को (कलस्टर में खदानों को वहीं तक शामिल किया जाए जहाँ तक 500 मीटर की दूसी में कोई खदान अवस्थित न हो) शामिल किया जाना चाहिए।

5. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएँ – कार्यालय कलस्टर (खनिज शाखा), जिला-सूरजपुर के छापन क्रमांक 3355 / खनिज / 2020 सूरजपुर दिनांक 30 / 01 / 2020 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में बोई भी सार्वजनिक क्षेत्र यीं सार्वजनिक स्थल, अंदिर, मरिजाद, भरधाट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं हैं।
6. भूमि एवं लीज का विवरण – यह शासकीय भूमि है। लीज श्रीमती मंजू अच्युताल के नाम पर है। लीज छोड़ 10 वर्षों अर्थात् दिनांक 13 / 02 / 2009 से 12 / 02 / 2019 तक की अवधि हेतु दिया थी। उत्परायात् लीज छोड़ 20 वर्षों अर्थात् दिनांक 13 / 02 / 2019 से 12 / 02 / 2039 तक की अवधि हेतु विस्तारित की गई है।
7. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत वी गई है।
8. बन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र – कार्यालय बनमण्डसाधिकारी, दक्षिण सरगुजा बनमण्डल, अमिकवलपुर के छापन क्रमांक / मा.वि. / 51 / 2009 अमिकवलपुर, दिनांक 16 / 01 / 2009 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
9. महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी – निकटतम आबादी घाम-देवीपुर 0.68 कि.मी., स्कूल घाम-देवीपुर 2.5 कि.मी. एवं अस्पताल सूरजपुर 3.85 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 3.4 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 18.15 कि.मी. दूर है। तालाब 0.37 कि.मी. की दूरी पर है।
10. पारिस्थितिकीय / जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि ने अंतर्राजीय सीमा, राष्ट्रीय राधान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित जिएकली पौल्यूटेंट एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र रिक्त रिक्त नहीं होना प्रतिवेदित किया है।
11. खनन संपदा एवं खनन का विवरण – जियोलॉजिकल रिजर्व 56,589 टन, माइनिंगल रिजर्व 21,637 टन एवं रिफ्लेक्शन रिजर्व 19,473 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 2,110 वर्गमीटर है। ओपन कार्स्ट सेमी मेकेनाइज्ड विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 6 मीटर है। लीज क्षेत्र में कृपरी मिट्टी की मोटाई 1 मीटर है तथा कुल मात्रा 2,697 घनमीटर है, जिसमें से 1,515 घनमीटर उत्खनन किया जा सकता है, जिसे सीमा पट्टी (7.5 मीटर) में फैलाकर वृक्षारोपण के लिए उपयोग किया गया है, तथा बीच कृपरी मिट्टी 1,182

घनमीटर की लीज कोर के बाहर सहमति प्राप्त भूमि पर निर्णयित कर संतुष्टिर रखने हेतु सकाम प्राधिकारी से अनुमति उपरात निर्णयित किया जायेगा। बैच की छंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की संभावित आयु 10 वर्ष है। लीज कोर में क्रशन स्थापित नहीं है एवं क्रहर स्थापना का प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया है। जैक हैमर ड्रिलिंग एवं कट्टोल लासिटिंग किया जाता है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का शिळ्काव जाता है। पर्यावर प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है—

| वर्ष | प्रस्तावित उत्खनन (टन) | वर्ष | प्रस्तावित उत्खनन (टन) |
|---------|------------------------|--------|------------------------|
| प्रथम | 2,108 | बृहत्म | 1,905 |
| द्वितीय | 2,059 | सप्तम | 1,966 |
| तृतीय | 2,083 | आठम | 1,825 |
| चतुर्थ | 1,811 | नवम | 2,001 |
| पंचम | 1,942 | दशम | 1,776 |

नोट: लाइका में दशमलव के बाद के अंकों को राउण्डऑफ किया गया है।

12. जल आपूर्ति – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 3.25 घनमीटर प्रतिदिन होती है। जल की आपूर्ति गाम पंचायत द्वारा टैकर की मात्राम से की जाती है। इस बाबत गाम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
13. बृकारोपण कार्य – लीज कोर की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 420 नग बृकारोपण किया जाएगा।
14. खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन – लीज कोर के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।
15. कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) – परियोजना प्रस्तावक द्वारा तीई आर (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार तो चर्चा उपरात निम्नानुसार प्रस्तुत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है—

| Capital Investment (in Lakh Rupees) | Percentage of Capital Investment to be Spent | Amount for CER Activities (in Lakh Rupees) | Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees) | |
|--|--|---|--|--------------------------------------|
| | | | Particulars | CER Fund Allocation (in Lakh Rupees) |
| 13.08 | 2% | 0.27 | Following activities at Government Primary School, Village-Devipur | |
| | | | Rain Water Harvesting System | 0.45 |
| | | | Plantation | 0.05 |
| | | | Total | 0.50 |

16. प्रस्तावित स्कूल के प्राचार्य (Principal) का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।
17. तीईआर के लहर बृकारोपण हेतु पीछी का रोपण, सुरक्षा हेतु फेसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख-रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार व्यव का विवरण सहित प्रस्तुत प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।



समिति द्वारा विचार विभाग उपरांत सार्वसम्मति से निम्नानुसार विण्य लिया गया:-

1. विंगल घरों में किए गए उत्खनन की वास्तविक माजा की जानकारी (दिनांक 12 / 02 / 2020 तक) सुनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।
2. उत्खनन हेतु ग्राम पंचायत के अनापति प्रमाण पत्र की (वैठक दिनांक संचित एवं सरपंच के हस्ताक्षर सहित) अधितन प्रति कार्यवाही विवरण सहित प्रस्तुत किया जाए।
3. प्रस्तुत 500 मीटर के प्रमाण पत्र से यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि सकृद खदानों के 500 मीटर के भीतर आन्य खदान हैं अथवा नहीं? ईआईए नोटिफिकेशन, 2006 (यथा संशोधित) में परिभाषित बलस्टर अनुसार "कोई बलस्टर उस समय बनाया जाएगा, जब एक लीज के परिसरों के बीच दूरी उस सदृश खनिज क्षेत्र में अन्य पट्टे के परिसर से 500 मीटर से कम है।" अर्थात् बलस्टर हेतु हीमोजिनियस मिनरल क्षेत्र में दिवारालीन खदान के लीज सीमा से 500 मीटर के भीतर आने वाले सभी खदानों को शामिल करते हुए तथा इस प्रकार शामिल खदानों के लीज सीमा से 500 मीटर के भीतर आने वाले अन्य सभी खदानों को (बलस्टर में खदानों को वहीं तक शामिल किया जाए, जहाँ तक 500 मीटर की दूरी में कोई खदान अवस्थित न हो) शामिल किया जाना चाहिए। अतः उपरोक्तानुसार प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।
4. सीईआर के तहत वृक्षारोपण हेतु पौधों का शैपण, सुख्ता हेतु फैसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रखा-रखाव के लिए 5 घरों का घटकवाप व्यय का विवरण सहित प्रस्तुत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
5. उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही को जाएगी।
परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

6. मेसर्स रामा उद्योग प्राइवेट लिमिटेड, औद्योगिक क्षेत्र, सिलसरा, फैस-2, तहसील व जिला-रायपुर (साधिवालय का नस्ती क्रमांक 1650)
ऑनलाईन आवेदन - प्रपोजल नम्बर - एसआईए/ सीजी/ आईएनडी/ 211530 / 2021, दिनांक 13 / 05 / 2021।

प्रस्ताव का विवरण - परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित कार्यकलाप के तहत औद्योगिक क्षेत्र, सिलसरा फैस-2 के सभी प. तहसील व जिला-रायपुर रियत खसरा नम्बर 114/(10-12), कुल क्षेत्रफल - 14.928 एकड़ में हॉट बाइंग आधारित रोलिंग मिल - 57,800 टन प्रतिवर्ष के लिए पर्यायित्वीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है। प्रस्तावित कार्यकलाप के उपरांत विनियोग का कुल लागत 30.15 करोड़ होगा।

परियोजना प्रस्तावक को एसईएसी, छत्तीसगढ़ के झापन दिनांक 21 / 05 / 2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

वैठकों का विवरण -

(अ) समिति की 373वीं बैठक दिनांक 31 / 05 / 2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री पलविदर सिंह संघ डॉकरेक्टर विडियो वान्ड्रेसिंग की माध्यम से उपलब्धित हुए। सभिति द्वारा नहीं, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई—

- परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि मेसर्स रामा उद्योग प्राइवेट लिमिटेड (यूनिट-2) को एम.एस. बिलेट्स/इंगोट्स क्षमता — 28,800 टन प्रतिवर्ष एवं मेसर्स रामा उद्योग प्राइवेट लिमिटेड (यूनिट-3) को एम.एस. बिलेट्स/इंगोट्स क्षमता — 29,000 टन प्रतिवर्ष हेतु क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर से पृथक—पृथक सम्मति अनुसार एम.एस. बिलेट्स/इंगोट्स कुल क्षमता—57,800 टन प्रतिवर्ष का उत्पादन किया जा रहा है।

प्रस्तावित कार्यकलाप की ताफ्ता दोनों इकाईयों को मिलाकर एक इकाई करते हुए बहुमान में स्थापित एवं संचालित इष्टवशन क्षमता कुल क्षमता—57,800 टन प्रतिवर्ष से ही होट चार्जिंग आधारित रोलिंग मिल की रूपाना कर रोल्ड प्रोडक्ट्स क्षमता — 57,800 टन प्रतिवर्ष का उत्पादन किया जाना प्रस्तावित किया गया है।

2. जल एवं वायु सम्मति —

- क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर से मेसर्स रामा उद्योग प्राइवेट लिमिटेड (यूनिट-2) को एम.एस. बिलेट्स/इंगोट्स क्षमता — 28,800 टन प्रतिवर्ष हेतु जल एवं वायु सम्मति नवीनीकरण दिनांक 23/10/2018 को जारी की गई है, जो कि दिनांक 30/09/2021 तक वैध है।
- क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर से मेसर्स रामा उद्योग प्राइवेट लिमिटेड (यूनिट-3) को एम.एस. बिलेट्स/इंगोट्स क्षमता — 29,000 टन प्रतिवर्ष हेतु जल एवं वायु सम्मति नवीनीकरण दिनांक 26/02/2020 को जारी की गई है, जो कि दिनांक 31/01/2023 तक वैध है।

3. निकटतम स्थित किनारकलापों संबंधी जानकारी —

- निकटतम शहर रायपुर 14.4 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। निकटतम रेल्वे स्टेशन माडर 12.6 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। स्वामी विदेकानंद विभानपत्तन, नाना, रायपुर 23.17 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1.22 कि.मी. दूर है।
- परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अतराज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

4. लेण्ड एरिया स्टेटमेंट —

| S.No. | Land use | Existing Area (in Acre) / Area (%) | After Expansion Area (in Acre) / Area (%) |
|--------------|--------------------------------|------------------------------------|---|
| 1. | Plant Area (Including Offices) | 1.4 (9.39%) | 3.74 (25.09%) |
| 2. | Open Area | 7.5 (50.42%) | 5.18 (34.72%) |
| 3. | Plantation Area | 6 (40.19%) | 6 (40.19%) |
| Total | | 14.928 (100%) | 14.928 (100%) |



5. री—मटेरियल —

| S. No. | Raw Material | Quantity (TPA) | Source | Mode |
|--------------------------------|----------------|-------------------|-------------|----------------------------------|
| For M.S Billets/ Ingots | | | | |
| 1. | Sponge Iron | 53,767 | Open Market | By Road (through covered trucks) |
| 2. | Pig Iron | 12,168 | Open Market | By Road (through covered trucks) |
| 3. | FeMn, FeSi, Al | 3,489 | Open Market | By Road (through covered trucks) |
| For Rolling Mill | | | | |
| 1. | Billets | 57,800 | Own | - |

6. स्थापित एवं प्रस्तावित इकाईयों संबंधी जानकारी —

| S. No. | Name of Unit | Existing Product Capacity (in TPA) | Proposed Product Capacity (in TPA) |
|--------------|-----------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 1 | Unit - II | M.S Billets/ Ingots - 26,800 | TMT - 57,800 |
| 2 | Unit - III | M.S Billets/ Ingots - 29,000 | |
| Total | | 57,800 | 57,800 |

7. समिति की सज्ञान में यह तथ्य आया कि मेसर्स रामा उद्योग प्राइवेट लिमिटेड (यूनिट-2) एवं मेसर्स रामा उद्योग प्राइवेट लिमिटेड (यूनिट-3) इकाईयों हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल से पृथक—पृथक सम्मति प्राप्त की गई है, जबकि दोनों इकाईयों एक ही प्लांट परिसर तथा एक ही शेड में स्थापित एवं संचालित है। उद्योग द्वारा बिना पर्यावरणीय नवीकृति के एम.एस. बिलेट्स/इंगोंडिस कुल अमता—57,800 टन प्रतिवर्ष (26,800 टन प्रतिवर्ष + 29,000 टन प्रतिवर्ष) बन उत्पादन किया जा रहा है, जिससे कि ई.आई.ए. अधिसूचना, 2006 (यथा संशोधित) के प्राक्कानों के उल्लंघन की स्थिति निर्मित होती है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल को उपरोक्त तथ्यों से अवगत कराते हुये, सुनसे मेसर्स रामा उद्योग प्राइवेट लिमिटेड (यूनिट-2) एवं मेसर्स रामा उद्योग प्राइवेट लिमिटेड (यूनिट-3) को जारी पृथक—पृथक सम्मति के संबंध में रथल निरीक्षण कर वस्तुस्थिति की जानकारी प्रेषित करने हेतु अनुरोध किया जाए।

तदानुसार एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 26/07/2021 के परिपेक्ष में छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा रथल निरीक्षण चन्त्र वस्तुस्थिति की जानकारी दिनांक 31/08/2021 को प्रस्तुत की गई है।

(ब) समिति की 385वीं बैठक दिनांक 31/08/2021:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण कर तथा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।



तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एसईएसी, छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 18/01/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(स) समिति की 395वीं बैठक दिनांक 24/01/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु भी एन.के. गुप्ता, शीफ ऑफिसर एवं श्री देवाशीष सेन गुप्ता, पर्यावरण सलाहकार उपरिख्यत हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई—

- छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के पत्र क्रमांक 3854 दिनांक 31/08/2021 के माध्यम से क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर द्वारा किये गये स्थल मिरीक्षण वर्ती वस्तुस्थिति निम्नानुसार है—

(1) मेसर्स रामा उद्योग प्राइवेट लिमिटेड (यूनिट-2) के संबंध में—

- मेसर्स बल्देव एलीयज प्राइवेट लिमिटेड (यूनिट-2) (स्टील डिवीजन) (प.ह.न. -90 खसरा क्रमांक 114/2-5, 114/8-9, कुल रक्षा-8 एकड़), खाम-सिलतरा, ज़िला-रायपुर (छ.ग.) को एम.एस. बिलेट्स/इंगीट्स कमता - 28,800 मीट्रिक टन प्रतिवर्ष हेतु जल एवं वायु सम्पत्ति, कमांक पत्र क्रमांक-2258/आरओ/टीएस/सीईसीबी/2009 एवं 2256/आरओ/टीएस/सीईसीबी/2009 एवं दिनांक 08/07/2000 के माध्यम से जारी त्री गई थी।
- उपरोक्त इकाई को भाग परिवर्तन कि पश्चात् मेसर्स बल्देव एलीयज प्राइवेट लिमिटेड (यूनिट-2) (स्टील डिवीजन) से मेसर्स रामा उद्योग प्राइवेट लिमिटेड (यूनिट-2), खाम-सिलतरा, ज़िला-रायपुर (छ.ग.) की उपरोक्त उत्पाद एवं उत्पादन कमता हेतु जारी सम्पत्ति दिनांक 08/07/2009 की नवीनीकरण वैधता दिनांक 30/09/2021 तक है।
- उपरोक्त इण्डक्शन फॉर्म से एवं त्री सी.सी.एम. इकाई प.ह.न.-20, खसरा क्रमांक 114/2-5, 114/8-9 में स्थापित एवं संचालित है।

(2) मेसर्स रामा उद्योग प्राइवेट लिमिटेड (यूनिट-3) के संबंध में—

- मेसर्स रामा उद्योग प्राइवेट लिमिटेड (यूनिट-3) (खसरा न. 114/10-12, कुल रक्षा-1,011 हेक्टेयर) सिलतरा फॉर्म-2, ज़िला-रायपुर (छ.ग.) को एम.एस. बिलेट्स/इंगीट्स कमता - 29,000 मीट्रिक टन प्रतिवर्ष हेतु जल एवं वायु सम्पत्ति, पत्र क्रमांक-4888/आरओ/टीएस/सीईसीबी/2018 एवं 4886/आरओ/टीएस/सीईसीबी/2018, दिनांक 01/09/2018 के माध्यम से जारी की गई थी।
- उक्त इकाई हेतु उपरोक्त उत्पाद एवं उत्पादन कमता बाबत् जारी सम्पत्ति दिनांक 01/09/2018 की नवीनीकरण वैधता दिनांक 31/01/2023 तक है।
- उपरोक्त इण्डक्शन फॉर्म से इकाई प.ह.न.-20, खसरा क्रमांक 114/10-12 में स्थापित एवं संचालित है।

उपरोक्त वर्तीत दोनों इकाईयों को शामिल करते हुये परिसर में उपरोक्तानुसार पृथक-पृथक् खसरा क्रमांकों पर स्थापित एवं संचालित किया गया है।

2. यूनिट-2 एवं यूनिट-3 को समायोजित (Merge) कर उसे हॉट चलिंग आधारित रोलिंग मिल में परिवर्तित किया जाएगा। परंतु बिलेट्स उत्पादन की कमता अपरिवर्तित होगी।

३ लैण्ड एरिया स्टेटमेंट -

| Land use | Existing Area | | After Expansion Area | |
|--------------------------------|------------------|------------|----------------------|------------|
| | Area (in SQM) | Area (%) | Area (in SQM) | Area (%) |
| Plant Area (Including offices) | 6,111.06 | 14.37 | 15,686.06 | 36.88 |
| Internal Roads | 2,695.7 | 6.34 | 2,695.70 | 06.34 |
| Plantation Area | 15,075.36 | 35.45 | 15,075.36 | 35.45 |
| Open Area | 16,775.46 | 39.44 | 7,200.46 | 16.93 |
| Other Area | 1,870.84 | 4.40 | 1,870.84 | 04.40 |
| Total | 42,528.42 | 100 | 42,528.42 | 100 |

- वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था – वर्तमान में इण्डकशन फर्मेस में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु प्रयुक्त एक्सट्रोलग्जन सिस्टम स्थापित है। प्रस्तावित परियोजना हेतु प्रयुक्त एक्सट्रोलग्जन सिस्टम के साथ स्लेग फिल्टर एवं 30 मीटर ऊंची चिमनी स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। उपरोक्त व्यवस्था से पार्टिकुलेट मेटर का उत्तरार्जन 50 मिलिग्राम/सामान्य घनमीटर के बह स्थान जाना प्रस्तावित है। प्रयुक्तियुक्त उत्तरार्जन नियंत्रण हेतु जल छिद्रकाव किया जाता है। यही व्यवस्था प्रस्तावित कार्बकलाप उपरांत अपनाई जाएगी। समिति का मत है कि चिमनी से पार्टिकुलेट मेटर का उत्तरार्जन 50 मिलिग्राम/सामान्य घनमीटर से कम कर 25 मिलिग्राम/सामान्य घनमीटर सुनिश्चित किये जाने वाले विस्तृत गणना सहित जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
 - ठोस अपशिष्ट अपवहन व्यवस्था – वर्तमान में परियोजना हेतु इण्डकशन फर्मेस से स्लेग – 9,890 टन प्रतिवर्ष ठोस अपशिष्ट के रूप में साप्ताहिक होता है। प्रस्तावित परियोजना हेतु इण्डकशन फर्मेस से स्लेग – 9,890 टन प्रतिवर्ष एवं रोलिंग मिल से एप्ल कटिंग – 578 टन प्रतिवर्ष ठोस को रूप में उत्पन्न होगी। स्लेग को मैटल रिकार्ड एवं सड़क गिरावं में किया जाएगा। एप्ल कटिंग को पुनरुत्पयोग इण्डकशन फर्मेस में किया जाएगा।

६. जाल प्रबंधन व्यवस्था -

- जल स्पर्श एवं स्वास्थ्य - वर्तमान में परियोजना हेतु कुल 185 घनमीटर प्रतिदिन (घरेलू उपयोग हेतु 12.5 घनमीटर प्रतिदिन, औद्योगिक प्रक्रिया हेतु 100 घनमीटर प्रतिदिन, ग्रीन बेल्ट एवं डस्ट सप्लीयूर हेतु 72.5 घनमीटर प्रतिदिन) का सुपयोग किया जाता है। प्रस्तावित परियोजना हेतु कुल 197.5 घनमीटर प्रतिदिन (घरेलू उपयोग हेतु 15 घनमीटर प्रतिदिन, औद्योगिक प्रक्रिया हेतु 110 घनमीटर प्रतिदिन, ग्रीन बेल्ट एवं डस्ट सप्लीयूर हेतु 72.5 घनमीटर प्रतिदिन) का सुपयोग किया जाना प्रस्तावित है। वर्तमान में आवश्यक घनमीटर प्रतिदिन) का सुपयोग किया जाना प्रस्तावित है। वर्तमान में आवश्यक जल की आपूर्ति छत्तीसगढ़ इस्पात भूमि लिमिटेड के माध्यम से की जाती है। प्रस्तावित परियोजना अंतर्गत औद्योगिक प्रक्रिया हेतु आवश्यक जल की आपूर्ति छत्तीसगढ़ इस्पात भूमि लिमिटेड के माध्यम से की जाएगी एवं घरेलू उपयोग, दृष्टारोपण हेतु आवश्यक जल की आपूर्ति सोन्दूल ग्राउण्ड वॉटर अधीरिटी हासा

3,000 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु जारी की गई है। जिसकी वैधता दिनांक 14/06/2022 तक है।

- जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था – औद्योगिक प्रक्रिया से दूषित जल उत्पन्न होता है। कूलिंग उपरांत प्राप्त दूषित जल को ठंडा कर पुनः कूलिंग हेतु उपयोग ने लाया जाता है। औद्योगिक दूषित जल को सुपचार हेतु ईटी.पी. (एट्रिलाईजेशन सिस्टम) स्थापित है। यहांमान में घरेलू दूषित जल को उपचार हेतु सेप्टिक टैक एवं सोकपिट निर्मित किया गया है। प्रस्तावित परियोजना उपरांत घरेलू दूषित जल के उपचार हेतु सीबेज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापना किया जाना प्रस्तावित है। इन्हीं निस्सारण की स्थिति रखी जाती है। यही व्यवस्था प्रस्तावित संशोधन हेतु अपनाई जाएगी।
 - ऐन बौटर हार्डिस्टिंग व्यवस्था – उद्योग परिसर में वर्षा को पानी का कुल रनऑफ 2,500 घनमीटर प्रतिवर्ष है। ऐन बौटर हार्डिस्टिंग व्यवस्था के अंतर्गत 3 नग रिचार्ज स्ट्रक्चर (लंबाई 3 मीटर, चौड़ाई 3 मीटर, गहराई 3 मीटर) निर्मित किया गया है। प्रस्तावित ऐन बौटर हार्डिस्टिंग व्यवस्था पश्चात् परिसर के पूर्ण रनऑफ को रिचार्ज किया जा सकेगा। सभी रिचार्ज स्ट्रक्चर्स इस प्रकार निर्मित किये गये कि इनमें समान मात्रा में वर्षा जल का बहाव हो सके।
7. विद्युत खपत – प्रस्तावित परियोजना हेतु कुल 8,000 के ली.ए का विद्युत खपत होगी। जिसकी आपूर्ति भेससे समान उद्योग यूनिट-1 के कौटिंग पौंदर प्लांट से की जाएगी। यैकल्टिक व्यवस्था हेतु 750 के.ली.ए. का ली.जी. सेट स्थापित है। यही व्यवस्था प्रस्तावित संशोधन उपरांत अपनाई जाएगी।
 8. दृक्षारोपण संबंधी जानकारी – हरित पटिकों के विकास हेतु कुल क्षेत्रफल 16,075.36 वर्गमीटर (36.45 प्रतिशत) कोड्र में 2,250 नग पीढ़े रोपित किया जाएगा। दृक्षारोपण एवं वार्षिक आगामी 1 माह में पूर्ण किया जाएगा। समिति का मत है कि दृक्षारोपण के रख-रखाव आगामी 5 वर्षों तक सुनिश्चित करते हुये मृत पौधों को प्रतिस्थापित (Mortality replacement) किया जाना आवश्यक है।
 9. सी.ई.आर. का विस्तृत प्रस्तुत प्रस्तुत नहीं किया गया है। सी.ई.आर. का विस्तृत प्रस्ताव एवं प्रस्तावित रक्कूल के प्राचार्य (Principal) का सहमति पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
 10. सी.ई.आर. के तहत दृक्षारोपण हेतु पौधों का रोपण सुरक्षा हेतु फॉसिंग, खाद एवं सिंथाई लवा रख-रखाव को लिए 5 वर्षों का पठकयार व्यवस्था का विवरण सहित विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा विचार विभास उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. यहांमान में रक्षापित इकाईयों हेतु छतीसगढ़ पर्यावरण संस्करण मण्डल द्वारा जारी सम्मति शर्ती की पालन में की गई कार्यवाही वर्ति बिन्दुवार जानकारी प्रस्तुत की जाए।
2. सम्मति प्राप्त स्थापित क्षमता से उत्पादन की दशा में एवं प्रस्तावित उत्पादन की दशा में कुल प्रदूषण भार की गणना कर (जल उपयोग की मात्रा, दूषित जल की मात्रा / गुणवत्ता, प्रदूषकों के उत्सर्जन की मात्रा एवं उत्पन्न ठोस अपरिषिष्टों की मात्रा) प्रस्तुत की जाए।

3. विनामी से पार्टीकुलेट मेटर का उत्तरांगन 50 मिलियाम/सामान्य घनमीटर से कम कर 30 मिलियाम/सामान्य घनमीटर से कम सुनिश्चित किये जाने वाले प्रस्तुत गणना सहित जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
4. प्रस्तावित परियोजना उपरात दूषित जल की मात्रा एवं उसके उपचार हेतु तीदेज ट्रीटमेंट प्लांट (ओसेस पत्तों चार्ट सहित) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
5. हरित पट्टिका के विकास हेतु कुल क्षेत्रफल को 40 प्रतिशत बोर्ड में वृक्षारोपण किये जाने हेतु प्रस्ताव सहित जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
6. सीईआर का दिस्तृत प्रस्ताव एवं प्रस्तावित स्कूल के प्राचार्य (Principal) का सहभागि यत्र प्रस्तुत किया जाए।
7. सीईआर के तहत वृक्षारोपण हेतु पीढ़ी का रोपण, सुखा हेतु फोसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रखा-रखाव के लिए 6 वर्षों का घटकावार व्याय का विवरण सहित प्रस्तुत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
8. उपरोक्त वाचित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरात आगामी कार्यवाही की जाएगी।

9. मेसर्स ब्रीमटी संगीता देवी रूपगढ़ा (दुमरछीहकला लाईम स्टोन मार्क), याम—दुमरछीहकला, तहसील व जिला—राजनांदगांव (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1550)

ऑनलाईन आवेदन — प्रपोज्यल नम्बर — एसआईए / सीजी / एनआईएन / 196701 / 2021, दिनांक 08/02/2021 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियों होने से झापन दिनांक 18/02/2021 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वाचित जानकारी दिनांक 30/07/2021 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण — यह पूर्व से संधालित चूना पत्थर (मौजूद खनिज) खदान है। खदान याम—दुमरछीहकला, तहसील व जिला—राजनांदगांव स्थित पाटे और खसरा क्रमांक 181 / 1, कुल क्षेत्रफल—1.296 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्थनन क्षमता—11,400 टन प्रतिवर्ष है।

लदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एसईएसी छत्तीसगढ़ के झापन एवं ई-मैल दिनांक 27/08/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण —

(अ) समिति की 386वीं बैठक दिनांक 01/09/2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि खिलियो कान्फ्रेंसिंग के भाग्यम से उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के यत्र दिनांक 31/08/2021 द्वारा सूचना दी गयी है कि वाचित जानकारी अपूर्ण होने के कारण से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः आगामी आवेदित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोद किया गया है।

समिति द्वारा उत्तमय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में चाहीं गई वाधित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

उदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 18/01/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सुधित किया गया।

(ब) समिति की 395वीं बैठक दिनांक 24/01/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री साहिल रांगटा, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई—

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण—

- पूर्व में घूना पत्थर खदान क्रमांक 181/1, कुल हेक्टेकल-1,296 हेक्टेयर, कमता-11,400 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण समाधात निर्धारण प्राधिकरण, जिला-राजनांदगांव द्वारा दिनांक 06/09/2016 को जारी की गई। यह स्वीकृति दिनांक 31/03/2020 तक की अवधि हेतु जारी की गई थी।
- पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति को शर्तों के पालन में ली गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है।
- निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण नहीं किया गया है।
- कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक 231/ख.लि.01/2021 राजनांदगांव, दिनांक 27/01/2021 द्वारा विगत बर्षी में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है—

| वर्ष | उत्पादन |
|---------|---------|
| 2014–15 | 3,700 |
| 2015–16 | 299 |
| 2016–17 | 4,011 |
| 2017–18 | 7,000 |
| 2018–19 | 7,000 |
| 2019–20 | 12,200 |

- कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) द्वारा विगत बर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी में उत्पादन की इकाई (Unit) का चल्लेक्ष्य नहीं है।
- ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र — उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत बुमरडीहकला का दिनांक 28/03/2008 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। ग्राम पंचायत को अनापत्ति प्रमाण पत्र की अद्यतन प्रति कार्यवाही दिवरण लाहित प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
- उत्खनन योजना — मॉडिफिकेशन ऑफ द एप्पलड क्यारी एमान विथ ल्वारी कलोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो संयुक्त-संघालक (ख.प.), जिला-रायपुर के ज्ञापन क्रमांक 391/ख.नि. 02/मा.ए.ल. अनुमोदन/न.अ.05/2019(2) नवा रायपुर, दिनांक 27/01/2021 द्वारा अनुमोदित है।
- 500 मीटर की परिधि में रिस्तत खदान — कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला-राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक/217/ख.लि.01/2021 राजनांदगांव, दिनांक 25/01/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अपरिधित 32 खदान, हेक्टेकल 32.47 हेक्टेयर है।



5. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक होमेन/संरचनाएँ – कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला-राजनांदगांव के डापन क्रमांक /2566/ख.सि. 02/2021 राजनांदगांव, दिनांक 18/10/2019 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक होमेन जैसे महिर, भरधट, स्कूल, अस्पताल, पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित होमेन निर्मित नहीं है।
6. लीज का विवरण – लीज श्रीमती सामीता देवी लंगटा के नाम पर है। लीज और 05 वर्षों अर्थात् दिनांक 26/08/2008 से 25/08/2013 तक थी। लीज का प्रथम नवीनीकरण दिनांक 26/08/2013 से 25/08/2018 तक थी। तत्पश्चात् लीज 20 वर्षों अर्थात् दिनांक 26/08/2018 से 25/08/2038 तक विस्तारित है।
7. भू-स्वामित्व – भूमि श्री मठेन्द्र लम्हार के नाम पर है। उत्थनन हेतु भूमि श्वामी का सहमति पत्र की प्रति प्रस्तुत जौ गई है।
8. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
9. बन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र – कार्यालय बन मण्डल अधिकारी, राजनांदगांव बन मण्डल, जिला-राजनांदगांव के डापन क्रमांक/मा.सि./5-19/3983 राजनांदगांव, दिनांक 16/05/2008 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
10. महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी – बिकटम आबादी ग्राम-ठेल्काडीह 0.5 कि.मी. एवं स्कूल ग्राम-ठेल्काडीह 1.5 कि.मी. एवं अस्पताल ग्राम-ठेल्काडीह 0.6 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 16 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 0.77 कि.मी. दूर है। बरसाती नाला 0.4 कि.मी. दूर है।
11. पारिसिध्दतिकीय/जैवविविधता संवेदनशील होमेन – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय तीमा, राष्ट्रीय सुदान, अभयारण्य, बैन्दीय प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड द्वारा घोषित छिटिकली पील्युटेड एरिया, पारिसिध्दतिकीय संवेदनशील होमेन या घोषित जैवविविधता होमेन स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।
12. खनन संपदा एवं खनन का विवरण – जियोलॉजिकल रिजर्व लगभग 4,86,850 टन, माइनेबल रिजर्व लगभग 2,38,350 टन एवं रिकवरेबल रिजर्व लगभग 2,14,515 टन है। लीज की 7.5 मीटर छोड़ी शीमा पट्टी (उत्थनन के लिए प्रतिबंधित होमेन) का होमेनपाल 4,485 वर्गमीटर है। औपन कास्ट सेमी मेक्रेनाईज्ड विधि से उत्थनन किया जाता है। उत्थनन की प्रस्तावित अधिकारम गहराई 20 मीटर है। ऊपरी गिट्टी की गोटाई 0.5 मीटर है तथा कुल मात्रा 3,280 घनमीटर है। इस गिट्टी को शीमा पट्टी (7.5 मीटर) में फैलाकर वृक्षारोपण के लिए उपयोग किया जाएगा। बैच की ऊचाई 1.5 मीटर एवं छोड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की समावित आयु 23.56 वर्ष है। लीज होमेन में क्रासर स्थापित है जिसका होमेनफ्ल 100 वर्गमीटर है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं ब्लारिटिंग किया जाता है। खदान में वायु प्रदूषण नियन्त्रण हेतु जल का छिह्नकाल किया जाता है। वर्षदार प्रस्तावित उत्थनन का विवरण निम्नानुसार है:-



| वर्ष | प्रस्तावित उत्तराखन (टन) | वर्ष | प्रस्तावित उत्तराखन (टन) |
|------|--------------------------|------|--------------------------|
| 2020 | 11,200 | 2025 | 11,200 |
| 2021 | 10,500 | 2026 | 10,500 |
| 2022 | 11,375 | 2027 | 11,375 |
| 2023 | 8,750 | 2028 | 8,750 |
| 2024 | 8,750 | 2029 | 8,750 |

13. जल आपूर्ति – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 5.76 घनमीटर प्रतिदिन होती है। खदान में विभिन्न क्रियाकलापों (जल छिड़काव, वृक्षारोपण) हेतु जल की आपूर्ति आरपान स्थित निष्क्रिय खदानों में एकत्रित जल एवं पैदजल की आपूर्ति ग्राम पंचायत द्वारा टैकर के माध्यम से की जाएगी। इस बाबत् अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
14. वृक्षारोपण कार्य – लौज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 700 नग वृक्षारोपण किया जाएगा। वर्तमान में 400 नग वृक्षारोपण किया गया है।
15. खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्तराखन – प्रसूतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि लौज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी का कुल क्षेत्रफल 4,485 घनमीटर क्षेत्र है, जिसमें से पूर्व दिशा में 952.5 घनमीटर क्षेत्र 4 मीटर की गहराई तक उत्तराखित है। प्रतिवर्षित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी ने उत्तराखन किया जाना पर्यावरणीय स्थीकृति की शर्तों का उल्लंघन है। अतः परियोजना प्रस्तावक के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक दम्भाल्पक कार्यवाही किया जाना आवश्यक है। साथ ही पूर्व से उत्तराखित क्षेत्र को पुनर्भवाव एवं रिजर्व की गणना कर संशोधित अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
16. उल्लेखनीय है कि भारत सरकार, पर्यावरण, यन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा नौंन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु मानक पर्यावरणीय शर्तें जारी की गई हैं। शर्त क्रमांक viii(i) के अनुसार—

"The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

उक्त मानक शर्त के अनुसार माईन लौज को अंदर 7.5 मीटर भीड़ से पर्यावरणीय जौन में वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक है।

17. सीईआर का विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया है। सीईआर का विस्तृत प्रस्ताव एवं प्रस्तावित स्कूल के प्राचार्य (Principal) का सहमति पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
18. सीईआर के लहर वृक्षारोपण हेतु पौधों का रोपण, सुख्ता हेतु फेसिंग खाद एवं सिंचाई तथा रख-रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकावार व्यय का विवरण सहित विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिलि द्वारा विचार विभाग उपरान्त सर्वसम्मति से नियमानुसार निर्णय लिया गया:-



1. विनायक घरी में किये गये उत्थनन की जानकारी में उत्पादन की इकाई (Unit) का उल्लेख करते हुये खनिज विभाग से प्रमाणित करा जाए प्रस्तुत किया जाए।
 2. उत्थनन एवं छापर (यदि हो तो) हेतु ग्राम पंचायत के अनापति प्रमाण पत्र ही (बैठक दिनांक, संधिव एवं सरपंच के हस्ताक्षर सहित) अद्यतन प्रति कार्यवाही विवरण सहित प्रस्तुत किया जाए।
 3. जल की आपूर्ति हेतु ग्राम पंचायत का अनापति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।
 4. उपरोक्त विवरण अनुसार संशोधित अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया जाए।
 5. प्रतिबंधित 7.5 मीटर छीड़ी सीमा पट्टी में अदैव उत्थनन किया जाना पाये जाने पर परियोजना प्रस्तावक को विस्तृत नियमानुसार आवश्यक दफ्तरात्मक कार्यवाही किये जाने हेतु संचालक, समिक्षी तथा खनिकने, इन्डायटी भवन, नवा रायपुर अटल नगर को आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु पत्र प्रेषित किया जाए।
 6. सौ.ई.आर. का विस्तृत प्रस्ताव एवं प्रस्तावित स्कूल के प्राचार्य (Principal) का सहमति पत्र प्रस्तुत किया जाए।
 7. लीज क्लैब की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर ली पट्टी में एवं सौ.ई.आर. के तहत दृक्षारोपण हेतु पीथों का शोपण, सुख्ता हेतु पौरिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख—रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकावर व्यव का विवरण सहित विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
 8. उपरोक्त वाइल जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने तपरात आगामी कार्यवाही की जाएगी।
- परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।
10. मैसर्स श्री महेश कुमार लौहानी (जोरातराई लाईम स्टोन माईन), ग्राम—जोरातराई, तहसील व जिला—राजनांदगांव (संधिवालय का नस्ती क्रमांक 1527)
- ऑनलाईन आवेदन — प्रपोजल नम्बर — एसआईए /सीजी /एमआईएन /193223 /2021, दिनांक 18 /01 /2021 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियों होने से ज्ञापन दिनांक 27 /01 /2021 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वाइल जानकारी दिनांक 06 /08 /2021 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण — यह पूर्व से संचालित गूना पत्थर (ग्रीन खनिज) खदान है। खदान ग्राम—जोरातराई, तहसील व जिला—राजनांदगांव स्थित खस्ता क्रमांक 87, 89, 90 एवं 91, कुल क्लैबफल—1.113 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्थनन क्षमता—12,000 टन प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन एवं ई-मेल दिनांक 27 /08 /2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण —

(अ) समिति की 38वीं बैठक दिनांक 01 /09 /2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि विडियो कानूनसिंग के मध्यम से उपरिख्यत नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 31/08/2021 हारा सूचना दी गयी है कि बाहित जानकारी अपूर्ण होने के कारण से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपरिख्यत होना समय नहीं है। अतः आगामी आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति हारा उत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में घाटी गई बाहित जानकारी एवं समस्त हुसांगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तथानुसार परियोजना प्रस्तावक को एसईएसी, छत्तीसगढ़ के झापन दिनांक 18/01/2022 हारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 395वीं बैठक दिनांक 24/01/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री दिनेश लोहानी, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति हारा नवीनी, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर मिम्न रिपोर्ट पाइ गई—

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण—

- इस खाद्यन को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
- कार्यालय कलेक्टर (खानि शास्त्रा), जिला—राजनांदगांव के झापन क्रमांक /4043/ख.लि.02/2020 राजनांदगांव, दिनांक 13/10/2020 हारा जिला दर्शी में किये गये उत्खनन की जानकारी मिम्नानुसार है—

| वर्ष | उत्पादन (टन) |
|---------|--------------|
| 2014–15 | 5,599 |
| 2015–16 | 5,618 |
| 2016–17 | |
| 2017–18 | |
| 2018–19 | निरंक |
| 2019–20 | |

- उक्त जानकारी में वर्ष 2016–17 एवं 2017–18 में किये गये उत्खनन के विवरण का स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है।
- समिति के संझान में यह लक्ष्य आया कि पूर्व में परियोजना प्रस्तावक हारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने हेतु जिला स्तरीय पर्यावरण समाधान मिर्चारण प्राधिकरण, जिला—राजनांदगांव में दिनांक 23/01/2017 को आयोद्यन किया गया था। तत्समय आयोद्यन को बन बोत्र से 250 बीटर के अंतर्गत आने के कारण उक्त प्रकरण को दिनांक 29/01/2018 हारा निरस्त किया गया था।
- ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र — उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत जोरातराई का दिनांक 26/08/2014 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
- उत्खनन योजना — मौडिकाईड क्षारी प्लान (क्षारी कम इन्हायरेमेंट मेनेजमेंट प्लान) प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (ख.प्र.), सचालनालय, नीमिकी तथा खनिकर्म, नवा रायपुर अटल नगर के झापन क्रमांक 5435/खानि 02/ना. पर.अनुमोदन/न.क.05/2019(2) नवा रायपुर, दिनांक 17/12/2020 हारा अनुमोदित है।



4. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान – कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला-राजनांदगांव के आपन क्रमांक 972/ख.लि.03/2021 राजनांदगांव, दिनांक 26/07/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर की ओरिंगल 22 खदानें क्षेत्रफल 23.722 हेक्टेयर हैं।
5. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक धोत्र/संरचनाएं – कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला-राजनांदगांव के आपन क्रमांक 331/ख.लि. 03/2020 राजनांदगांव, दिनांक 05/02/2020 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक धोत्र जैसे महिर, मरघट, स्कूल, अस्पताल, पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबन्धित होते निर्मित नहीं हैं।
6. भूमि एवं लीज का विवरण – भूमि एवं लीज व्ही महेश कुमार लोहानी के नाम पर है। लीज डीड 05 वर्षों अर्थात् दिनांक 30/01/2013 से 29/01/2018 तक थी। एलओआई, वी. वैष्णव युद्ध बाबत् न्यायालय संवालक भीमिकी तथा खनिकर्म, नवा रायपुर अटल नगर के पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक 49/2016 द्वारा जारी पारित आदेश दिनांक 02/06/2021 की प्रति प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार “उपरोक्त विवेचना के आधार पर पुनरीक्षण स्वीकार करते हुये प्रकरण कलेक्टर राजनांदगांव को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि पुनरीक्षणकर्ता द्वारा राज्य रक्षायी पर्यावरण समाधात प्राधिकारी रायपुर के पर्यावरण सम्मति प्राप्त कर प्रस्तुत करने पर अधिकारी कार्यवाही एवं पूरक अनुबंध निष्पादन हेतु छः माह की अतिरिक्त अवधि बढ़ाई जाती है। तदानुसार पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक 49/2018 स्वीकार किया जाता है।” होना जाता या गया है।
7. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
8. बन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र – कार्यालय बनमण्डल अधिकारी, राजनांदगांव बनमण्डल, जिला-राजनांदगांव के आपन क्रमांक/मार्गि. /6-19/7937 राजनांदगांव, दिनांक 06/11/2007 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
9. महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी – निकटतम आवादी ग्राम-मुठीपार 1.7 कि.मी. स्कूल ग्राम-मुठीपार 1.7 कि.मी. एवं अस्पताल राजनांदगांव 15 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 6 कि.मी. एवं राजमार्ग 10.5 कि.मी. दूर है। तालाब 850 मीटर दूर है। मनस्ता बन धोत्र 0.19 कि.मी. दूर है।
10. पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील होत्र – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अत्यन्त जैविक सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदृष्टण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पौल्युटोड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील होत्र या घोषित जैवविविधता होत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।
11. स्थगन संघर्षा एवं स्थगन का विवरण – प्रियोलीजिकल रिजर्व लगभग 9,18,225 टन, माईनेशल रिजर्व लगभग 1,77,015 टन एवं रिकवरेशल रिजर्व लगभग 1,35,015 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्थनन के लिए प्रतिबन्धित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 3.333 वर्गमीटर है। औपन कास्ट सेमी ऐकेनाईज्ड पिंड से उत्थनन किया जाता है। उत्थनन की प्रस्तावित अधिकतम

माहराई 33 मीटर है। ऊपरी मिट्टी की भौमाई 1 मीटर है। बैच की कमाई 3 मीटर एवं छोड़ाई 3 मीटर है। खदान की संभावित आयु 10 वर्ष है। लीज क्षेत्र में कशर स्थापित नहीं है एवं इसकी स्थापना का प्रस्ताव नहीं किया गया है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं ब्लास्टिंग किया जाता है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल छिकाव की व्यवस्था की गई है। कर्मवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:-

| वर्ष | प्रस्तावित उत्खनन (टन) | वर्ष | प्रस्तावित उत्खनन (टन) |
|---------|------------------------|-------|------------------------|
| प्रथम | 12,000 | छठम | 12,000 |
| द्वितीय | 12,000 | सप्तम | 12,000 |
| तृतीय | 12,000 | अष्टम | 12,000 |
| चतुर्थ | 12,000 | नवम | 12,000 |
| पंचम | 12,000 | दशम | 12,000 |

12. जल आपूर्ति - परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 8 घनमीटर प्रतिदिन होती है। खदान में डिमिन कियाकलायी (जल छिकाव, वृक्षारोपण) हेतु जल की आपूर्ति आसपास स्थित नियंत्रिय खदानों में एकत्रित जल एवं पेयजल की आपूर्ति द्वयूब बैल के माध्यम से की जाती है। इस बाबत अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

13. अनुमोदित माईनिंग प्लान अनुसार पेयजल की आपूर्ति द्वयूब बैल के माध्यम से की जाएगी। इस संबंध में उनके द्वारा यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि प्रस्तावित द्वयूब बैल सार्वजनिक है अथवा निजी?

- यदि स्थित द्वयूब बैल लीज क्षेत्र के भीतर अथवा अन्य स्थल पर व्यक्तिगत हो तो भू-जल की उपयोगिता हेतु सेन्ट्रल शाउण्ड बीटर अवॉरिटी ने अनुमति प्राप्त किया जाना आवश्यक है।
- यदि द्वयूब बैल सार्वजनिक हो तो जल आपूर्ति हेतु ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

14. वृक्षारोपण कार्य - लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 800 नग वृक्षारोपण किया जाएगा।

15. खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन - प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा कहा गया कि लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी का कुल क्षेत्रफल 3,333 वर्गमीटर क्षेत्र है, जिसमें से दक्षिण दिशा में 652.5 वर्गमीटर क्षेत्र 5.5 मीटर की गहराई एवं परिवर्ती दिशा में 375 वर्गमीटर क्षेत्र 4.5 मीटर की गहराई तक उत्खनन किया गया है। प्रतिवर्षित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन किया जाना पर्यावरणीय स्तीखूति की हाती का उल्लंघन है। अतः परियोजना प्रस्तावक को पिरुद्ध नियमानुसार आवश्यक दण्डात्मक कार्रवाही किया जाना आवश्यक है। साथ ही पूर्व से उत्खनित क्षेत्र को पुनर्भव एवं रिजर्व की गणना कर संशोधित अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

16. उल्लेखनीय है कि भारत सरकार, पर्यावरण बन एवं जलयोग्य परिवर्तन बंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा नीन कोल माईनिंग ब्रौजेकट्स हेतु मानक पर्यावरणीय शर्तें जारी की गई हैं। शर्त क्रमांक VIII (ii) के अनुसार-

"The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

उक्त भानक हते के अनुसार माईन लीज लोड के अंदर 7.5 मीटर छोड़ सेपटी जौन में वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक है।

17. गैर माईनिंग लोड - अनुमोदित वारी प्लान अनुसार लीज लोड के उत्तर दिशा में 50 मीटर (1.133 अर्गनीटर) को गैर माईनिंग लोड रखा जाएगा।
18. लीज लोड में ऊपरी मिटटी (Top Soil) की मोटाई 1 मीटर है। ऊपरी मिटटी (Top Soil) की मात्रा, उपयोग एवं भंडारण की उपयुक्त व्यवस्था को समाहित करते हुए संशोधित अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
19. सीईआर का विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया है। सीईआर का विस्तृत प्रस्ताव एवं प्रस्तावित स्कूल के प्राचार्य (Principal) का सहमति पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा विचार विभास उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत किया जाए।
2. मनधटा बन लोड से दूरी के संबंध में बन विभाग से जानकारी एवं अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।
3. उपरोक्त विवरण को स्पष्ट करते हुये पैदल आपूर्ति हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।
4. ऊपरी मिटटी (Top Soil) की मात्रा, उपयोग एवं भंडारण की उपयुक्त व्यवस्था को समाहित करते हुए संशोधित अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया जाए।
5. प्रतिबंधित 7.5 मीटर छोड़ी सीमा पट्टी में अपेक्षित उत्खनन किया जाना पाये जाने पर परियोजना प्रस्तावक के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक दण्डात्मक कार्यवाही किये जाने हेतु संचालक, भौमिकी तथा खानेकर्म, इन्द्रावही भवन, नवा रायपुर अटल नगर को आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु पत्र द्वेषित किया जाए।
6. सीईआर का विस्तृत प्रस्ताव एवं प्रस्तावित स्कूल के प्राचार्य (Principal) का सहमति पत्र प्रस्तुत किया जाए।
7. लीज लोड की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में एवं सीईआर के तहत वृक्षारोपण हेतु धीधों का रोपण, चुखा हेतु फॉलिंग, खाव एवं सिंधाई तथा रुख-रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकावार व्यय का विवरण सहित विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
8. उपरोक्त वाधित जानकारी/वस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को लदानुसार सूचित किया जाए।

11. मेसारी खजुरी विकास अधीक्षण क्षेत्रीय एन्ड फिक्स विमनी प्लॉट (प्रो.- श्रीमती जग्नुना बाई पाढ़े), याम-खजुरी, तहसील-पथरिया, ज़िला-मुंगेरी (क्रमांक 1735)

ऑनलाइन आवेदन - प्रधानमंत्री ममता - एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 218144 / 2021, दिनांक 02 / 12 / 2020 को ऑनलाइन प्रस्तुत की गई। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाइन आवेदन में समिति होमे से ज्ञापन दिनांक 28 / 07 / 2021 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा याचित जानकारी दिनांक 06 / 08 / 2021 को ऑनलाइन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण - यह पूर्व से सचालित मिट्टी उत्थानन (भौमिक्षनिज) खदान एवं फिक्स विमनी ईंट उत्पादन इकाई है। खदान याम-खजुरी, तहसील-पथरिया, ज़िला-मुंगेरी स्थित खासरा क्रमांक 247 / 5, 247 / 6 एवं 247 / 16, कुल हेक्टेक्स - 0.951 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्थानन क्षमता - 1,500 पनमीटर प्रतिवर्ष है।

सदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एसईएसी, उत्तीर्णगढ़ के ज्ञापन एवं ई-मेल दिनांक 27 / 08 / 2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण -

(अ) समिति की 386वीं बैठक दिनांक 01 / 09 / 2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि विडियो कानफ़ेसिंग वा भाष्यम से उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक को पत्र दिनांक 31 / 08 / 2021 द्वारा सूचना दी गयी है कि अपरिहार्य कारणों से समिति के सम्भव बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना समाप्त नहीं है। अतः आगामी आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा तत्त्वान्वय सार्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में याही गई याचित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / यस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

सदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एसईएसी, उत्तीर्णगढ़ के ज्ञापन दिनांक 18 / 01 / 2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 395वीं बैठक दिनांक 24 / 01 / 2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु भी रुपाय कुमार दानी, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा सर्ती, प्रस्तुत जानकारी का अहलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई-

i. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:-

- i. पूर्व में मिट्टी खदान खासरा क्रमांक 247 / 5, 247 / 6 एवं 247 / 16, कुल हेक्टेक्स - 0.951 हेक्टेयर क्षमता - 1,500 पनमीटर प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति ज़िला रक्षाय पर्यावरण समाधान नियांशण द्वायित्वण ज़िला-मुंगेरी द्वारा दिनांक 04 / 01 / 2017 को जारी की गई। यह स्वीकृति जारी दिनांक से 5 वर्ष की अवधि हेतु जारी की गई।
- ii. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन से की गई कायवाही की जानकारी प्रस्तुत नहीं है।
- iii. निचीरित सर्तानुसार दृष्टान्त पढ़ी किया गया है।

B.L.

iv. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-मुगेली के ज्ञापन क्रमांक 1370 / खलि-02 / 2021 मुगेली, दिनांक 26 / 07 / 2021 द्वारा विनाश वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है—

| वर्ष | उत्पादन (घनमीटर) |
|--|------------------|
| दिनांक 04 / 01 / 2017 से 31 / 03 / 2017 | निरक |
| 2017–18 | 1,237 |
| 2018–19 | 2,000 |
| 2019–20 | 757.2 |
| 2020–21 | 1,822.4 |

- v. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्थीरता दिनांक 04 / 01 / 2017 से दिनांक 5 वर्ष हेतु जारी की गई थी। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) द्वारा विनाश वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी अनुसार वर्ष 2018–19 में 2,000 घनमीटर एवं वर्ष 2020–21 में 1,822.4 घनमीटर का उत्पादन किया गया है। जो कि जारी पर्यावरणीय स्थीरता के राहे से अधिक है। अतः उक्त प्रकारण उत्खनन की खेती में आता है।
2. याम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र – उत्खनन के संबंध में याम पंचायत सावतपुर का दिनांक 09 / 12 / 2009 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। याम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र की अदातन प्रति कार्यवाही विवरण सहित प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
3. उत्खनन योजना – खड़ारी खदान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (खनि प्रशासन), जिला-बलौदाबाजार-भाटापाला के ज्ञापन क्रमांक 1234 / खलि / तीन-1 / 2015 बलौदाबाजार, दिनांक 25 / 10 / 2016 द्वारा अनुमोदित है।
4. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-मुगेली के ज्ञापन क्रमांक 1370 / खलि-03 / 2021 मुगेली, दिनांक 26 / 07 / 2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर की भीतर अवस्थित 1 रेत खदान को चक्रफल 4 हेक्टेएर होना चाहिया गया है, जिसमें केवल विद्यारात्मीन खदान के लीज सीमा से 500 मीटर की परिधि में अवस्थित खदानों का विवरण हिया गया है। उक्त प्रमाण पत्र से यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि उक्त खदानों को 500 मीटर की भीतर अन्य खदान हैं अथवा नहीं? इंआईए नोटिफिकेशन 2008 (यथा संशोधित) में परिभाषित कलस्टर अनुसार “कोई कलस्टर उस समय बनाया जाएगा, जब एक लीज की परिसरी की बीच दूसी उस सदृश खनिज क्षेत्र में अन्य पट्टे के परिसर से 500 मीटर से ज्यादा है।” अर्थात् कलस्टर हेतु होमोजिनियस मिनरल क्षेत्र में विद्यारात्मीन खदान के लीज सीमा से 500 मीटर की भीतर आने वाले सभी खदानों को शामिल करते हुए तथा इस प्रकार शामिल खदानों के लीज सीमा को 500 मीटर की भीतर आने वाले अन्य सभी खदानों को (कलस्टर में खदानों को वही तक शामिल किया जाए जहाँ तक 500 मीटर की दूरी में कोई खदान अवस्थित न हो) शामिल किया जाना चाहिए।
5. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/ सरबनाए – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-मुगेली के ज्ञापन क्रमांक 1370 / खलि-03 / 2021 मुगेली, दिनांक 26 / 07 / 2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे प्रार्थनीक इथल, मंदिर, भस्तिट, मरमट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनीकाट, राष्ट्रीय राजमार्ग एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिष्ठित क्षेत्र निर्मित नहीं है।



6. लीज का विवरण – पूर्व में लीज भीगती जमुना बाई पांडे के नाम पर है। लीज भीड 30 वर्षों अर्थात् दिनांक 30/10/2012 से 29/10/2042 तक की अवधि हेतु विच है।
7. भू-स्थानिक्य – भू-स्थानिक्य संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है।
8. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की वित्ती प्रस्तुत की गई है।
9. बन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र – लीज सीमा से निकटतम बन क्षेत्र एवं अभ्यारण्य/टाइगर रिजर्व की वास्तविक दूरी संबंधी जानकारी बन विभाग से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।
10. महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी – निकटतम अवधारी ग्राम-खाजुरी 2 कि.मी. लग्नुल ग्राम-खाजुरी 2 कि.मी. एवं वास्तविक सरगांव 6 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 65 कि.मी. एवं राजमार्ग 15 कि.मी. दूर है। शिवनाथ नदी 50 मीटर दूर है।
11. पारिस्थितिकीय/जौविविधता संवेदनशील क्षेत्र – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राष्ट्रीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड द्वारा घोषित विटिकली पील्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जौविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया गया है।
12. स्वनन संपर्क एवं स्वनन का विवरण – जियोटीजिकल रिजार्ड 19,020 घनमीटर एवं बाईनेवल रिजार्ड 16,190 घनमीटर है। लीज की 1 मीटर भीड़ी सीमा पट्टी (उत्तरनन के लिए प्रतिबाहित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 405 घनमीटर है। औपन काप्ट मैन्युअल विधि से उत्तरनन किया जाता है। उत्तरनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 2 मीटर है। लीज क्षेत्र के भीतर 950 घनमीटर में क्षेत्र ईंट निर्माण हेतु भवता स्थापित है, जिसकी फिल्स गिम्नी की ऊंचाई 33 मीटर है। ईंट निर्माण हेतु निटटी के साथ 25 प्रतिशत पत्ताई ऐसा का उपयोग किया जाता है। बंध की ऊंचाई 1 मीटर एवं चौड़ाई 1 मीटर है। स्वानन की समाप्ति आयु 11 वर्ष है। स्वानन में आयु प्रदूषण नियन्त्रण हेतु जल का छिड़करण किया जाता है। अनुसन्धित बड़ारी प्लान अनुसार प्रस्तावित वर्षानार प्रस्तावित उत्तरनन का विवरण निम्नानुसार है—

| वर्ष | प्रस्तावित उत्तरनन (घनमीटर) | वर्ष | प्रस्तावित उत्तरनन (घनमीटर) |
|---------|-----------------------------|-------|-----------------------------|
| प्रथम | 1,500 | पठ्ठम | 1,500 |
| द्वितीय | 1,500 | सप्तम | 1,500 |
| तृतीय | 1,500 | आठम | 1,500 |
| चतुर्थ | 1,500 | नवम | 1,500 |
| पंचम | 1,500 | दशम | 1,500 |

13. जल आपूर्ति – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 5.56 घनमीटर प्रतिदिन होती है। जल की आपूर्ति ग्राम पंचायत द्वारा टैकर के भावयम से किया जाता है। इस ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

14. वृक्षारोपण कार्य – लीज क्षेत्र की सीमा में आरो ओर 1 मीटर की पट्टी में 194 नग पृक्षारोपण किया जाएगा।

15. लीज क्षेत्र से 50 मीटर की दूरी पर शिवनाथ नदी है। समिति का मत है कि शिवनाथ नदी से न्यूमान 100 मीटर की दूरी स्थान लाना आवश्यक है। अतः शिवनाथ नदी से लीज क्षेत्र की तरफ अतिरिक्त 50 मीटर छोड़ा जाना आवश्यक

है। अतः उक्त का समावेश कर समीक्षित अनुमोदित माइनिंग घटान प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

16. इंटर निर्माण हेतु उपयोग में लाए गए कोयले की मात्रा एवं उससे जनित ऐश की मात्रा एवं रिजेक्ट ब्रिक्स (Reject bricks) / ब्रोकन ब्रिक्स (Broken bricks) के उपयोग की जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
17. सीईआर का विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया है। सीईआर का विस्तृत प्रस्ताव एवं प्रस्तावित स्कूल के प्राचार्य (Principal) का सहभाति पन्थ प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
18. कार्यालय कलेक्टर खनिज शासा, जिला-भूगोली द्वारा जारी विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी का समिति द्वारा अपलोड कर्ता नोट किया गया कि परियोजना प्रस्तावक को पर्दे में जारी पर्यावरणीय स्थीरकृति से अधिक का उत्खनन किया गया है। जबकि परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाइन आवेदन में उपरोक्त उत्खनण का उल्लेख नहीं किया गया है। समिति का नह है कि ऑनलाइन आवेदन में उल्लंघन का उल्लेख किया जाना आवश्यक है।
19. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्थीरकृति की उत्पादन कमता 1,500 घनमीटर प्रतिवर्ष से अधिक थी वर्ष 2018-19 में 2,000 घनमीटर एवं वर्ष 2020-21 में 1,822.4 घनमीटर अवधि उत्पादन किया जाना यारं जाने पर परियोजना प्रस्तावक के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक दण्डालम्बक कार्यवाही किये जाने हेतु संचालक भौमिकी तथा खनिकर्म, इन्द्रागती भवन या रायपुर अटल नगर का आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु पन्थ प्रेषित किया जाए।

समिति द्वारा विचार विभार्ता उपरोक्त सर्वसम्मति से उपरोक्त दीप अनुसार आवेदित प्रकरण को डि-लिस्ट/निरस्त किये जाने की अनुशंसा की गई। राष्ट्र ही समिति द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक दण्डालम्बक कार्यवाही किये जाने हेतु संचालक भौमिकी तथा खनिकर्म, इन्द्रागती भवन या रायपुर अटल नगर का आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु पन्थ प्रेषित किया जाए।

राज्य सरकारी पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राचिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.) छत्तीसगढ़ को तदानुसार सुधित किया जाए।

12. मेसार्व भैसगांव लाईम स्टोन कंपारी (प्रो.- श्री करन मानुशाली), गुम-भैसगांव, तहसील व जिला-बस्तर (साधिवालय का नस्ती क्रमांक 1763) ऑनलाइन आवेदन - प्रपोजल नम्बर - एसआईए / सीजी / एमआईएन / 224584 / 2021, दिनांक 15 / 08 / 2021।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्रस्तावित छुना पर्शर (गोण खनिज) खदान है। खदान गुम-भैसगांव, तहसील व जिला-बस्तर विधि चक्रता क्रमांक 1057, कुल क्षेत्रफल- 1.21 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन कमता - 26,260 टन प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के छापन एवं ई-मेल दिनांक 02 / 09 / 2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सुधित किया गया।

बैठकों का विवरण -

- (अ) समिति की 387वीं बैठक दिनांक 06 / 09 / 2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि विहियो कार्यक्रम की मांगम री उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पश्च दिनांक 06/09/2021 द्वारा सूचना दी गयी है कि अपविहारी कारणों से समिति के समझ बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना समव नहीं है। अतः आगामी आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा तत्काल जारीसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में खाली गई वाइट जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दरराखेज लाइट प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एसईएसी छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 18/01/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 395वीं बैठक दिनांक 24/01/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु की घटना नानुशासी अधिकात प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परोक्षण करने पर निम्न सिध्दि पाई गई—

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण—इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
2. ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र—उल्लङ्घन के संबंध में ग्राम पंचायत भैसांगत का दिनांक 07/09/2020 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. उल्लङ्घन योजना—कारी प्लान एलांग विध क्वारी वलोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो गानि अधिकारी, जिला-दलिङ बस्तर दतेवाड़ा के ज्ञापन तामाक 300/खनिज/उल्लङ्घा./2021-22 दतेवाड़ा, दिनांक 03/08/2021 द्वारा अनुमोदित है।
4. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान—कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जगदलपुर, जिला-बस्तर के ज्ञापन तामाक 1893/खनिज/ख.लि. 4/19/2020-21/र.प./2021 जगदलपुर, दिनांक 11/08/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर की भीतर अवस्थित 1 खदान, क्षेत्रफल 1 हेक्टेयर होना बताया गया है जिसमे कैबल विद्युताधीन खदान के लौज शीमा से 500 मीटर के परिसीमे अवस्थित खदानों का विवरण दिया गया है। उक्त प्रमाण पत्र से यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि उक्त खदानों को 500 मीटर की भीतर अन्य खदान है अथवा नहीं? ईआईए नोटिफिकेशन 2006 (यथा संशोधित) मे परिभाषित बलरूटर अमुतार “कोई बलरूटर उस समय बनाया जाएगा, जब एक लौज के परिसीमों के बीच दूरी उस सदृश खनिज होज में अन्य पट्टे के परिसर से 500 मीटर से कम है।” अर्थात् बलरूटर हेतु होगोजिनियस मिनरल होज मे विद्युताधीन खदान के लौज शीमा से 500 मीटर की भीतर आने वाले रागी खदानों को शामिल करते हुए तथा इस प्रकार शामिल खदानों के लौज शीमा के 500 मीटर के भीतर आने वाले अन्य रागी खदानों को (बलरूटर मे खदानों को वही तक शामिल किया जाए, जहाँ तक 500 मीटर की दूरी में कोई खदान अवस्थित न हो) शामिल किया जाना चाहिए।
5. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक होज/सरचनाए—कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जगदलपुर, जिला-बस्तर के ज्ञापन तामाक 1895/खनिज/ख.लि.4/19/2020-21/र.प./2021 जगदलपुर, दिनांक 11/08/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर परी



परिषिय में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मराघट, अस्पताल, बाब्च, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्यमार्ग एवं एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

6. एलओआई, सर्वधी विवरण — एलओआई, कार्यालय निकटर (खगिज खाला) जगदलपुर, जिला-बस्तर के ज्ञापन क्रमांक 1201/खनिज/ख.ति 4/19/2020-21/खनिज/ख.प./2021 जगदलपुर, दिनांक 31/05/2021 द्वारा जारी की गई, जिसकी फैप्टा जारी दिनांक से 1 वर्ष की अवधि राफ़ है।
7. घू—खामित्व — घूमि भी खिलाड़ी भानुशाली के नाम पर है। उत्थनन हेतु घूमि रखानी का तहमति पत्र की प्रति प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
8. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट — वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
9. बन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र — कार्यालय बन बन्धलाहिकारी, घनमण्डल जिला-बस्तर, के ज्ञापन क्रमांक/क.स.अ./08 जगदलपुर, दिनांक 01/12/2021 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र निकटतम बन क्षेत्र की सीमा से 0.3 किमी की दूरी पर है।
10. महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी — निकटतम आबादी ग्राम—मैसरगांव 1.5 किमी एवं स्कूल ग्राम—मैसरगांव 1.7 किमी की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 2 किमी दूर है। मारकण्डी नदी 1 किमी दूर है।
11. पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र — परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 किमी की परिषिय में असरज्जीवी सीमा, राष्ट्रीय उदान, अन्यायालय, चैन्डीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पीस्युटेक एवं या पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिक्षेपित किया है।
12. खनन संपर्क एवं खनन का विवरण — जियोलॉजिकल रिजर्व लगभग 6,44,500 टन, माइग्रेशन रिजर्व लगभग 2,82,800 टन एवं रिक्वरेबल रिजर्व 2,54,340 टन है। लीज की 7.5 मीटर और सीमा पट्टी (उत्थनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 3,064 वर्गमीटर है। औपन बनस्ट सेमी मेक्रोनाइज्ड खिली से उत्थनन किया जाएगा। उत्थनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 18 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 1 मीटर है तथा कुल मात्रा 9,036 घनमीटर है। ऊपरी मिट्टी को सीमा पट्टी (7.5 मीटर) में फैलाकर कृषाग्रोपण के लिए उपयोग किया जाएगा। बेंध की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं छीड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की समाप्ति आयु 10 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्षेत्र रक्षाप्रति खिला जाना प्रस्तावित नहीं है। लौक हिमर से ड्रिलिंग एवं ब्लास्टिंग किया जाएगा। खदान में यायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिनकाव किया जाएगा। वर्षावार प्रस्तावित उत्थनन का विवरण निम्नानुसार है—

| वर्ष | प्रस्तावित उत्थनन (टन) | वर्ष | प्रस्तावित उत्थनन (टन) |
|---------|------------------------|-------|------------------------|
| प्रथम | 28,260 | पाटम | 28,260 |
| द्वितीय | 28,260 | सप्तम | 28,260 |
| तृतीय | 28,260 | आठम | 28,260 |
| चतुर्थ | 28,260 | नवम | 28,260 |
| पांचम | 28,260 | दशम | 28,260 |

13. जल आपूर्ति – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 5 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति टैकर द्वारा ग्राम पंचायत के माल्यम से किया जाएगा। इस बाबत ग्राम पंचायत का अनापूर्ति प्रभाण पञ्च प्राप्त प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
14. वृक्षारोपण कार्य – लीज शेत की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 657 नग वृक्षारोपण किया जाएगा।
15. खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन – लीज शेत की चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।
16. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान बताया गया कि ऊपरी मिट्टी (Top Soil) की मोटाई 1 मीटर है तथा कुल मात्रा 9,036 घनमीटर होगा, जिसकी 7.5 मीटर में फैलाकर वृक्षारोपण के लिए उपयोग किया जाएगा। समिति का मत है कि सुखा की दृष्टिकोण से उक्त ऊपरी मिट्टी को 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में रखा जाना उपयुक्त नहीं है। अतः ऊपरी मिट्टी के रख-रखाय हेतु उपरोक्त का समावेश कर, समिति निम्नलिखित नियम प्रस्तुत किया जाने हेतु निर्देशित किया गया।
17. कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीईआर (Corporate Environmental Responsibility) हेतु समिति के समक्ष प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

| Capital Investment (in Lakh Rupees) | Percentage of Capital Investment to be Spent | Amount for CER Activities (in Lakh Rupees) | Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees) | |
|--|--|---|--|--------------------------------------|
| | | | Particulars | CER Fund Allocation (in Lakh Rupees) |
| | | | Following activities at Government Primary School, Village-Bhaisgaon | |
| 27 | 2% | 0.54 | Rain Water Harvesting System | 0.60 |
| | | | Plantation | 0.25 |
| | | | Total | 0.85 |

18. सीईआर का प्रस्ताव एवं प्रस्तावित रकम के प्राचार्य (Principal) का सहमति पञ्च प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
19. लीज शेत की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में एवं सीईआर के तहत वृक्षारोपण हेतु गोधो का रोपण, सुखा हेतु फैसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख-रखाय की लिए 5 वर्षों का पटकायार धार्य का विवरण सहित प्रस्तुत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा विचार पिंगरा उपरात सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

- प्रस्तुत 500 मीटर के प्रभाण पञ्च से यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि सक्त खदानों के 500 मीटर के भीतर अन्य खदान हैं अथवा नहीं? इ.आई.ए. नोटिफिकेशन,

2008 (यथा संशोधित) में परिसापृष्ठ बलस्टर अनुसार “कोई बलस्टर उस समय बनाया जाएगा, जब एक लीज के परिसरों के बीच दूरी उस सदूँशा खानिज क्षेत्र में अन्य पट्टे के परिसर तो 500 मीटर तो कम है।” अर्थात् बलस्टर हेतु होमोजिनियन मिनरल क्षेत्र में विवाराधीन खदान के लीज सीमा से 500 मीटर के भीतर आने वाले रामी खदानों को शामिल करते हुए तथा उस प्रकार शामिल खदानों के लीज सीमा की 500 मीटर के भीतर आने वाले अन्य सभी खदानों को (बलस्टर में खदानों को यही तक शामिल किया जाए, वही तक 500 मीटर की दूरी में कोई खदान अवशिष्ट न हो) शामिल किया जाना चाहिए। अतः उपरोक्तानुसार प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।

2. उत्खनन हेतु भूमि स्थानी का सहमति पत्र वी प्रति प्रस्तुत किया जाए।
 3. ऊपरी मिट्टी (Top Soil) हेतु उपरोक्तानुसार संशोधित अनुमोदित मार्डिनिंग प्लान प्रस्तुत किया जाए।
 4. जल की आपूर्ति हेतु ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।
 5. सीईआर का विस्तृत प्रस्ताव एवं प्रस्तावित स्कूल के प्राचार्य (Principal) का सहमति पत्र प्रस्तुत किया जाए।
 6. लीज क्षेत्र की सीमा में बारी और 7.5 मीटर की पट्टी में एवं सीईआर के लहर दृश्यारोपण हेतु बीचों का रोपण, सुखा हेतु फैसिंग, खाद एवं लिंचाई तथा रख-रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकायार व्यव उन विवरण सहित प्रस्तुत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
 7. उपरोक्त वाहित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरात आगामी कार्यवाही की जाएगी।
- परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

13. मेसर्स अकलसारा डोलोमाइट मार्डेन (प्रो.— श्री गिरवर अग्रवाल), ग्राम—अकलसारा, तहसील—जीजीपुर, जिला—जाओंगीर—चापा (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1785)

ऑनलाईन आवेदन — प्रयोगल नम्बर — एसआईए /सीजी /एगआईए/ 67106 /2021, दिनांक 30 /08 /2021।

प्रस्ताव का विवरण — यह प्रस्तावित डोलोमाइट (सीण खानिज) खदान है। खदान ग्राम—अकलसारा, तहसील—जीजीपुर, जिला—जाओंगीर—चापा स्थित खसरा क्रमांक 804 / 1, 804 / 2, 805, 800 / 5क, 800 / 5थी, 806 एवं 807, कुल क्षेत्रफल— 4.007 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन समता—2,50,000 टन प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक वी एसईएसी, छत्तीसगढ़ के ग्राम दिनांक 08 /09 /2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण —

(अ) समिति की 390वीं बैठक दिनांक 14 /09 /2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री गिरवर अग्रवाल, प्रोप्रोटाइटर विडियो कम्प्लेसिंग के मालिम से उपस्थित हुए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुरोध किया गया कि समिति के सम्भा

अपूर्ण जानकारी / दस्तावेज एवं प्रकरण में तकनीकी त्रुटियाँ होने के कारण से आज बैठक में प्रस्तुतीकरण दिया जाना समय नहीं है। अतः उनके द्वारा आगामी आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा विवार विभासी उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में आही गई याहित जानकारी एवं समस्त सुलभ जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तथानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.इ.ए.सी. छत्तीसगढ़ के ड्रापन दिनांक 18/01/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(स) समिति की 395वीं बैठक दिनांक 24/01/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री विकास केड़िया, अधिकृत प्रतिनिधि उपरिषद हुए। समिति द्वारा नहीं, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न रिप्टि पाइ गई—

- पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण— इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
- याम पचायत का अनापत्ति प्रमाण पञ्च— उत्खनन के संबंध में याम पचायत अकालसरा का दिनांक 21/07/2007 का अनापत्ति प्रमाण पञ्च प्रस्तुत किया गया है। याम पचायत का अनापत्ति प्रमाण पञ्च श्री अद्यतन प्रति कार्यवाही विवरण सहित प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
- उत्खनन योजना — भौडिकाईक जारी प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो संयुक्त संभासक, हांचालनालय भौगोलिक तथा खनिकर्म, नवा रायपुर अटल नगर के ड्रापन क्रमांक 5635/मार्फिंग-2/क्यू.पी./एफ.न. 04/2021 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 30/10/2021 द्वारा अनुमोदित है।
- 500 गीटर की परिष्ठि में रिप्टि खदान — कार्यालय कलेक्टर (खनिज शास्त्र), जिला-जाजीर चांपा के ड्रापन क्रमांक 1036/गौण खनिज/न.क्र. /2021-22 जाजीर, दिनांक 11/08/2021 के अनुसार आयोदित खदान से 500 गीटर के गीटर उपरिष्ठि 5 खदाने, क्षेत्रफल 21.997 हेक्टेयर है।
- 200 गीटर की परिष्ठि ने रिप्टि रायजनिक ढोक/संरचनाएं — कार्यालय कलेक्टर (खनिज शास्त्र), जिला-जाजीर चांपा के ड्रापन क्रमांक 1037/गौण खनिज/न.क्र. /2021-22 जाजीर, दिनांक 11/08/2021 द्वारा जारी प्रमाण पञ्च अनुसार उक्त खदान से 200 गीटर की परिष्ठि ने कोई भी सार्वजनिक ढोक तो से गोदिर, मसिजिद, नरधट, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित ढोक निर्मित नहीं है। बरसाती नाला 50 गीटर दूर है।
- एलओआई, संबंधी विवरण — एलओआई, छत्तीसगढ़ जासन खनिज शास्त्र विभाग, महानवी भवन, नवा रायपुर अटल नगर के ड्रापन क्रमांक एफ 3-13/2011/12 नवा रायपुर, दिनांक 21/10/2020 द्वारा जारी की गई है।
- भू—स्थानिक — भूमि खसाना क्रमांक 805 (क्षेत्रफल 0.595 हेक्टेयर) जासतीय भूमि है। खसाना क्रमांक 804/2 (क्षेत्रफल 0.809 हेक्टेयर) श्रीमाती कान्तारेडी एवं खसाना क्रमांक 807 (क्षेत्रफल 1.129 हेक्टेयर) श्री दीलता राम की नाम पर है। योग भूमि खसाना क्रमांक 804/1 (क्षेत्रफल 0.049 हेक्टेयर), 800/5क, 800/5र (क्षेत्रफल 0.971 हेक्टेयर) तथा खसाना क्रमांक 806 (क्षेत्रफल 0.454 हेक्टेयर) आयोदक के नाम पर है। उत्खनन हेतु भूमि स्थानियों का राहमति पञ्च वी प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट – यां 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत रही गई है।
9. बन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र – कायालय बनमण्डलाधिकारी, जालगीरी-चापा घनमंडल, चापा से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है, जो कि अपठनीय है।
10. महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी – निकटतम आधारी घाम-अकलसरा 1 किमी की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 105 किमी दूर है। नीन नदी 6.5 किमी एवं बोशाई नदी 6.5 किमी दूर है। रालाब 0.94 किमी एवं नहर 0.825 किमी दूर है।
11. पारिसिव्यतिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 किमी की परिधि में अतराज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, नेट्रीय प्रदूषण नियंत्रण थोड़े द्वारा प्रोत्तिकाली पौल्युटेड एरिया, पारिसिव्यतिकीय संवेदनशील क्षेत्र या प्रोत्तिकाली पौल्युटेड एरिया स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।
12. खनन संपदा एवं खनन का विवरण – अनुमोदित क्षारी प्लान अनुसार जियोस्ट्रोपिकल रिजर्व लगभग 29,55,162 टन, माइग्रेशन रिजर्व लगभग 9,27,304 टन एवं रिकवरेबल रिजर्व लगभग 8,67,401 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रस्तावित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 4,700 वर्गमीटर है। औपन कास्ट मेकेनाईज्ड शिथि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 29.5 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की गहराई 0.5 मीटर है तथा युल मात्रा 8,950 घनमीटर है। इस मिट्टी को सीमा पट्टी (7.5 मीटर) में फैलाकर बृक्षारोपण के लिए उपयोग किया जाएगा। बेम की ऊंचाई 5 मीटर एवं चौड़ाई 5 मीटर है। खदान की संभावित लायु 50 वर्ष है। लीज क्षेत्र में काशर रसायित किया जाना प्रस्तावित नहीं है। ड्रिलिंग एवं ब्लास्टिंग किया जाएगा। खदान में बायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिन्हकार किया जाएगा। वर्षयार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है—

| वर्ष | प्रस्तावित उत्खनन (टन) | वर्ष | प्रस्तावित उत्खनन (टन) |
|---------|------------------------|-------|------------------------|
| प्रथम | 47,068 | षष्ठम | 25,000 |
| द्वितीय | 68,400 | सप्तम | 25,000 |
| तृतीय | 2,47,950 | अष्टम | 25,000 |
| चतुर्थ | 49,875 | नवम | 25,000 |
| पंचम | 49,875 | दशम | 25,000 |

13. जल आपूर्ति – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 8.65 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति टैकर द्वारा राम पंचायत के माध्यम से किया जाएगा। इस बाबत राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
14. बृक्षारोपण कार्य – लीज क्षेत्र की सीमा ने घासों और 7.5 मीटर की पट्टी में 939 नग बृक्षारोपण किया जाएगा। गैर माइग्रेशन क्षेत्र में 1,044 नग बृक्षारोपण किया जाएगा।
15. खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।



16. गैर माईनिंग क्षेत्र — लौज क्षेत्र से 50 मीटर की दूरी पर बरसाती नाला है।

समिति का मत है कि बरसाती नाला से न्यूनतम 100 मीटर की दूरी रखा जाना आवश्यक है। अतः लौज क्षेत्र के दक्षिण दिशा में 50 मीटर की दूरी तक कुल 14,800 वर्गमीटर क्षेत्र को गैर माईनिंग क्षेत्र रखा गया है। इनमें चलने वाले माईनिंग प्लान में किया गया है।

17. प्रस्तुतीकरण के दीर्घन परियोजना प्रस्तावका द्वारा बताया गया कि बैरलाईन डाटा कलेक्शन का कार्य दिनांक 01/10/2021 से प्रारम्भ किया जाने हेतु सूखना दिनांक 28/09/2021 को द्विधित की गई।

18. सीईआर का विस्तृत प्रस्ताव एवं प्रस्तावित स्कूल के प्राचार्य (Principal) का सहमति पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

19. लौज क्षेत्र की सीमा में बासी और 7.5 मीटर की पट्टी में एवं सीईआर को तहत गुप्तारोपण हेतु पौधों का रोपण सुखा हेतु फैसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख—रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकावार व्यव का ठिकरण सहित विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

20. मामनीय एम.जी.टी., प्रिंसिपल बैंब, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विकास भारत सरकार, पर्यावरण, बन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (प्रोविन्यनल एसिकेशन नं. 186 लीफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 की पालित भारत में मुख्य रूप से निमानुसार मिर्दित किया गया है—

- Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 as per with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.
- If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार पिमर्श उपरांत सर्वसमर्थि से निमानुसार निर्णय लिया गया—

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शास्त्र), जिला-जालगाँव चापा के ज्ञापन अमांक 1036/गैर खनिज/न.अ.क./2021-22 जालगाँव, दिनांक 11/09/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर की भीतर अवस्थित 5 खदाने, क्षेत्रफल 21.997 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम—अकलसरा) का रकमा 4.007 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम—अकलसरा) को मिलाकर कुल रकमा 26.004 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्पीकूल/सांचारित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का बलस्तर निर्मित होने के कारण यह खदान 'बी1' भेणी की मानी गयी।

2. समिति द्वारा विचार पिमर्श उपरांत सर्वसमर्थि से प्रकरण 'बी1' कोटेगारी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, बन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) पर्स हूँ.आई.ए /ई.ए.पी. रिपोर्ट कोर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिकवायरिंग इन्वायरमेंट बलीगरेंग अपडेट हूँ.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में दर्जित भेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (सोनकुल सुनयाई सहित) नीम कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अधिदिला टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशासा की गई—

- i. Project proponent shall submit the Common Environment Management Plan.
- ii. Project proponent shall submit top soil management & incorporate the details in the EIA report.
- iii. Project proponent shall submit the recent Gram Panchayat NOC for mining.
- iv. Project proponent shall submit the NOC from Gram Panchayat for usage of water.
- v. Project proponent shall submit the readable copy of forest NOC.
- vi. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring stations.
- vii. EIA study shall be done at minimum 8 no. of stations for data collection, in which minimum 5 to 6 stations should be within 5 km and 2 to 3 stations in between 5 to 10 km radius following the pre-dominant wind direction.
- viii. Project proponent shall submit the detail proposal of plantation incorporating the plant cost, fertilizer cost, maintainace cost and imigation cost.
- ix. Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost.

राज्य सतरीय पर्यावरण प्रभाग आकर्त्तम प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए), प्रातीकांग को सदानुसार सूचित किया जाए।

एजेंट्स आवादम क्रमांक-५:

परियोजना प्रस्तावको से यांत्रित जानकारी /
दस्तावेज प्राप्त प्रकरणों पर विचार कर
पर्यावरणीय स्थीरता / टीओआर/अन्य
आवश्यक निर्णय लिया जाना।

१. मेसार्स नरदहा लाईम रस्टोन माइन (प्रौ.- श्री प्रकाश बजाज), ग्राम-नरदहा, तहसील-आरंग, ज़िला-रायपुर (संविवालय का नस्ती क्रमांक 1786)
ऑनलाईन आवेदन - प्रधानमन्त्री - एसआईए /सीजी /एमआईए/ 227197 / 2021, दिनांक 01 / 09 / 2021।

प्रस्ताव का विवरण - यह पूर्व से संबलित चूना पत्थर (गैरि खनिज) खदान है। खदान ग्राम-नरदहा, तहसील-आरंग, ज़िला-रायपुर स्थित त्वरा ग्रामांक 1972, 1980 एवं 1982 कुल क्षेत्रफल-2.744 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्तरांग कमता-53,046.86 टन (21,218.75 घनमीटर) प्रतिवर्ष है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन के माध्यम से प्रकारण को वापस लिये जाने हेतु अनुरोध किया गया है।

बैठक का विवरण -

(अ) समिति की 395वीं बैठक दिनांक 24 / 01 / 2022:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर पाया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन के माध्यम से प्रकारण को वापस लिये जाने का अनुरोध किया गया। समिति द्वारा अनुरोध को मान्य किया गया।

समिति द्वारा विचार विभाग उपरांत सर्वसम्मति से परियोजना प्रस्तावक के अनुरोध को स्वीकार करते हुये आवेदित प्रकरण को डि-लिस्ट/निरस्त किये जाने की अनुशंसा की गई।

राज्य रसीद पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राप्तिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुशासन सूचित किया जाए।

2. गेहारा फलेंग रटोन क्वारी (प्रो.— श्री इन्द्रसेन मांडेकर), याम—बरबसपुर, तहसील व जिला—महासमुद (सविवालय का नस्ती क्रमांक 1809)

ऑनलाईन आवेदन — प्रपोजल नम्बर — एसआईए / सीजी / एमआईएन / 228346 / 2021, दिनांक 08 / 09 / 2021।

प्रस्ताव का विवरण — यह पूर्व से संचालित कझी पत्थर (गोण खण्डि) खदान है। खदान याम—बरबसपुर, तहसील व जिला—महासमुद रिहत खसरा क्रमांक 226, कुल होनफल—0.25 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्थानन कमता—963.75 टन (385.5 घनमीटर) प्रतिवर्ष है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 24 / 09 / 2021 के माध्यम से प्रकरण को निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

बैठक का विवरण —

(अ) समिति की 395वीं बैठक दिनांक 24 / 01 / 2022:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर पाया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 24 / 09 / 2021 की सूचना दी गयी है कि आवेदन में तहसीली त्रुटि होने के कारण आवेदन को निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया। समिति द्वारा अनुरोध की मान्य किया गया।

समिति द्वारा विचार विभाग उपरांत सर्वसम्मति से परियोजना प्रस्तावक के अनुरोध को स्वीकार करते हुये आवेदित प्रकरण को डि-लिस्ट/निरस्त किये जाने की अनुशंसा की गई।

राज्य रसीद पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राप्तिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुशासन सूचित किया जाए।

3. गेहारा फलेंग रटोन क्वारी (प्रो.— श्री इन्द्रसेन मांडेकर), याम—बरबसपुर, तहसील व जिला—महासमुद (सविवालय का नस्ती क्रमांक 1810)

ऑनलाईन आवेदन — प्रपोजल नम्बर — एसआईए / सीजी / एमआईएन / 228253 / 2021, दिनांक 08 / 09 / 2021।

प्रस्ताव का विवरण — यह पूर्व से संचालित कझी पत्थर (गोण खण्डि) खदान है। खदान याम—बरबसपुर, तहसील व जिला—महासमुद रिहत खसरा क्रमांक 187 / 1, कुल होनफल—0.3 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्थानन कमता—1,447.5 टन (579 घनमीटर) प्रतिवर्ष है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 24 / 09 / 2021 के माध्यम से प्रकरण को निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 395वीं बैठक दिनांक 24/01/2022:

समिति द्वारा नक्ती प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर यह गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 24/09/2021 को सूचना दी गयी है कि आवेदन में तकनीकी श्रृंखला द्वारा दिनांक 24/09/2021 को निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया। समिति द्वारा अनुरोध को मान्य किया गया।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सदैसम्मति से परियोजना प्रस्तावक को अनुरोध को स्वीकार करते हुये आवेदित प्रकरण को डि-लिस्ट/निरस्त किये जाने की अनुशंसा की गई।

साम्य नियम-पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राप्तिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.) छत्तीसगढ़ को लाधानुसार सूचित किया जाए।

- 4. मेसासं श्री महालहमी लाईम र्टोन्स माईन (प्रो.- श्री जितेन्द्र अच्छाल), याम-घनसुली, तहसील-तिल्दा, जिला-रायपुर (समिवालय का नस्ती क्रमांक 1446)**

आवेदन – यहाँ से प्रपोजल नम्बर – एसआईए / री.नी / एमआईएन / 57836 / 2020, दिनांक 28/10/2020 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के लिए टी.ओ.आर हेतु आवेदन किया गया था। वर्तमान में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 29/11/2021 के माध्यम से प्रकरण में नेट सलाहकार के परिवर्तन करने की सूचना घाबत पत्र प्रस्तुत किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित घूमा पत्थर (ग्रीष्म छुमिज) खदान है। खदान याम-घनसुली, तहसील-तिल्दा, जिला-रायपुर विधायक सभा क्रमांक 543/4, 540/5, 543/11 एवं 543/14, कुल क्षेत्रफल-2.813 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता-36,019 टन प्रतिवर्ष है।

एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 11/02/2021 द्वारा प्रकरण 'यौ1' केंटेमरी का होने वाला कारण भारत सरकार, पर्यावरण, एन और जलवायु परिवर्तन नंजालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेन्स (टी.ओ.आर) पौर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरमेंट बलीयरेस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टी.ओ.आर (लोक सुनवाई सहित) नींग कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु टी.ओ.आर जारी की गई है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 29/11/2021 के माध्यम से प्रकरण में नेट सलाहकार के परिवर्तन करने की सूचना घाबत पत्र प्रस्तुत किया गया है।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 395वीं बैठक दिनांक 24/01/2022:

समिति द्वारा नस्ती प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न सिद्धि पाई गई-

- टी.ओ.आर के आधार पर अधिकृत नेट सलाहकार मेसासं इन्क्वायरोमेंट्स रिसर्च एण्ड एनालिसिस, लखनऊ द्वारा द्वापट ई.आई.ए. रिपोर्ट बनाकर छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल को उन सुनवाई संपन्न कराने हेतु जमा करने के



प्रश्नात् शोधीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संलग्न मण्डल, जिला-रायपुर द्वारा
लोक सुनवाई दिनांक 23/07/2021 को संपन्न कराई जा चुकी है।

2. नेबेट सलाहकार मेसर्स इन्डियरोमेटल रिसर्च एण्ड एनालिसिस, लखनऊ द्वारा
अपरिहार्य कारणों से इस प्रकरण में आगामी जारीयाही को जारी रखने में
असमर्पिता व्यक्त किया गया है एवं प्रकरण में आगामी कारीयाही को किसी अन्य
नेबेट सलाहकार के माध्यम से संपादित करनाने हेतु अपना अनापत्ति पञ्च भी
प्रोप्रित किया गया है।
3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 07/10/2021 को मैसर्स एसिस्टेंस
इन्डियरोटेक इंडिया प्रायवेट लिमिटेड, नोएडा को नेबेट सलाहकार के रूप में
कार्य करने हेतु गिरुकृत किया गया है।
4. समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक द्वारा नेबेट सलाहकार के परिवर्तन करने की
सूचना बाबत अनुशोध पञ्च की मान्य किया गया।

समिति द्वारा विचार किमश्च उपरांत सर्वसम्मति से परियोजना प्रस्तावक को अनुशोध
की मान्य किये जाने की अनुशासन की गई।

राज्य सतर्गीय पर्यावरण प्रमाण आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.) छत्तीसगढ़ को
तदानुसार सूचित किया जाए।

5. मैसर्स बी नरेन्द्र चतुर्वेदी लाईग कटोन माईन, ग्राम-गोडपेण्डी,
तहसील-पाटन, जिला-दुर्ग (साधियालय का नरती क्रमांक 829वी)

ऑनलाइन आवेदन — पूर्व में प्रपोजल नम्बर — एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/
34756 / 2019, दिनांक 14/04/2019 द्वारा टीओआर हेतु आवेदन किया गया था।
वर्तमान में प्रपोजल नम्बर — एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 34758 / 2019,
दिनांक 04/06/2021 द्वारा पर्यावरणीय र्योकृति प्राप्त करने के लिए काईनल
ई.आई.ए. रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है।

प्रस्ताव का विवरण — यह प्रस्तावित चूना वस्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान
ग्राम-गोडपेण्डी, तहसील-पाटन, जिला-दुर्ग रिपब्लिकन सरकार क्रमांक 354, 401(पाट),
493, 494, 495, 496 एवं 498, कुल क्षेत्रफल—5.04 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान
की आवेदित उत्पादन कमता—60,000 टन प्रतिवर्ष है।

पूर्व में एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 06/09/2019 द्वारा प्रकरण की—1
कंटेनरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन
मंत्रालय द्वारा अप्रैल 2015 में प्रकाशित रैप्पड हट्सी ऑफ रिफरेंस (टीओआर) कोर
ई.आई.ए./ई.एस.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्डियरोट
क्लीयरेंस अपडर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन 2006 में वर्णित शेषी 1(ए) का रैप्पड हट्सी
टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नीन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु जारी किया गया।
तथानुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा काईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट दिनांक 04/06/2021
को प्रस्तुत किया गया है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन एवं ई.—मेल
दिनांक 11/06/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण —

(अ) समिति की 377वीं बैठक दिनांक 17/06/2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री मरेन्द्र चतुर्वेदी, प्रोफराइटर विडियो काम्फोरेसिंग की मालियम से उपस्थित है। उनमेंतों द्वारा नहरती प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई—

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण— इस खदान की पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
2. याम पश्चायत का अनापरित प्रमाण पत्र — उत्खनन के संबंध में याम पश्चायत मौजूदेष्टी का दिनांक 31/05/2018 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. उत्खनन योजना — क्वारी प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अनुसारी जिला-कालोप के पृष्ठापन क्रमांक 1219/खनि.लि./खनिज/2018 कालोप, दिनांक 05/03/2019 द्वारा अनुमोदित है।
4. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान — कार्यालय कलेक्टर (खनिज शासा), जिला-दुर्ग के झापन क्रमांक 387/खनि.लि.02/खनिज/2021 दुर्ग, दिनांक 18/06/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर की भीतर अवस्थित 19 खदानें, क्षेत्रफल 36.362 हेक्टेयर हैं। इनके अतिरिक्त 3 खदानें, क्षेत्रफल 11.28 हेक्टेयर की एलओआई जारी की गई हैं।
5. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक होम्ब/सरवनाए — कार्यालय कलेक्टर (खनिज शासा), जिला-दुर्ग के झापन क्रमांक 147/खनि.लि.02/खनिज/2019 दुर्ग, दिनांक 07/05/2019 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक होम्ब जैसे मंदिर, मस्जिद, मरमाट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट एवं यात्रा आवृत्ति आदि प्रतिबन्धित होम्ब निर्मित नहीं हैं।
6. एलओआई का विवरण — एलओआई कार्यालय कलेक्टर (खनिज शासा), जिला-दुर्ग के झापन क्रमांक 1807/खनि.लि.02/ई-जॉक्यान/2019 दुर्ग, दिनांक 26/02/2019 द्वारा जारी वी गई, जिसकी अवधि 6 माह हेतु योग्य थी। एलओआई की वैधता युद्धि हेतु आवेदन किया जाना चाहिया गया है।
7. भू-स्वामित्व — भूमि खसारा क्रमांक 364, 491(पाटी), 493 आवेदक, खसारा क्रमांक 494, 495 श्री दीना कुमार एवं खसारा क्रमांक 496 श्री चनेश दमानी के नाम पर है। उत्खनन हेतु भूमि स्वामियों का सहमति पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। खसारा क्रमांक 496 के संबंध में जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है।
8. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट — वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
9. बन विधान का अनापत्ति प्रमाण पत्र — कार्यालय बनमण्डलाधिकारी, दुर्ग बनमण्डल, जिला-दुर्ग के झापन क्रमांक/मांचि./2019/1573 दुर्ग, दिनांक 30/03/2019 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
10. महत्वपूर्ण सरवनाओं की दूरी — निकटतम आबादी याम—गोडावेष्टी 0.8 कि.मी., स्कूल याम—गोडावेष्टी 0.8 कि.मी., एवं अस्पताल याम—कुमा 3.9 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 15 कि.मी. एवं राजमार्ग 1.5 कि.मी. दूर है।
11. पारिस्थितिकीय/जौवाहिकीय संवेदनशील होम्ब — परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय रायान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय

संवेदनशील होता या घोषित जीवविविधता होता विधत नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

12. खनन सांपर्या एवं खनन का विवरण – जियोलॉजिकल रिजर्व 16,38,000 टन, माइग्रेशन रिजर्व 12,49,176 टन एवं रिकवरेशन रिजर्व 11,24,258 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्थानन के लिए प्रस्तावित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 9,122 एकड़ीटर है। आपन कास्ट समी मेंकोनाइज्ड विश्लेषण से उत्थानन किया जाएगा। उत्थानन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 14.5 मीटर है। ऊपरी मिट्टी की गहराई 1.5 मीटर है तथा कुल मात्रा 58,408.5 एकड़ीटर में से 18,778 एकड़ीटर मिट्टी को सीमा पट्टी (7.5 मीटर) में फैलाकर मृश्वारोपण एवं बीम 33,812.5 एकड़ीटर मिट्टी को लीज क्षेत्र के बाहर स्थायी भूमि पर भेंडारित किया जाएगा। ऐस भी ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की समावित आयु 21 वर्ष है। लीज क्षेत्र में ग्राहक स्थापित किया जाना प्रस्तावित नहीं है। उक्त हैमर से डिस्ट्रिंग एवं कंट्रोल इवारिटम किया जाएगा। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिपकाव किया जाएगा। वर्षावार प्रस्तावित उत्थानन का विवरण निम्नानुसार है—

| वर्ष | प्रस्तावित उत्थानन (टन) |
|---------|-------------------------|
| प्रथम | 60,000 |
| द्वितीय | 60,000 |
| तृतीय | 60,000 |
| चतुर्थ | 60,000 |
| पंचम | 60,000 |

आगामी वर्षों की सत्पादन योजना

| वर्ष | प्रस्तावित उत्थानन (टन) |
|---------|-------------------------|
| प्रथम | 60,000 |
| द्वितीय | 60,000 |
| तृतीय | 60,000 |
| चतुर्थ | 60,000 |
| पंचम | 60,000 |

13. जल आपूर्ति – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 8 एकड़ीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति बोरपेल से की जाएगी। भू-जल की उपयोगिता हेतु सेन्ट्रल याउचर्ड वीटर अप्पोरिटी से अनुमति प्राप्त की गई है।
14. वृक्षारोपण कार्य – लीज क्षेत्र की सीमा में बारी और 7.5 मीटर की पट्टी में 2,000 नग वृक्षारोपण किया जाएगा।
15. खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्थानन – लीज क्षेत्र के बारी और 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्थानन कार्य नहीं किया गया है।
16. ई.आई.ए. रिपोर्ट का विश्लेषण—

- जल एवं वायु आदि गुणवत्ता संबंधी जानकारी – पानिटरिंग कार्य दिसम्बर 2019 से फरवरी 2020 तक कर्य किया गया है। 10 फिलोमीटर के अंतर्गत 8 स्थानों पर परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन, 6 स्थानों पर भू-जल गुणवत्ता मापन, 6 स्थानों पर ज्वानी स्तर मापन, 2 स्थानों पर रातही जल

गुणवत्ता तथा 6 स्थानों पर मिटटी के नमूने एकाक्रित कर विश्लेषण किया गया है।

- ii. नीनिटिंग परियोजना के अनुसार पी.एम.¹¹ 26.28 से 43.58 माईक्रोग्राम/घनमीटर पी.एम.¹² 47.2 से 68.82 माईक्रोग्राम/घनमीटर एकांक, 9.06 से 14.63 माईक्रोग्राम/घनमीटर सधा एकांक, 11.33 से 20.24 माईक्रोग्राम/घनमीटर पाई गई है। जो उक्त क्षेत्र के निपारित मानक के अनुकूल है।
- iii. परियोजना स्थल के आसपास जल क्षेत्रों की गुणवत्ता भारतीय मानक के अनुसार है।
- iv. परियोजना घनि स्तर (Day time) 48 डीबीए से 54.23 डीबीए एवं घनि स्तर (Night time) 33.3 डीबीए से 43.24 डीबीए पाया गया। जो उक्त क्षेत्र के निपारित मानक के अनुकूल है।
17. लोक सुनवाई दिनांक 04/02/2021 दोपहर 12:00 बजे वेतन - शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, शाम—गोडपेण्टी, तहसील—गाठन, ज़िला—दुर्ग में संपन्न हुई। लोक सुनवाई दस्तावेज सदस्य सचिव, छलीसगढ़ पर्यावरण संस्कार मंडल, नवा रायपुर अटल नगर, ज़िला—रायपुर के पत्र दिनांक 08/03/2021 हासा प्रेषित किया गया है।
18. जनसूनवाई के दौरान मुख्य रूप से निम्न सुझाव/विचार प्रस्तुत किये गये हैं:-
- खदान से डरट उत्तरार्द्ध अधिक होता है।
 - ब्लास्टिंग से आस—पास के ग्रामों एवं पर्यावरण पर प्रभाव पड़ता है। क्षार के कारण घनि प्रदूषण होता है।
 - प्राथमिकता के आमार पर संबंधित ग्रामों के लोगों को ही रोजगार दिया जाना चाहिए।
- लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये विभिन्न मुद्दों के निराकरण की दिशा में परियोजना प्रस्तावक की ओर से उपस्थित प्रतिनिधि/कांसलटेंट का कथन निम्नानुसार है:-
- खदान के ग्रामों तरफ युक्तारोपण का कार्य किया जाएगा।
 - ब्लास्टिंग कार्य साथान प्राधिकारी के अनुमति के उपरान्त किया जाएगा। ब्लास्टिंग से होने वाले घनि प्रदूषण को रोकने पर विशेष ध्यान रखा जाएगा। अनुगमी कांस्ट्रक्टर को निगरानी में कन्ट्रोल ब्लास्टिंग तो जाएगी।
 - शिक्षित बेसोजगांवों को योग्यता के आमार पर व्यानीय लोगों को आवश्यकतानुसार रोजगार हेतु प्राथमिकता दी जायेगी।

19. कलस्टर हेतु कॉमिन इन्फ्रारेमेटल मेनेजमेंट प्लान — परियोजना प्रस्तावक हारा कहाया गया कि कलस्टर में कुल 22 खदाने आती है। वर्तमान में 3 खदानों को एलओआई जारी की गई है, जिनमें से 2 खदानों हासा पर्यावरणीय स्थीकृति की लिए आवेदन किया गया है एवं शेष 1 खदान हासा आवेदन अप्राप्त है। शेष 19 खदानों को पूर्व से ही पर्यावरणीय स्थीकृति प्राप्त होने की कारण उनके हासा कॉमिन इन्फ्रारेमेट मेनेजमेंट प्लान हीयार किये जाने हेतु लाभ नहीं ती जा रही है। आगे कलस्टर में शामिल पर्यावरणीय स्थीकृति हेतु आवेदित 2 खदानों प्राप्त

कोमन इन्हायरीमेटल मेनेजमेंट प्लान प्रकृत किया गया है। कोमन इन्हायरीमेटल मेनेजमेंट प्लान के तहत निम्न कार्य प्रस्तावित हैं:-

- I. प्रदूषण नियंत्रण हेतु परिवहन के दीर्घ सड़कों/एवं रोड से उत्पन्न धूल उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु जल छिकाव, 4 कि.मी. तक पहुँच मार्ग हेतु अनुमानित राशि 9,60,000/- प्रतिवर्ष व्यय किया जाएगा।
 - II. गांव के (4 कि.मी. तक) पहुँच मार्ग के दोनों तरफ कम से कम दो करार में (5,000 नग) यूक्तारोपण हेतु अनुमानित राशि 21,27,910/- प्रत्यम वर्ष में व्यय किया जाएगा। आगामी चार वर्षों के लिए यूक्तारोपण के रख-रखाव हेतु अनुमानित राशि 5,34,000/- प्रतिवर्ष व्यय किया जाएगा।
 - III. परिवेशीय वायु जल, मिट्टी एवं ज्वलन गुणवत्ता के अंकलन हेतु ऐमासिक मौनिटरिंग कार्य (Quarterly Environment Monitoring) किया जाएगा। इन्हायरीमेट मौनिटरिंग हेतु अनुमानित राशि 1,20,000/- प्रतिवर्ष व्यय की जाएगी।
 - IV. सड़कों / पहुँच मार्ग (4 कि.मी. तक) का संधारण (Road Maintenance) हेतु अनुमानित राशि 2,00,000/- प्रतिवर्ष व्यय किया जाएगा।
 - V. गांव के (2 कि.मी.) सड़क यार्ग के दोनों तरफ कम से कम दो बजार में (200 नग) यूक्तारोपण हेतु अनुमानित राशि 1,00,000/- प्रत्यम वर्ष एवं आगामी दो वर्षों तक रख-रखाव हेतु अनुमानित राशि 30,000/- प्रतिवर्ष व्यय किया जाएगा।
 - VI. कोमन इन्हायरीमेटल मेनेजमेंट प्लान के तहत उपत कार्यों हेतु प्रत्यम वर्ष में कुल राशि 1,08,23,910/- व्यय करना प्रस्तावित किया गया है जिसका विवरण निम्नानुसार है—
 - प्रथम वर्ष में राशि 35,07,910/- व्यवहार करना प्रस्तावित किया गया है।
 - डस्ट सप्रेशन, यूक्तारोपण के रख-रखाव, इन्हायरीमेट मौनिटरिंग सड़कों / पहुँच मार्ग के संधारण (Road Maintenance), गांव के सड़क मार्ग में यूक्तारोपण हेतु द्वितीय वर्ष एवं तृतीय वर्ष में राशि 18,44,000/- प्रतिवर्ष व्यय करना प्रस्तावित किया गया है।
 - डस्ट सप्रेशन, यूक्तारोपण के रख-रखाव, इन्हायरीमेट मौनिटरिंग सड़कों / पहुँच मार्ग के संधारण (Road Maintenance) हेतु चतुर्थ वर्ष एवं पश्चम वर्ष में राशि 18,14,000/- प्रतिवर्ष व्यय करना प्रस्तावित किया गया है।
 - VII. पंचव वर्ष के बाद आगामी वर्षों में डस्ट सप्रेशन, इन्हायरीमेट मौनिटरिंग एवं सड़कों / पहुँच मार्ग के संधारण (Road Maintenance) हेतु राशि 12,80,000/- प्रतिवर्ष व्यय करना प्रस्तावित किया गया है।
 - VIII. कोमन इन्हायरीमेटल मेनेजमेंट प्लान के तहत उक्त कार्यों क्रियान्वयन हेतु रामिति द्वारा सहमति व्यवत की गई।
20. कोमन इन्हायरीमेटल मेनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता निम्नानुसार होगी:-



- I. प्रदूषण नियंत्रण हेतु परिवहन के द्वारा सड़कों/एड्रेज रोड से उत्पन्न धूम उत्पालन के नियंत्रण हेतु जल शिक्षकाव 4 किमी तक पहुंच मार्गी हेतु अनुमानित राशि 1,20,000/- प्रतिवर्ष व्यय किया जाएगा।
- II. गांव के (1 किमी. तक) पहुंच मार्ग के दोनों तरफ कम से कम दो कालार में (1,000 नग) धूमारोपण हेतु अनुमानित राशि 7,21,000/- प्रथम वर्ष में व्यय किया जाएगा। आगामी छार वर्षों के लिए धूमारोपण के रख-रखाव हेतु अनुमानित राशि 4,42,000/- प्रतिवर्ष में व्यय किया जाएगा।
- III. परियोरीय वायु घस्त मिट्टी एवं धूमि गुणवत्ता की ओफलन हेतु वैभासिक मौनिटरिंग कार्य (Quarterly Environment Monitoring) किया जाएगा। इन्हायरोमेट मौनिटरिंग हेतु अनुमानित राशि 1,20,000/- प्रतिवर्ष व्यय की जाएगी।
- IV. सड़कों / पहुंच मार्ग (4 किमी. तक) का संचारण (Road Maintenance) हेतु अनुमानित राशि 1,00,000/- प्रतिवर्ष व्यय किया जाएगा।
- V. कौमन इन्हायरोमेटल मेनेजमेंट प्लान के तहत उबल कार्यों हेतु प्रधम वायु वर्षों में कुल राशि 41,89,000/- व्यय करना प्रस्तावित किया गया है, जिसका विवरण निम्नानुसार है:-
- प्रधम वर्ष में राशि 10,61,000/- व्यय करना प्रस्तावित किया गया है।
 - आगामी छार वर्षों के लिए बस्ट संप्रेशन, धूमारोपण के रख-रखाव, इन्हायरोमेट मौनिटरिंग, सड़कों / पहुंच मार्ग के संचारण (Road Maintenance) हेतु राशि 7,82,000/- प्रतिवर्ष व्यय करना प्रस्तावित किया गया है।
- VI. प्रथम वर्ष के बाद आगामी वर्षों में बस्ट संप्रेशन, इन्हायरोमेट मौनिटरिंग एवं सड़कों / पहुंच मार्ग के संचारण (Road Maintenance) हेतु राशि 3,40,000/- प्रतिवर्ष व्यय करना प्रस्तावित किया गया है।
- VII. कौमन इन्हायरोमेटल मेनेजमेंट प्लान के तहत उबल कार्यों क्रियान्वयन हेतु समिति द्वारा नामित व्यक्ति की गई।
21. भारत सरकार, पर्यावरण, धर्म और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ईआईए अधिसूचना, 2006 (वाया संशोधित) के प्राक्कानों एवं माननीय एन.जी.टी. द्वारा जारी आदेश के अनुसार सम्पूर्ण बलरटर हेतु कौमन इन्हायरोमेट मेनेजमेंट प्लान तैयार किया जाना आवश्यक है।

समिति का मत है कि बलरटर में शामिल सभी खदानों द्वारा खनन के पर्यावरणीय दुष्प्रभावों की रोकथाम हेतु कलरटर में आने वाली शेष समस्त 19 खदानों को शामिल करते हुये, बलरटर हेतु कौमन इन्हायरोमेट मेनेजमेंट प्लान तैयार किये जाने हेतु संघालक, संग्रालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अस्तल नगर, जिला - रायपुर (छत्तीसगढ़) के स्तर से उपयुक्त कार्यवाही किया जाना चाहिए होगा।

समिति का मत है कि बलरटर में आने वाले खदानों की उत्पन्न गतिविधियों से पर्यावरणीय घटकों पर यहां वाले दुष्प्रभावों की रोकथाम हेतु कलरटर में आने वाली शेष समस्त 19 खदानों को शामिल करते हुये, बलरटर हेतु कौमन इन्हायरोमेट मेनेजमेंट प्लान तैयार किये जाने हेतु संघालक, संग्रालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अस्तल नगर, जिला - रायपुर (छत्तीसगढ़) के स्तर से उपयुक्त कार्यवाही किया जाना चाहिए होगा।

22. परियोजना प्रस्तावक द्वारा नी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरोक्त निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

| Capital Investment (in Lakh Rupees) | Percentage of Capital Investment to be Spent | Amount for CER Activities (in Lakh Rupees) | Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees) | |
|--|--|---|--|--------------------------------------|
| | | | Particulars | CER Fund Allocation (in Lakh Rupees) |
| 115 | 2% | 2.30 | Following activities at nearby Government High Schools, Village-Gondpendri | |
| | | | Rain Water Harvesting System | 1.00 |
| | | | Solar Panel with light facility | 0.80 |
| | | | Potable Drinking water Facility | 0.20 |
| | | | Running water facility for Toilets | 0.20 |
| | | | Plantation | 0.30 |
| | | | Total | 2.50 |

23. समिति के संवाद में यह तथ्य आया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत आवेदन के अपेंडिक्स-1, फॉर्म-2, फ्री-पीजिडीलिटी रिपोर्ट, जारी स्टैचडर्ड टीआईआर, लोक सुनवाई दस्तावेज, काइग्नल ही.आई.ए. रिपोर्ट में खासरा क्रमांक 354, 491(पार्ट), 493, 494, 495, 496 एवं 498 का उल्लेख किया गया है, जबकि एल.ओ.आई. एवं माईनिंग प्लान में खासरा क्रमांक 354, 491(पार्ट), 493, 494, 495, 497 एवं 498 का उल्लेख है।

24. पर्यावरण में परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत भू-स्वामित्व दस्तावेज में खासरा क्रमांक 496 का उल्लेख नहीं किया गया है तथा भूमि स्वामियों द्वारा सहमति पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।

25. उपरोक्त विसंगतियों के आधार पर रिधति स्पष्ट किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

1. उपरोक्त विश्वरण अनुसार खासरावार होत्रफल दर्शाते हुये भू-स्वामित्व संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए।
2. उत्तरानन हेतु भूमि स्वामियों का सहमति पत्र प्रस्तुत किया जाए।
3. एल.ओ.आई. की वैधता बृद्धि संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए।
4. उपरोक्त समरत पूर्ण जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने स्पर्शत ओगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 28/06/2021 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 16/07/2021 को प्रस्तुत किया गया है।

(४) समिति की 384वीं बैठक दिनांक 02/08/2021:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अधिलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न सिद्धिं पाई गई-

- परियोजना प्रस्तावक द्वारा खसरा क्रमांक 497 के स्थान पर टक्कन उटिला खसरा क्रमांक 496 का उल्लेख होना बताया गया है। आवेदित प्रकरण का कुल संभाल 5.04 हेक्टेयर ही लीज न्यौकूत की गई है। उक्त बाबत खसरा खार क्षेत्रफल दर्शाते हुये भू-स्थानित्य संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है।
- कुल आवेदित संभाल 5.04 हेक्टेयर में कोई भी परिवर्तन नहीं होना बताया गया है। इस बाबत शायद पत्र प्रस्तुत किया गया है।
- भूमि खसरा क्रमांक 354, 491(पट्टी), 493 आवेदक, खसरा क्रमांक 494, 495 भी दीना युमार खसरा क्रमांक 497 भी सुनील युमार एवं खसरा क्रमांक 498 भी चमेश दम्मानी के नाम पर हैं। उत्तरानन हेतु नूमि स्फारी का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।
- परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 11/06/2021 द्वारा एलओआई की वैधता दृष्टि बाबत समान मानीय न्यायालय संघालक भीमिकी तथा समिकर्म नवा रायपुर अटल नगर में आवेदन किया गया है। उक्त आवेदन में भी खसरा क्रमांक 497 का उल्लेख है। उक्त आवेदन में भी खसरा क्रमांक 497 पढ़े जाने हेतु अनुसेध किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक की एलओआई की वैधता दृष्टि संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार एस.इ.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 31/08/2021 के परिणेत्र से परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 20/11/2021 को प्रस्तुत किया गया है।

(स) समिति की 395वीं बैठक दिनांक 24/01/2022:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अधिलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न सिद्धिं पाई गई-

- एलओआई कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक 1807 /खनिज.02 /ई-ऑफिस/2019 दुर्ग, दिनांक 25/02/2019 द्वारा जारी की गई, जिसकी अवधि 6 माह हेतु वैध थी। एलओआई की वैधता दृष्टि बाबत संघालक भीमिकी तथा खनिकर्म, नवा रायपुर अटल नगर के पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक 60/2021 द्वारा जारी पारित आदेश दिनांक 12/11/2021 की प्रति प्रस्तुत की गई है जिसके अनुसार “विवेचना के आधार पर पुनरीक्षण प्रकरण स्वीकार करते हुये, अधिसूचना दिनांक 26.06.2020 (छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन दिनांक 30.06.2020) के अनुसार छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015 के नियम, 42(5) परंतु के तहत सकत प्रकरण में पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त होने उपरांत उत्थनन पट्टा स्वीकृति के लिए अग्रिम कार्यवाही करने हेतु अतिरिक्त समयावधि प्रदान करते हुए प्रकरण कलेक्टर, जिला दुर्ग को प्रत्यावर्तित किया जाता है।” हाँसा बताया गया है।
- माननीय एन.जी.टी., प्रिसिपल बैच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरक्त भारत सरकार, पर्यावरण, यन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य



(अधिकारित एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2010 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से विम्नानुसार निर्दिष्ट किया गया है।

- Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided
- If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in Process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से विम्नानुसार निर्णय लिया गया:—

- कार्यालय कालेक्टर (खण्डिज खाता), जिला-दुर्ग के आपन क्रमांक 387 / खण्डिज 02 / खण्डिज / 2021 दुर्ग, दिनांक 18/06/2021 की अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर की भीतर अवस्थित 19 खदानों की क्षेत्रफल 35.352 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम—गोड्डपेण्डी) का रकबा 5.04 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम—गोड्डपेण्डी) की मिलाकर कुल रकबा 40.392 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक होने के कारण यह खदान बी—1 क्षेत्री सीमा गयी।
- भारत सरकार पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ईआईए अधिसूचना 2006 (यथा संशोधित) के ग्राहकानी एवं सामग्रीय एवं जी-टी द्वारा जारी आदेश के अनुसार कलस्टर में आगे याती खदानों की सत्त्वानन गतिविधियों को पर्यावरणीय घटकों पर पड़ने वाले प्रभावों की रोकथान हेतु कलस्टर में आगे याती रामरत खदानों की आमिल करते हुये, कलस्टर हेतु कौमन इन्हायरेंसेट मेनेजमेंट प्लान तैयार किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा सुभिकारी इंद्राकी भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला—रायपुर (छत्तीसगढ़) के स्तर से उपयुक्त कार्रवाई किये जाने हेतु निर्दिष्ट किया जाए।
- समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से आवेदक — मेसाही श्री नरेन्द्र छतुर्वेदी लाईम स्टोन माईन की ग्राम—गोड्डपेण्डी, तहसील—पाटन, जिला—दुर्ग के खसरा क्रमांक 354, 491(पाट), 493, 494, 495, 497 एवं 498 में स्थित चूना पत्थर (ग्राम खण्डिज) खदान, कुल क्षेत्रफल—5.04 हेक्टेयर, क्षमता — 60,000 टन प्रतिवर्ष हेतु परिषिष्ट—01 में पर्याप्त शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुमति की गई।

सायद उल्हास पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

- मेसाही श्रीके. मिनरल्स (घीरामाडा लाईम स्टोन क्षात्री), ग्राम—घीरामाडा, तहसील—पाटन, जिला—दुर्ग (समिवालय का नस्ती क्रमांक 1779) अनिलाईन आवेदन — प्रयोजन नम्बर — एसआईए / सीजी / एमआईएन / 226816 / 2021, दिनांक 28/08/2021।

प्रस्ताव का विवरण — यह प्रस्तावित चूना पत्थर (ग्राम खण्डिज) खदान है। खदान ग्राम—घीरामाडा, तहसील—पाटन, जिला—दुर्ग स्थित खसरा क्रमांक 1213/1, 1213/2, 1213/3, 1223/1, 1223/2, 1223/3, 1223/4(पाट), 1220, 1221, 1222, 1224, 1225(पाट), 1153/2(पाट), 1212/1(पाट), 1214(पाट), 1211/1, 1211/2

1209/1, 1209/2, 1209/3, 1209/4, 1209/5, 1207(पाठ), 1208(पाठ) एवं 1212/2 कुल क्षेत्रफल—34 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्तमन समता—1,50,000 टन प्रतिवर्ष है।

उन्नासार परियोजना प्रस्तावको एस.इ.ए.सी. उत्तीर्णगढ़ के द्वापन दिनांक 08/09/2021 द्वारा प्रस्तुत करण हेतु सुमित्र किया गया।

बैठकों का विवरण —

(अ) समिति की 390वीं बैठक दिनांक 14/09/2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री फिलोर चुमार जीन, पाटनर विडियो कान्फ्रेंसिंग के महायम से उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती प्रस्तुत जानकारी का अधिकावचन एवं परीक्षण करने पर निम्न सिध्दि पाई गई—

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण— इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
2. याम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र— उत्तमन के सबंध में याम पंचायत घोषणाओं का दिनांक 27/11/2020 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. उत्तमन योजना— यामी प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो संयुक्त संचालक (या.प्र.) संचालनालय, भौमिकी तथा खानिकारी, नवा रायपुर आटल नगर के द्वापन क्रमांक खंड 02/रेत/माप्ल.अनुमोदन/न.क.06/2020(1) नवा रायपुर, दिनांक 16/06/2021 द्वारा अनुमोदित है।
4. 500 मीटर की परिधि में रिस्त खदान— कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला—दुर्ग के द्वापन क्रमांक 915/खनि. लि.02/खनिज/2021 दुर्ग, दिनांक 13/09/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर की भौतर अवधिकरता 1 खदान, क्षेत्रफल 1.50 हेक्टेयर है।
5. 200 मीटर की परिधि में रिस्त सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं— कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला—दुर्ग के द्वापन क्रमांक 882/खनि. लि. 02/खनिज/2021 दुर्ग, दिनांक 27/08/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मरघट, अरपताल, रक्कूल, पुल, इनीकट राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्यमार्ग एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं हैं।
6. एल.ओ.आई. का विवरण— एल.ओ.आई. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला—दुर्ग के द्वापन क्रमांक 3936/खनिज/या.प्र./2021 दुर्ग, दिनांक 27/02/2021 द्वारा जारी की गई, जिसकी अवधि 1 वर्ष हेतु वैध है।
7. गू—स्थानित्य— भू—स्थानित्य संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है।
8. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट— वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
9. बन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र— कार्यालय बनमण्डलाधिकारी दुर्ग बनमण्डल, दुर्ग के द्वापन क्रमांक/तक.अधि./2020/4159 दुर्ग, दिनांक 26/10/2020 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र की सीमा बन भूमि से 50 किमी की दूरी पर है।

10. महत्वपूर्ण चारों राजनामों की दूरी – निकटलम आवादी घाम-चौरामाता 1.4 कि.मी. स्थान घाम-द्वीरामाता 1.4 कि.मी. एवं अरपताल घाम-सेलूद 5.5 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजनाम 17.7 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 5.56 कि.मी. दूर है। तालाब 1.5 कि.मी. दूर है।
11. पारिस्थितिकीय / जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राष्ट्रीय सीमा, राष्ट्रीय उदान, अन्यारण्य, दौलतीय प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड द्वारा घोषित किटिकली पौल्युट्रेड एवं पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।
12. खनन संपदा एवं खनन का विवरण – जियोलॉजिकल रिपोर्ट लगभग 17,00,000 टन. माईमीटर रिपोर्ट लगभग 9,29,182 टन एवं रिकलरेबल रिपोर्ट लगभग 8,36,264 टन है। लीज की 7.5 मीटर और सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 6,732 घनमीटर है। ओपन कार्स्ट रेसी नेवानाईप्ल लिंग से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकारम गहराई 21 मीटर है। लीज क्षेत्र में काफी मिट्टी की मोटाई 1 मीटर है तथा गुल भाजा 27,698 घनमीटर है। जिसमें से 16,200 घनमीटर ऊपरी मिट्टी की सीमा पट्टी (7.5 मीटर) ने फिलाकर वृक्षारोपण के लिए उपयोग एवं शेष 12,498 घनमीटर ऊपरी मिट्टी को गर नाईलिंग क्षेत्र 1,964 घनमीटर में भंडारण कर पृक्षारोपण के लिए उपयोग किया जाएगा। देश की ऊर्ध्वाई 1.5 मीटर एवं लोहाई 1.5 मीटर है। खदान की समावित आयु 7 वर्ष है। लीज क्षेत्र में छावार स्थापित किया जाना प्रस्तावित नहीं है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं कॉटोल स्लारिंग किया जाएगा। खदान में यायु प्रदूषण नियन्त्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा। वार्षिक प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:-

| वर्ष | प्रस्तावित उत्खनन (टन) |
|---------|------------------------|
| प्रथम | 1,49,250 |
| द्वितीय | 1,49,365 |
| तृतीय | 1,50,000 |
| चतुर्थ | 1,50,000 |
| पन्थम | 1,50,000 |
| षष्ठम | 1,50,000 |
| सप्तम | 1,80,055 |

नोट: लालिका में दर्शनलय के बाद को ऑको को राहग़ुण्डीफ किया गया है।

13. जल आपूर्ति – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 6 घनमीटर प्रतिदिन होगी। खदान में विभिन्न कियाकलापों (जल छिड़काव, वृक्षारोपण) हेतु जल की आपूर्ति आसपास स्थित निष्क्रिय खदानों में एकत्रित जल एवं पेयजल की आपूर्ति बोरेल के माध्यम से की जाएगी। मूँ-जल की उपयोगिता हेतु रोन्टल चाहुण्ड गोटर अधीरिटी की अनुमति प्रस्तुत नहीं की गई है।
14. वृक्षारोपण कार्य – लीज क्षेत्र की सीमा ने बाटी और 7.5 मीटर की पट्टी ने क्षेत्र में कुल 2,500 नग वृक्षारोपण किया जाएगा।
15. खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन बायर्थ नहीं किया गया है।

16. गैर मार्डिनिंग क्षेत्र – प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि लीज क्षेत्र के अन्तर्भूत भाग में शौचाइ कम होने के कारण 1984 वर्गमीटर क्षेत्र (हम्म क्षेत्र) एवं औपरिका हेतु 104 वर्गमीटर क्षेत्र द्वारा गैर मार्डिनिंग क्षेत्र रखा गया है। इसका उल्लेख मार्डिनिंग प्लान में किया गया है।
17. मार्डिनिंग प्लान अनुसार लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मात्रा 27,698 घनमीटर है। ऊपरी मिट्टी की मात्रा 15,200 घनमीटर को 7.5 मीटर की दौमा पट्टी में 2.25 मीटर की ऊचाई तक तथा ऊपरी मिट्टी की मात्रा 12,498 घनमीटर को हम क्षेत्र 1984 वर्गमीटर क्षेत्र में 6.4 मीटर की ऊचाई तक बढ़ावित किया जाएगा। समिति का नह है कि सुख्ता कारणी से ऊपरी मिट्टी को 1.5 मीटर की ऊमा पट्टी में 1 मीटर की ऊचाई से अधिक तथा हम क्षेत्र में स्तरीय 28 डिग्री से अधिक रखा जाना सभव नहीं है। अत उपरोक्त के आधार पर संशोधित अनुमोदित मार्डिनिंग प्लान प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
18. कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीईआर (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के सम्बन्धित सभी उपरांत निम्नानुसार प्रस्तुत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

| Capital Investment (in Lakh Rupees) | Percentage of Capital Investment to be Spent | Amount for CER Activities (in Lakh Rupees) | Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees) | |
|--|--|---|---|---|
| | | | Particulars | CER Fund Allocation (in Lakh Rupees) |
| 68.30 | 2% | 1.13 | Following activities at Government Higher Secondary School, Village- Dhaurabhatha | |
| | | | Rain Water Harvesting System | 1.35 |
| | | | Plantation | 0.05 |
| | | | Total | 1.40 |

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निम्न लिया गया था:-

- भू-स्वामित्य संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किया जाये।
- भू-जल की उपयोगिता हेतु सेन्ट्रल यात्रुण चीटर अधीरिटी से अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।
- ऊपरी मिट्टी प्रबन्धन योजना के संबंध में उपरोक्त के विवरण अनुसार संशोधित अनुमोदित मार्डिनिंग प्लान प्रस्तुत किया जाए।
- उपरोक्त तमस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने उपरांत आगामी कार्यकारी की जाएगी।

तदानुसार एसईएसी, छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 28/09/2021 को परियोजना में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 06/12/2021, 10/01/2022 एवं 24/01/2022 को प्रस्तुत किया गया है।

(ब) समिति की 395वीं बैठक दिनांक 24/01/2022:

समिति द्वारा नसी, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं वर्णाशाण करने पर निम्न सिध्दिति पाई गई—

1. मू—स्वामित्व संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसार खसरा क्रमांक 1213/1, 1213/2, 1213/3, 1223/2, 1223/3, 1223/4(पाट), 1221, 1222, 1207(पाट), 1208(पाट), 1153/2(पाट), 1212/1(पाट), 1212/2 1214(पाट) श्री रामानुज ठाकुर खसरा क्रमांक 1211/1, 1211/2, 1209/1, 1209/2, 1209/3, 1209/4, 1209/5, श्री बलिराम, खसरा क्रमांक 1223/1, श्रीमती हुश्वरी बाई एवं खसरा क्रमांक 1220, 1224, 1225(पाट) श्री दिनेश गुला तथा श्री विश्वार जीन के नाम पर है। उत्थनन हेतु भूमि स्वामियों का सहमति पत्र एवं पार्टनरशिप फ़ीड की प्रति प्रस्तुत किया गया है।
2. मू—जल की उपयोगिता हेतु सेन्ट्रल प्राइव्ड बॉटर अधीरिटी से अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है।
3. प्रस्तुत ऊपरी मिट्टी प्रबंधन योजना के अनुसार लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मात्रा 27,898 घनमीटर है। ऊपरी मिट्टी को 7.5 मीटर (माईंग बाउच्यू) क्षेत्र में 6,880 घनमीटर को 1.5 मीटर की ऊंचाई तक तथा गैर माईंग क्षेत्र में 9,715 घनमीटर को 6 मीटर की ऊंचाई तक तथा ऊपरी मिट्टी 11,303 घनमीटर को 6 मीटर की ऊंचाई तक तथा खसरा क्रमांक 1207, 1208 एवं 1214, कुल क्षेत्रफल 0.45 हेक्टेयर में भलारित किया जायेगा। भलारण हेतु भूमि स्वामी की सहमति पत्र की प्रति प्रस्तुत की गई है। साथ ही अनुमोदित माईंग प्लान में उल्लेखनीय है कि प्रस्तावित ऊंचाई तक ऊपरी मिट्टी/ओवर बर्डन को रखा पाना समय नहीं होने पर लीज क्षेत्र के बाहर अन्य सुपर्युक्त रखल पर रखा जाएगा। समिति का नत है कि सुख्ता कारणी से ऊपरी मिट्टी को 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में 1 मीटर की ऊंचाई से अधिक तथा ऊपरी क्षेत्र में फ्लोप 28 डिग्री से अधिक रखा जाना समय नहीं है। अतः उपरोक्त के अधार पर सहमति अनुमोदित माईंग प्लान प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
4. सीईआर के तहत प्रस्तावित स्कूल के प्राचार्य (Principal) का सहमति पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
5. लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में एवं सीईआर के तहत वृक्षारोपण हेतु पौधों का रोपण, कॉसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख—रखाव के लिए 5 पर्यां का घटकवार यथा का विवरण विस्तृत प्रस्ताव सहित प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरात सर्वसम्मति से निमानुसार निर्णय लिया गया—

1. ऊपरी मिट्टी प्रबंधन योजना के संबंध में उपरोक्त के विवरण अनुसार संशोधित अनुमोदित माईंग प्लान प्रस्तुत किया जाए।
2. सीईआर के तहत प्रस्तावित स्कूल के प्राचार्य (Principal) का सहमति पत्र प्रस्तुत किया जाए।
3. लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में एवं सीईआर के तहत वृक्षारोपण हेतु पौधों का रोपण, सुख्ता हेतु कॉसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख—रखाव के लिए 5 पर्यां का घटकवार यथा का विवरण सहित विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

4. उपरोक्त वाचित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरोक्त आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

7. गोरास बिलाडी लाईम स्टोन व्हारी (प्रो.- श्री संजय सहगल), ग्राम-बिलाडी, तहसील-तिल्डा, जिला-रायपुर (संधिवालय का नस्ती क्रमांक 1190)
ऑनलाइन आवेदन - प्रयोजन नम्बर - एसआईए/ सीजी/ एमआईए/ 144140 / 2020, दिनांक 20 / 02 / 2020। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाइन आवेदन में कमियों होने से ज्ञापन दिनांक 26 / 02 / 2020 एवं 17 / 07 / 2020 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वाचित जानकारी दिनांक 07 / 07 / 2020 एवं 19 / 08 / 2020 को ऑनलाइन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण - यह पूर्व से संबलित तृना पत्थर (ग्रीष्म सूनिज) खदान है। खदान ग्राम-बिलाडी, तहसील-तिल्डा, जिला-रायपुर स्थित लासरा क्रमांक 105/1, कुल क्षेत्रफल-2.9 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्त्खनन क्षमता-3,500 टन प्रतिवर्ष है।

बैठकों का विवरण -

(अ) समिति की 338वीं बैठक दिनांक 02 / 09 / 2020:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा उत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

1. ग्राम पंचायत द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र (कार्यवाही बैठक सहित) की स्पष्ट/ पठनीय प्रति प्रस्तुत किया जाए।
2. सीज सीमा से निकटतम घन क्षेत्र की वास्तविक दूरी संबंधी जानकारी हेतु घन विभाग से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की स्पष्ट/ पठनीय प्रति प्रस्तुत किया जाए।
3. यदि पूर्व में आवेदित स्थल पर खनन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण समाधान निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ अधिकारी जिला सत्रीय पर्यावरण समाधान निर्धारण प्राधिकरण (सी.ई.आई.ए.ए.) छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिशोधित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही वृक्षारोपण की अद्यतन रिपोर्ट की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए।
4. यदि खदान पूर्व से संबलित है, तो विगत वर्षों में वर्षावार किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी (वित्तीय रूप) सूनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।
5. भारत सरकार, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ. एम. दिनांक 01 / 05 / 2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु विस्तृत प्रस्ताव पूर्ण विवरण के साथ प्रस्तुत किया जाए।
6. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) के साथ आगामी माह की आयोजित बैठक में प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।



परियोजना प्रस्तावक को एसईएसी, उत्तीर्णगढ़ के द्वारा दिनांक 03/10/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 342वीं बैठक दिनांक 08/10/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु भी संजय सहगल, प्रोपर्टीट्रॉटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती प्रस्तुत आनंदार्थी का अपलोडन एवं परीक्षण करने पर निम्न रिपोर्ट पाइ गई—

1. ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र — उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत विलासी का दिनांक 06/05/2004 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. उत्खनन योजना — क्वारी प्लान एलाग विधि हृन्दायर्समेट मेनेजमेंट प्लान एप्ट क्वारी जलीजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (खानि प्रश्न) जिला-रायपुर के द्वारा दिनांक 04/ख.लि./तीन-८/उप./2017 रायपुर दिनांक 03/04/2017 द्वारा अनुमोदित है।
3. 500 मीटर की परिधि में स्थित खादान — कार्यलय कलेक्टर (खानि शाखा), जिला-रायपुर के द्वारा दिनांक /क/ख.लि./तीन-८/2019/2047 रायपुर दिनांक 25/09/2019 अनुसार आवैदित खादान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खादानों की संख्या निर्देश है।
4. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/सारचनाएं — कार्यलय कलेक्टर (खानि शाखा), जिला-रायपुर के द्वारा दिनांक /क/ख.लि./तीन-८/2019/2036 रायपुर दिनांक 24/09/2019 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में छोड़ भी सार्वजनिक क्षेत्र की संख्या निर्देश नहीं है।
5. लीज का विवरण — यह जारीकीय भूमि है। पूर्व में लीज भी शिव कुमार देवगंग के नाम पर थी। लीज डीड 10 वर्ग अर्पण दिनांक 27/11/2004 से 26/11/2014 तक की अवधि हेतु थी। लीज डीड का हस्तांतरण भी संजय सहगल के नाम पर दिनांक 02/09/2010 को किया गया है। प्रस्तुतीकरण के द्वितीय परियोजना प्रस्तावक द्वारा कहाया गया कि लीज डीड की अवधि यूहि हेतु आवेदन किया गया है।
6. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट — वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
7. घन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र — कार्यालय घनगणहलाहिकारी, रायपुर घनगणहल, रायपुर के द्वारा दिनांक /मा.वि./रा/3025 रायपुर, दिनांक 07/09/2020 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र घन भूमि की दूरी 2 कि.मी. की दूरी पर है।
8. महत्वपूर्ण सरपनाओं की दूरी — निकटतम आवादी ग्राम—विलासी 1 कि.मी. स्कूल ग्राम—विलासी 1 कि.मी. एवं अरपताल तिल्दा 4 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 13 कि.मी. एवं राजमार्ग 1 कि.मी. दूर है।
9. पारिस्थितिकीय/जीवविविधता संवेदनशील क्षेत्र — परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राजीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, घोन्दीय प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकल पौल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय



संपैदनशील क्षेत्र या पांचित जीवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिपेदित किया है।

10. खनन संघर्ष एवं खनन का विवरण — जियोलॉजिकल रिजर्व 4,36,000 टन, माईनिंगल रिजर्व 3,02,133 टन एवं स्किल्हरेबल रिजर्व 2,71,919 टन है। जियोलॉजिकल रिजर्व की मात्रा 6 मीटर गहराई तक तीव्र गई है। विभाग 10 वर्षों में 0.83 हेक्टेयर क्षेत्र में 1 मीटर गहराई तक उत्खनन किया गया है। लीज की 7.5 मीटर औरी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिवर्षित क्षेत्र) का दोबारा 0.49 हेक्टेयर है। ओपन कार्स्ट सेमी मेनेमाइंग विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 3 मीटर है। ऊपरी मिट्टी की मात्रा 1,866 घनमीटर एवं मोटाई 0.2 मीटर है। येच की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं गोडाई 1.5 मीटर है। खदान की समाप्ति आयु 30 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित नहीं है एवं वर्तमान में इसकी स्थापना का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। जैक हिंगर सो डिलिंग एवं कटोल ब्लारिंग किया जाता है। खदान में बायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। वर्षावार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है—

| वर्ष | दोब्रफल (घनमीटर) | गहराई (मीटर) | आयतन (घनमीटर) | प्रस्तावित उत्खनन ROM (टन) |
|---------|---------------------|-----------------|------------------|-------------------------------|
| प्रथम | 933 | 1.5 | 1,400 | 3,500 |
| द्वितीय | 933 | 1.5 | 1,400 | 3,500 |
| तृतीय | 933 | 1.5 | 1,400 | 3,500 |
| चतुर्थ | 933 | 1.5 | 1,400 | 3,500 |
| पंचम | 933 | 1.5 | 1,400 | 3,500 |

आगामी वर्षों का उत्खनन योजना

| वर्ष | दोब्रफल (घनमीटर) | गहराई (मीटर) | आयतन (घनमीटर) | प्रस्तावित उत्खनन ROM (टन) |
|--------|---------------------|-----------------|------------------|-------------------------------|
| छठवें | 933 | 1.5 | 1,400 | 3,500 |
| सातवें | 933 | 1.5 | 1,400 | 3,500 |
| आठवें | 933 | 1.5 | 1,400 | 3,500 |
| नीवे | 933 | 1.5 | 1,400 | 3,500 |
| दसवें | 933 | 1.5 | 1,400 | 3,500 |

नोट: तालिका में दशमलव के बाद के अंकों को राउण्डेज़ दिया गया है।

11. जल आपूर्ति — परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 3 घनमीटर प्रतिदिन होगी। खदान ने विभिन्न क्रियाकलापों (जल फ़िल्टरण, युक्तारोपण) हेतु जल की आपूर्ति टैंकर के साझायम से की जाएगी। इस बाबत से सहमति ली जाएगी।
12. युक्तारोपण कार्य — लीज क्षेत्र की सीमा में बाढ़ी और 7.5 मीटर की पट्टी में 1200 नम युक्तारोपण किया जाएगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि ऊपरी मिट्टी को प्रथम वर्ष में उत्खनन कर 7.5 मीटर की पट्टी में भण्डारण/संरक्षित कर प्रथम वर्ष में ही पूरी युक्तारोपण किया जाएगा।
13. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्थीकृति संबंधी विवरण—

- पूर्व में बुना पत्थर खदान यासरा क्रमांक 105/1, कुल दोब्रफल — 2.9 हेक्टेयर, क्षमता — 300 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्थीकृति सञ्चय सत्र



पर्यावरण रामाधातु नियोजन प्राप्तिकरण छत्तीसगढ़ द्वारा दिनांक 12/06/2015 को जारी की गई। यह स्वीकृति दिनांक 15/10/2015 तक की अवधि हेतु जारी की गई।

- ii. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत थीं गई है।
- iii. नियोजित शर्तोंनुसार बृक्षारोपण नहीं किया गया है।
- iv. कार्यालय कलेक्टर (खनिज खाता), जिला—रायपुर के द्वापन दिनांक 05/10/2020 द्वारा यहाँ ने किये गये उत्तरानन की जानकारी निम्नानुसार है—

| वर्ष | उत्पादन (टन) |
|------|--------------|
| 2010 | 260 |
| 2011 | 500 |
| 2012 | मिरक |
| 2013 | 500 |
| 2014 | मिरक |

- v. प्रस्तुतीकरण को दीर्घन परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि उत्तरानन कार्य वर्ष 2014 से बद है। युक्ति लीज फैब 10 वर्षी अपील दिनांक 27/11/2004 से 26/11/2014 तक की अवधि हेतु थी।

14. कौपीरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) — परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीईआर (Corporate Environment Responsibility) का प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया है। प्रस्तुत प्रस्ताव में सासाचीय रूकूल, ग्राम—विलाही में प्रस्तावित रेन गैटर हार्डिंग एवं बृक्षारोपण की उपयुक्त गणना तथा कुल लागत में प्रस्तावित क्रांत की लागत को समावेश नहीं किया गया है।
15. प्रस्तुतीकरण को दीर्घन यह तथ्य संझान में आया कि प्रस्तुत अनुमोदित मार्फतिग प्लान में ब्लौकड रिजर्व की गणना में प्रस्तावित क्रांत का उल्लेख नहीं किया गया है एवं उक्त रिजर्व के ब्लौकड रिजर्व की गणना भी नहीं की गई है। साथ ही प्रस्तुत लैण्ड यूज पैटर्न में लीज की 7.5 मीटर बीड़ी सीमा पटटी (उत्तरानन की लिए प्रतिबंधित बीड़ी) के क्षेत्रफल का विवरण नहीं दिया गया है। अतः उपयुक्त की गणना कर सशोधित मार्फतिग प्लान प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था—

1. उपरोक्त विवरण अनुसार रिजर्व की विस्तृत गणना कर, सशोधित अनुमोदित मार्फतिग प्लान प्रस्तुत किया जाए।
2. सीईआर (Corporate Environment Responsibility) के प्रस्ताव में कुल लागत में प्रस्तावित क्रांत की लागत को समावेश किया जाए एवं प्रस्तावित रेन गैटर हार्डिंग, बृक्षारोपण आदि की उपयुक्त गणना सहित विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
3. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने उपरोक्त आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के द्वापन दिनांक 07/11/2020 के परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 05/01/2021 को जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है।

(स) समिति की 354वीं बैठक दिनांक 08/01/2021:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अबलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई—

- पूर्व में दिनांक 03/04/2017 को प्रस्तुत अनुमोदित याती प्लान में लियोलॉजिकल रिजर्व 4,35,000 टन, माइनरल रिजर्व 3,02,133 टन एवं रिकवरेबल रिजर्व 2,71,919 टन होना बताया गया है। याचिक गणना में प्रस्तावित प्रशार क्षेत्र में लॉकड रिजर्व को शामिल नहीं किया गया। परंगत में प्रस्तुत संशोधित माईनिंग प्लान में लियोलॉजिकल रिजर्व 4,23,750 टन एवं माइनरल रिजर्व 2,97,150 टन है। साथ ही लॉकड रिजर्व की गणना में प्रस्तावित क्षेत्र क्षेत्र (लॉकड रिजर्व 22,500 टन) होना बताया गया है। उक्त संघटन में रपट है कि गणना में चुटि है। इस संघटन में स्थिति रपट किया जाना आवश्यक है।
- कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** — सीईआर (Corporate Environment Responsibility) के प्रस्ताव में कुल लागत में प्रस्तावित क्षेत्र की लागत को समावेश करते हुये प्रस्तावित रेन बॉटर हार्डिस्टेंग, बुकारोपण आदि की उपयुक्त गणना सहित निम्नानुसार प्रस्तुत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है—

| Capital Investment (in Lakh Rupees) | Percentage of Capital Investment to be Spent | Amount for CER Activities (in Lakh Rupees) | Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees) | |
|--|--|---|---|---|
| | | | Particulars | CER Fund Allocation (in Lakh Rupees) |
| 70.04 | 2% | 1.40 | Following activities at Nearby Government Primary School, Village- Biladi | |
| | | | Rain Water Harvesting System | 1.00 |
| | | | Potable Drinking Water Facility | 0.15 |
| | | | Plantation with fencing | 0.30 |
| | | | Total | 1.45 |

समिति द्वारा सत्सामग्री सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को बिन्दु क्रमांक 1 के संबंध में स्पष्ट जानकारी एवं समस्त पूरी जानकारी/दस्तावेज (अद्यतन कोटोग्राफ्स) के साथ आगामी आयोगित बैठक में प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एसईएसी छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 22/01/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(द) समिति की 356वीं बैठक दिनांक 28/01/2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री राज्य सहमति, श्रीपराईटर उपरिषित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी वा अबलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई—

- उत्खनन योजना — संशोधित क्षेत्री प्लान एसीएसीएसी इन्हायरोमेंट मेमोरांडम प्लान विध घोरोलिंग क्षारी क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो सम्पूर्ण संचालक (खप), संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकार्म, नवा राष्ट्रपुर अटल नगर

के ज्ञापन पुस्तक 5112/खमी02/मालअनुमोदन/न.क्र.04/2019(2) नवा रायपुर दिनांक 08/12/2020 द्वारा अनुमोदित है। जिसमें उत्थोलीजिकल रिजर्व 4,31,250 टन एवं माईनेबल रिजर्व 3,04,850 टन है। राष्ट्र ही ब्लौकल रिजर्व की गणना में प्रस्तावित जास्तर होत्र 1,500 पर्सनीटर (युल ब्लौकल रिजर्व 22,600 टन) होना चाहिया गया है।

2. समिति के सहान में यह सभ्य आया कि पूर्व में इस चूना पश्चिम छदान खट्टर कमांक 105/1 कुल ब्लौकल-2.9 हेक्टेयर क्षमता-300 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्थीरता रायपुर रेल यांत्रिक रामता नियांरण प्राधिकरण, चारतीरामगढ़ द्वारा दिनांक 12/06/2015 को जारी की गई थी। वर्तमान में परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्षमता-3,500 टन प्रतिवर्ष हेतु आयोदन किया गया है। जिससे स्पष्ट होता है कि यह प्रकरण जामता विस्तार का है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि एकीकृत क्षेत्रीय समर्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रायपुर द्वारा जामकारी/दस्तावेज दिनांक 13/09/2021 को प्रस्तुत किया गया है।

तदानुसार एस.इ.ए.सी., छल्लीसगढ़ को ज्ञापन दिनांक 06/03/2021 के परिपेक्ष में एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रायपुर द्वारा जामकारी/दस्तावेज दिनांक 13/09/2021 को प्रस्तुत किया गया है।

(इ) समिति की 390वीं बैठक दिनांक 14/09/2021:

समिति द्वारा नस्ती प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई कि एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन नंत्रालय, रायपुर को ज्ञापन दिनांक 13/09/2021 द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्थीरता के पालन में की गई कार्रवाही की घिन्नुवार जानकारी प्रस्तुत की गई है। प्रस्तुत पालन प्रतिवेदन अनुसार शही कमांक 14 (वृक्षारोपण का कार्य नहीं किया जाना), शही कमांक 25 (वृक्षनतम 2 स्थानीय समाजाव एजेंसी में प्रसारित नहीं किया गया), एवं 26 (पर्यावरणीय स्थीरता में ही गई शही के पालन हेतु की गई कार्रवाही की अधिकारिक रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं किया गया) का अपूर्ण पालन होना बताया गया है। इस सब्द्य ने समिति का मत है कि परियोजना प्रस्तावक को जारी पर्यावरणीय स्थीरता में निर्धारित शही का पालन पूर्ण करने के स्पर्शत ही आगामी कार्रवाही किया जाना उचित होगा।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्थीरता में निर्धारित शही कमांक 14 अनुसार वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण कर पोटोशाप्सा सहित एवं निर्धारित शही कमांक 26 अनुसार अधिकारिक पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने संपर्कत आगामी कार्रवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.इ.ए.सी., छल्लीसगढ़ को ज्ञापन दिनांक 28/09/2021 के परिपेक्ष में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जामकारी/दस्तावेज दिनांक 09/12/2021 को प्रस्तुत किया गया है।

(इ) समिति की 395वीं बैठक दिनांक 24/01/2022:

समिति द्वारा नस्ती प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई—

- पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में निर्धारित शर्त क्रमांक 14 अनुसार युक्तारोपण का कार्य पूर्ण कर कोटोग्रापरा प्रस्तुत किया गया है।
- पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में निर्धारित शर्त क्रमांक 26 (पर्यावरणीय स्वीकृति में दी गई शर्तों के पालन हेतु की गई कार्यवाही की अधिकारिक रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं किया गया) का अपूर्ण पालन होना बताया गया है।
- सीईआर के तहत प्रस्तावित स्कूल के प्राचार्य (Principal) का सहमति पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
- लीज होम के घारों और प्रस्तावित 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में एवं सीईआर के तहत युक्तारोपण हेतु घोषी का रोपण, जेसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख-रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकावार व्यव का विवरण विस्तृत प्रस्ताव सहित प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा विचार विभार्ता उपरात तर्दशमति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

- पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में निर्धारित शर्त क्रमांक 26 अनुसार अधिकारिक पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाए।
- सीईआर के तहत प्रस्तावित स्कूल के प्राचार्य (Principal) एवं सहमति पत्र प्रस्तुत किया जाए।
- लीज होम के घारों और प्रस्तावित 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में एवं सीईआर के तहत युक्तारोपण हेतु घोषी का रोपण, सुरक्षा हेतु फेसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख-रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकावार व्यव का विवरण सहित विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
- उपरोक्त वाइत आनकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरात आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

- मेसर्सि सिरिसगुडा लाईम रटोन कचारी (प्रो.— श्री देवेश मदौरिया), ग्राम—सिरिसगुडा, तहसील—तोकापाल, ज़िला—बस्तर (संविवालय का नम्बर क्रमांक 1874ए)

ऑनलाईन आवेदन — प्रधानमन्त्री / सीली / एमआईएन / 70160 / 2021, दिनांक 17 / 12 / 2021।

प्रस्ताव का विवरण — यह प्रस्तावित यूना पल्लव (गोण स्टेनिज) लादान है। लादान ग्राम—सिरिसगुडा, तहसील—तोकापाल, ज़िला—बस्तर स्थित खासरा क्रमांक 481, 482 एवं 483, कुल हेत्रफल—1.09 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। लादान की आवेदित उत्खनन क्षमता—37,500 टन प्रतीवर्ष है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन के माध्यम से प्रकरण बापत लिये जाने हेतु अनुरोध पत्र प्रस्तुत किया गया है।

बैठक का विवरण —

- (अ) समिति की 395वीं बैठक दिनांक 24 / 01 / 2022:



समिति द्वारा नरती प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर पाया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाइन को माध्यम से सूचना दी गयी है कि जानकारी अपूर्ण होने के कारण आवेदन को वापस लिये जाने का अनुरोध किया गया। समिति द्वारा अनुरोध को मान्य किया गया।

समिति द्वारा विवार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से परियोजना प्रस्तावक को अनुरोध को स्वीकार करते हुये आवेदित प्रकरण को डि-लिस्ट/निरस्त किये जाने की अनुमति की गई।

राज्य सत्रीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), उत्तीर्णद ने तदानुसार सूचित किया जाए।

9. मेसर्स छिंदगांव लाईम स्टोन कंपारी (प्रो.— श्री ओंकार रिंह), गाम—छिंदगांव, तहसील—बकाबण्ड, जिला—बस्तर (सचिवालय का नरती क्रमांक 1875ए)

ऑनलाइन आवेदन — प्रपोजल नम्बर — एसआईए / सीजी / एनआईए/ 70171 / 2021, दिनांक 18 / 12 / 2021।

प्रस्ताव का विवरण — यह प्रस्तावित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान गाम—छिंदगांव, तहसील—बकाबण्ड, जिला—बस्तर स्थित खासा क्रमांक 1043 / 1, 1043 / 2, 1043 / 3, 1043 / 4, 1043 / 5, 1044 / 2 एवं 1044 / 4, कुल क्षेत्रफल — 2.142 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्थानन कमता—62,500 टन प्रतिवर्ष है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाइन के माध्यम से प्रकाश वापस लिये जाने हेतु अनुरोध पर प्रस्तुत किया गया है।

बैठक का विवरण —

(अ) समिति की 395वीं बैठक दिनांक 24 / 01 / 2022:

समिति द्वारा नरती प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर पाया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाइन को माध्यम से सूचना दी गयी है कि आवेदन में जुटि होने के कारण आवेदन को वापस लिये जाने का अनुरोध किया गया। समिति द्वारा अनुरोध को मान्य किया गया।

समिति द्वारा विवार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से परियोजना प्रस्तावक को अनुरोध को स्वीकार करते हुये आवेदित प्रकरण को डि-लिस्ट/निरस्त किये जाने की अनुमति दी गई।

राज्य सत्रीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), उत्तीर्णद ने तदानुसार सूचित किया जाए।

10. मेसर्स पुटीडीह विकास अर्थ कले कंपारी एण्ड फिक्स विकास फ्लाइट (प्रो.— श्रीमती सुमन वैरामी), गाम—पुटीडीह, तहसील—छंभरा, जिला—जांबांगीर—चांचा (सचिवालय का नरती क्रमांक 1736)

ऑनलाइन आवेदन — प्रपोजल नम्बर — एसआईए / सीजी / एनआईए/ 220640 / 2021, दिनांक 18 / 07 / 2021।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित मिट्टी उत्थनम (गौण खनिया) खदान एवं पिकला धिमनी ईंट उत्पादन इकाई है। खदान ग्राम-पुणीडीह, तहसील-डमरा, ज़िला-जांजगीर-चांपा स्थित खसरा क्रमांक 529, 531, 533, 545/4 एवं 545/5, कुल क्षेत्रफल—1.149 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्थनन क्षमता—900 घनमीटर प्रतिघण्ठे है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एसईएसी, छलीसगढ़ के ज्ञापन एवं ई-मेल दिनांक 26/07/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण—

(अ) समिति की 384वीं बैठक दिनांक 02/08/2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि विडियो कान्फ्रैंसिंग के माध्यम से उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के ई-मेल दिनांक 02/08/2021 द्वारा सूचना दी गयी है कि अपरिहार्य कारणों से समिति की सभका बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना समव नहीं है। अतः आगामी बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है। समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक को अनुरोध को मान्य किया गया।

समिति द्वारा तत्समय सार्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में चाही गई वाहित जानकारी एवं समस्त सुलगत जानकारी / दस्तावेज सहित आगामी बाह के आधिकारिक बैठक में प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एसईएसी, छलीसगढ़ के ज्ञापन एवं ई-मेल दिनांक 27/08/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 385वीं बैठक दिनांक 31/08/2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री रामेश्वर प्रसाद यैरागी, अधिकृत प्रतिनिधि विडियो कान्फ्रैंसिंग के माध्यम से उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती प्रस्तुत जानकारी का अयोक्ता एवं परीक्षण करने पर निम्न रिपोर्ट पाई गई—

- पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्थीकृति संबंधी विवरण—इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्थीकृति जारी नहीं की गई है।
- ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र—उत्थनन के संबंध में ग्राम पंचायत पटीडीह का दिनांक 06/04/2018 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
- उत्थनन योजना—योजना प्लान एलाग विध व्यापारी कलोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप सभालक (खनि प्रश्ना), ज़िला-कोर्ट के ज्ञापन क्रमांक 2495/खलि/उ.यो.अ./2017 कोरला, दिनांक 23/06/2021 द्वारा अनुमोदित है।
- 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान—कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), ज़िला-जांजगीर-चांपा के ज्ञापन क्रमांक 504/खलि/न.क्र./2021 जांजगीर, दिनांक 25/04/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर की परिधि अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है।
- 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक दोत्र/संरचनाए—कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), ज़िला-जांजगीर-चांपा के ज्ञापन क्रमांक 503/खलि/न.क्र./2021 जांजगीर, दिनांक 25/04/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार

B.R.L.

सदान सदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक होज तैसे आर्थिक स्थल, नदिए, मरिजद, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एग्रीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिवर्षित होने नहीं हैं।

6. एलओआई का विवरण – एलओआई कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), ज़िला-जांजगीर-चापा के ज्ञापन क्रमांक 3877/गीम खनिज/न.क. /2020-21 जांजगीर, दिनांक 11/11/2020 द्वारा जारी की गई, जिसकी अवधि 1 वर्ष हेतु विद्य है।
7. भू-स्वामित्व – भूमि लक्षण क्रमांक 529, 531, 533, 545/4 एवं 545/5 भी रामेश्वर विशार्दी एवं आयेदक के नाम पर है। उल्लेखनन हेतु भूमि स्वामी का सहमति पक्का प्रस्तुत किया गया है।
8. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत नहीं गई है।
9. बन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र – कार्यालय बनगढ़लालिकारी, जांजगीर-चापा बनगढ़ल, चापा के ज्ञापन क्रमांक/तक्रांति/2898 चापा, दिनांक 04/06/2020 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
10. महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी – निकटतम आबादी याम-पुटीडीह 1.5 कि.मी. एवं रुकुल याम-पुटीडीह 1.5 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 17 कि.मी. एवं राजमार्ग 07 कि.मी. दूर है। महानदी 4 कि.मी. दूर है।
11. पारिस्थितिकीय/जीवविविधता संवेदनशील होज – परिवोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में झलसीजीय तीव्र, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, अन्दीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रोग्राम फ्रिटिकली पॉल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील होज या शोषित जीवविविधता होज स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।
12. खनन संपदा एवं खनन का विवरण – जियोलॉजिकल रिजर्व 22,980 पर्सनीटर, माईनेश्वल रिजर्व 17,188 पर्सनीटर एवं रिकाहरेश्वल रिजर्व 16,328 पर्सनीटर है। तीज की 1 मीटर छोड़ी गीना पट्टी (उल्लेखनन के लिए प्रतिबंधित होज) का क्षेत्रफल 0.064 हेक्टेयर है। औपन कास्ट मैन्युअल धियि से उल्लेखनन किया जाएगा। उल्लेखनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 2 मीटर है। बैच की ऊंचाई 1 मीटर एवं छोड़ाई 1 मीटर है। तीज होज के भीतर 1,500 पर्सनीटर में होज हीट निर्माण हेतु नड़ा रूपायित किया जाना प्रस्तावित है, जिसकी फिल्टर चिमनी की ऊंचाई 33 मीटर होगी। इट निर्माण हेतु निटटी के साथ 50 ग्रीनिश पलाई ऐश का संपयोग किया जाएगा। खदान की संभावित आयु 20 वर्ष है। एक लाल हीट निर्माण हेतु 10 टन कोयला की आवश्यकता होगी। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिह्नकार किया जाएगा। अनुमोदित लाई लान अनुसार प्रस्तावित वर्षयार प्रस्तावित उल्लेखनन का विवरण निम्नानुसार है:-

| वर्ष | प्रस्तावित उल्लेखनन (पर्सनीटर) | उत्पादन (नग) |
|---------|--------------------------------|--------------|
| प्रथम | 900 | 9,00,000 |
| द्वितीय | 900 | 9,00,000 |
| तृतीय | 900 | 9,00,000 |
| चतुर्थ | 900 | 9,00,000 |
| पंचम | 900 | 9,00,000 |

आगामी वर्षों का उत्पादन योजना

| वर्ष | प्रस्तावित उत्पादन (घनमीटर) | उत्पादन (नग) |
|---------|-----------------------------|--------------|
| पहला | 900 | 9,00,000 |
| दूसरा | 900 | 9,00,000 |
| तीसरा | 900 | 9,00,000 |
| चौथा | 900 | 9,00,000 |
| पाँचवां | 900 | 9,00,000 |

13. जल आपूर्ति – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 5 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति ग्राम पंचायत द्वारा टैकर के माध्यम से किया जाएगा। इन बाबत ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
14. बृक्षारोपण कार्य – लीज क्षेत्र की सीमा में बांध और 1 ग्रीटर की पट्टी में 379 नग बृक्षारोपण किया जाएगा।
15. गैर माईनिंग क्षेत्र – प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा कहा गया कि लीज क्षेत्र में साईट सर्विस हेतु 100 पर्मीटर क्षेत्र की गैर माईनिंग क्षेत्र रखा जाएगा। इसका उल्लेख माईनिंग प्लान में किया गया है।
16. कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीईआर (Corporate Environment Responsibility) हेतु रथल निरीक्षण उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

| Capital Investment (in Lakh Rupees) | Percentage of Capital Investment to be Spent | Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees) | Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees) | |
|--|--|--|--|---|
| | | | Particulars | CER Fund Allocation (in Lakh Rupees) |
| 36 | 2% | 0.72 | Following activities at Government Janpad Primary School, Village- Putidih | |
| | | | Rain Water Harvesting System | 0.60 |
| | | | Portable Drinking Water facility | 0.20 |
| | | | Total | 0.80 |

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

- इट निर्माण हेतु उपयोग में लाए गए कोयले से जनित ऐश की मात्रा एवं रिजेक्ट ब्रिक्स (Reject bricks)/ब्रोकन ब्रिक्स (Broken bricks) के उपयोग की जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए।
- लीज सीमा से निकटतम बन क्षेत्र की यास्तविक दूरी संबंधी जानकारी, बन दिभाग से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की अद्यतन प्रति प्रस्तुत की जाए।
- चुपचाक्त समर्पण पूर्ण जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने समरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.टी. छत्तीसगढ़ के द्वापन दिनांक 27/09/2021 से परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 01/01/2022 को प्रस्तुत किया गया है।

(रा) समिति की 395वीं बैठक दिनांक 24/01/2022:

समिति द्वारा नस्ती प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण प्रत्यक्ष निम्न निधि लाई गई—

1. रिहोक्ट ब्रिक्स (Reject bricks)/ब्रोकन ब्रिक्स (Broken bricks) का संपर्क पहुंचमार्ग के रख-रखाव हेतु किया जाएगा। कोयले से जनित फलाई ऐल की मात्रा 5 से 8 प्रतिशत है, जिसका उपयोग ईंट निर्माण हेतु किया जाएगा।
 2. कार्यालय घनमण्डलतिकारी जांजगीर-चापा घनमण्डल, चापा के द्वापन क्रमांक /तक.अधि./6793 चापा, दिनांक 04/10/2021 से जारी अनापरित प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित होते हुन होते ही सीमा से 27.23 कि.मी. की दूरी पर है।
 3. मानवीय एन.ए.टी., ड्रिसिपल बेथ, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पास्ट्रेच विस्तृत भारत सरकार, पर्यावरण, बम और पत्तवायु परिवर्तन नकालय नई दिल्ली एवं अन्य (ओडिजनल एफिलेशन म. 186 अधि 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मूल्य रूप से निमानुसार निर्देशित किया गया है—
 - a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha, falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.
 - b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha, EIA / EMP be made applicable in Process of grant of prior environment clearance.
- समिति द्वारा विचार विभार संपरांत सर्वसम्मति से निमानुसार निर्णय लिया गया—
1. कार्यालय कलेक्टर (खणिज शाखा), जिला-जांजगीर-चापा के द्वापन क्रमांक 504/स.लि/न.क्र./2021 जांजगीर, दिनांक 25/04/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर की भीतर अवस्थित अन्य खदानों की सख्ता निरक्ष है। आवेदित खदान (एम-पुटीडीह) का इकाई 1.149 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्थीकृत/सावालित खदानों का कुल हेक्टेयर 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान दी-2 श्रेणी की मानी गयी।
 2. समिति द्वारा विचार विभार संपरांत सर्वसम्मति से आवेदक — बेससे पुटीडीह बिक्ट अर्थ करने वाली एन्ड ब्रिक्स विमनी ड्रिफ प्लाट (प्रो)- श्रीमती सुमन (पैरागी) की एम-पुटीडीह, तहसील-झमा, जिला-जांजगीर-चापा के एसन क्रमांक 529, 531, 533, 545/4 एवं 545/5 में स्थित निटटी उत्खनन (गोपन खणिज) खदान एवं ब्रिक्स विमनी ईंट उत्पादन इकाई, कुल हेक्टेयर-1.149 हेक्टेयर, क्षमता — 900 घनमीटर (ईंट उत्पादन इकाई 9,00,000 नग) प्रतिक्षेप हेतु परिशिष्ट-02 में वर्णित शर्तों को अद्वितीय पर्यावरणीय स्थीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।
 3. सी ईआर के तहत प्रस्तावित कुल का प्राचार्य (Principal) का सहमति पत्र एक माह की भीतर प्रस्तुत किया जाए।

राज्य स्तरीय पर्यावरण विभाग आकलन प्राधिकरण (एसईआईएए), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

11. मेसर्स महाबीर कंस्ट्रक्शन कंपनी (पाटनर- श्री प्रशांत बोहरा), पाय-बनहरदी, लहसील-डोगरगांव, जिला-राजनांदगांव (साधिवालय का नम्बरी क्रमांक 1282) ऑनलाईन आवेदन - प्रपोजल नम्बर - एसआईए / सीजी / एसआईएन / 147848 / 2020, दिनांक 02 / 04 / 2020। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियों होने से इापन दिनांक 08 / 05 / 2020 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा याहित जानकारी दिनांक 12 / 11 / 2020 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण - यह पूर्व से स्थानित कुना पत्तार (गीण खनिज) खदान है। खदान याम-बनहरदी, लहसील-डोगरगांव, जिला-राजनांदगांव रिच्युल खसरा क्रमांक 431 / 1, 2, 432 / 1, 2, 3, 433 / 1(पाई), कुल क्षेत्रफल-1.96 हेक्टेयर है। खदान की आवेदित उत्खनन शमता-5,000 टन प्रतिवर्षी है।

बैठकों का विवरण -

(अ) समिति की 351वीं बैठक दिनांक 10 / 12 / 2020:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का वरीयाण लघा तत्वाभ्यास सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

- बहुमान में स्थापित इकाई हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संखाण भड़ल द्वारा जारी कर्मसु शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की विन्युवार जानकारी प्रस्तुत की जाए।
- पूर्व में आवेदित रखल पर खनन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण समाधान नियरिंग प्राधिकरण (एसईआईएए), छत्तीसगढ़ अधिकार जिला स्तरीय पर्यावरण समाधान नियरिंग प्राधिकरण (सीईआईएए), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिसंरेखित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स साहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही दृष्टांशेपण की अद्यतन रिपोर्ट की जानकारी फोटोग्राफ्स साहित प्रस्तुत की जाए।
- विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वारसायिक मत्ता की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा जाव प्रस्तुत की जाए।
- सीईआर (Corporate Environment Responsibility) हेतु विस्तृत प्रस्ताव पूर्ण विवरण के साथ प्रस्तुत किया जाए।
- परियोजना प्रस्तावक की उपरोक्त समस्त पृष्ठ जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) की साथ आगामी माह की आयोगित बैठक में प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एसईए सी. छत्तीसगढ़ के द्वापन दिनांक 02 / 01 / 2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 353वीं बैठक दिनांक 07 / 01 / 2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री गिरीश कुमार श्रीवास्तव अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति के सभ्या परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुरोध किया गया कि समिति के सभ्या अपूर्ण

जानकारी / दस्तावेज होमे के कामणों से आज बैठक में प्रस्तुतीकरण दिया जाना संभव नहीं है। अतः आगामी माह के आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है। समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक के अनुरोध को मान्य किया गया।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को करवाई माह के आयोजित बैठक में पूर्व में चाही गई याचित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.इ.ए.सी. छलीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 04/02/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(रा) समिति की 358वीं बैठक दिनांक 12/02/2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 10/02/2021 द्वारा सूचना दी गयी है कि याचित जानकारी अपूर्ण होने के कारण से समिति के समझ बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः आगामी आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है। समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक के अनुरोध को मान्य किया गया।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में चाही गई याचित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.इ.ए.सी. छलीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 17/03/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(द) समिति की 364वीं बैठक दिनांक 25/03/2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 25/03/2021 द्वारा सूचना दी गयी है कि याचित जानकारी अपूर्ण होने के कारण से समिति के समझ बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः आगामी आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है। समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक के अनुरोध को मान्य किया गया।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में चाही गई याचित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.इ.ए.सी. छलीसगढ़ के पत्र एवं ई-मेल क्रमशः दिनांक 09/04/2021 एवं 27/04/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(इ) समिति की 368वीं बैठक दिनांक 06/05/2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री विकेन्द्र श्रीधारसाह, अधिकृत प्रतिनिधि विडियो कनफ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न रिपोर्ट पाइ गई:-

- श्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र – उत्तमन के संबंध में श्राम पंचायत कनहरी वा दिनांक 30/07/1996 वा अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

2. उत्तरानन योजना – मोडिकाईंड लदाई पत्रान (जारी करने वाला इन्हायरीमेट मैनेजमेंट पत्रान) प्रस्तुत किया गया है। जो संयुक्त संचालक (सानिप्रशा.), संचालनालय, मौमियी तथा सानिकम् नवा रायपुर अटल नगर के ज्ञापन ज्ञानांक 1752/सनि02/ माप्लअनुमोदन /न.क्र.05 / 2019(2) नवा रायपुर, दिनांक 16/03/2021 द्वारा अनुमोदित है।
3. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान – कार्यालय कलेक्टर (सानि शाखा), जिला-राजनामादगाव के ज्ञापन ज्ञानांक/232/ख.ति.03/2021 राजनामादगाव, दिनांक 22/03/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर की ओर 3 खदाने क्षेत्रफल 1.761 हेक्टेयर है।
4. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक शेत्र/संरचनाएँ – कार्यालय कलेक्टर (सानि शाखा), जिला-राजनामादगाव के ज्ञापन ज्ञानांक/1771/ख.लि.03/2020 राजनामादगाव, दिनांक 23/07/2020 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक शेत्र जैसे मादिर, मस्तिष्ठ, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित शेत्र निमित्त नहीं हैं।
5. लौज का विवरण – लौज पूर्व में श्रीमती पूर्णिमा बोहरा के नाम पर थी। उत्तरानन में लौज महावीर कस्टकशन कंपनी के नाम पर है। लौज छीढ़ वा द्वितीय नवीनीकरण दिनांक 06/02/2007 से 05/02/2012 तक की अवधि हेतु थी। लौज छीढ़ वा द्वितीय नवीनीकरण दिनांक 06/02/2012 से 05/02/2017 तक किया गया था। उत्पश्चात लौज छीढ़ में 10 वर्ग की, दिनांक 06/02/2017 से 05/02/2027 तक वी अवधि वृद्धि की गई है।
6. भू-स्थानिक्य – भूमि श्रीमती पूर्णिमा बोहरा के नाम पर है। उत्तरानन हेतु भूमि स्थानी का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।
7. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
8. कन विभाग का अनापरित प्रमाण पत्र – कार्यालय उन्नगण्ड्हाल अधिकारी, राजनामादगाव वन मण्डल, जिला-राजनामादगाव के ज्ञापन ज्ञानांक/मा.पि./10-1/8873 राजनामादगाव, दिनांक 01/10/2020 से जारी अनापरित प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित शेत्र की सीमा एवं शेत्र के 12 किमी की दूरी पर है।
9. महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी – निकटतम आवादी राम-गोहभट्टा 0.7 किमी, स्कूल राम-बनहरदी 1 किमी, एवं अस्पताल राम-बनहरदी 1.5 किमी की दूरी पर स्थित हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग 4 किमी, एवं राज्यमार्ग 0.5 किमी दूर है। तालाब 0.6 किमी दूर है।
10. पारिस्थितिकीय/जीवविविधता संवेदनशील शेत्र – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 किमी की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्घान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण शोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पील्युटेंड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील शेत्र या घोषित जीवविविधता शेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।
11. खनन संपदा एवं खनन का विवरण – जियोलैपिकल रिजर्व 7,35,000 टन, माईनेश्वल रिजर्व 3,70,177 टन एवं रिक्वारेश्वल रिजर्व 2,39,682 टन है। लौज की 7.5 मीटर छीढ़ी सीमा पट्टी (उत्तरानन के लिए प्रतिबंधित शेत्र) का क्षेत्रफल 4,368 वर्गमीटर है। औपन कारट सीमा मेकेनाइज्ड विधि से उत्तरानन किया जाता है।

Rohit

है। उत्त्वनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 15 मीटर है। ऊपरी मिट्टी की मोटाई 1 मीटर एवं भाजा 10,000 घनमीटर है। इस मिट्टी को सीमा पट्टी (7.5 मीटर) में फैलाकर बृक्षारोपण के लिए उपयोग किया जाएगा। बैच की कमाई 3 मीटर एवं बीड़ाई 3 मीटर है। खदान की संभावित आयु 43 वर्ष है। लीज थोक में क्रशर स्थापित किया जाएगा। जिसका क्षेत्रफल 2,700 वर्गमीटर है। जैक हेनर से डिलिङ एवं ब्लास्टिंग किया जाता है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काय किया जाता है। पर्यावर प्रस्तावित उत्त्वनन का विवरण निम्नानुसार है—

| वर्ष | प्रस्तावित उत्त्वनन (टन) |
|---------|--------------------------|
| प्रथम | 5,000 |
| द्वितीय | 5,000 |
| तृतीय | 5,000 |
| चतुर्थ | 5,000 |
| पंचम | 5,000 |
| छठम | 5,000 |
| साप्तम | 5,000 |

12. जल आपूर्ति - परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 4 घनमीटर प्रतिदिन होगी। खदान में विभिन्न छिड़काय (जल छिड़काय, बृक्षारोपण) हेतु जल की आपूर्ति आसपास रिक्त विक्षिप्त रुदानों में एकक्षित जल एवं पेयजल की आपूर्ति द्वय बैल से की जाएगी।

13. बृक्षारोपण कार्य - लीज थोक की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 800 नग बृक्षारोपण किया जाएगा।

14. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्थीकृति संबंधी विवरण—

- पूर्व में बृक्षारोपण कार्य का 131/1, 2, 432/1, 2, 3, 433/1 कुल क्षेत्रफल—196 हेक्टेयर, क्षमता—5,000 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्थीकृति पिला स्तरीय पर्यावरण समायास निधीरण प्राधिकरण, जिला-राजनामाय द्वारा दिनांक 09/03/2017 को जारी की गई। यह स्थीकृति दिनांक 31/03/2020 तक की अवधि हेतु जारी की गई।
- पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्थीकृति के रातों के पालन में की गई कार्रवाई की जानकारी प्रत्युत की गई है।
- वर्तमान में 200 नग बृक्षारोपण किया गया है। निर्धारित शर्तानुसार बृक्षारोपण नहीं किया गया है।
- विगत एवं में विए गए उत्त्वनन की वास्तविक मात्रा की पानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रत्युत नहीं की गई है।

15. खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्त्वनन - प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा कहाया गया कि लीज थोक के बारों और 7.5 मीटर की सीमा पट्टी का कुल क्षेत्रफल 4,368 घनमीटर थोक है। जिसमें से 510 घनमीटर थोक 6 मीटर (3,060 घनमीटर) की गहराई तक उत्थनित है। उपरोक्त उत्थनित थोक का 5 मीटर (2,550 घनमीटर) गहराई को पुनर्भव कर बृक्षारोपण का कार्य किया जाएगा। प्रतिवर्ष 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में उत्त्वनन किया जाना पर्यावरणीय स्थीकृति की रातों का उत्तमपन है। अतः परियोजना प्रस्तावक के विलक्ष नियमानुसार आवश्यक दण्डात्मक कार्यवाही किया जाना

आवश्यक है। जाथ ही धूपे गो उत्तमित क्षेत्र को पुनर्भव एवं रिजर्व की गणना कर सांखोचित अनुभीदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

16. उल्लेखनीय है कि भारत सरकार पर्यावरण एवं जलपायु परिवर्तन मंत्रालय नई डिल्टी द्वारा नीन उमेल माईनिंग शेजेकट्स हेतु मानक पर्यावरणीय शर्तें जारी की गई हैं। इसके अनुसार—

"The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

उक्त मानक शर्त के अनुसार माईन लीज क्षेत्र को अंदर 7.5 मीटर की ओपटी जोन में कृषारोपण किया जाना आवश्यक है।

17. समिति के संझान में यह तथ्य आया कि 7.5 मीटर की सीमा पट्टी (उत्थनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) में क्षात्र की स्थापना प्रस्तावित किया गया है। 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में योवल पृष्ठारोपण किया जाना है। अतः क्षात्र को 7.5 मीटर की सीमा पट्टी से ल्यातरित कर लीज क्षेत्र को अंदर स्थापित करने साथानुसार रियर्ज की पुनर्नियत गणना करते हुये सांखोचित अनुभीदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

18. कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) — परियोजना प्रस्तावक द्वारा दीई आर (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरान्त निम्नानुसार प्रस्तुत किया गया है—

| Capital Investment (in Lakh Rupees) | Percentage of Capital Investment to be Spent | Amount for CER Activities (in Lakh Rupees) | Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees) | |
|--|--|---|--|---|
| | | | Particulars | CER Fund Allocation (in Lakh Rupees) |
| 30 | 2% | 0.60 | Following activities at Government Primary School, Village- Banhardi | |
| | | | Rain Water Harvesting System | 0.35 |
| | | | Potable Drinking water Facility | 0.25 |
| | | | Total | 0.60 |

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था—

- विगत वर्षी में वर्षावार लिए गए उत्थनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी (वित्तीय वर्षी) खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए। साथ ही पृष्ठारोपण की अद्यतन रिपोर्ट की जानकारी कोटोड्यावत्त सहित प्रस्तुत की जाए।

2. लीज कीड मेसर्स महायोर कर्ट्रक्षन कंपनी के नाम पर हस्तांतरण किये जाने के संबंध में जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए।
3. बाहर की 7.5 मीटर की ओर पट्टी से स्थानित कर लीज कंच के अंदर स्थापित करे तदनुसार रिजर्व की पुनर्नियत गणना करते हुये संशोधित अनुमोदित माईमिंग प्लान प्रस्तुत किया जाए।
4. उपरी भिट्टी के रख-रखाव के संबंध में विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
5. प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी ओर पट्टी में अवैध उत्तरानन किया जाना पाये जाने पर परियोजना प्रस्तावक के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक दण्डालक कार्यवाही किये जाने हेतु सचालक, समिक्षक तथा अनिकर्म, इन्डोप्रेस भवन, नवा राष्ट्रपुर अटल नगर को आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु एक प्रेषित किया जाए।
6. शीईआर (Corporate Environment Responsibility) हेतु विस्तृत प्रस्ताव पूर्ण विवरण (प्रत्यादित रक्तुल का नाम, पता एवं कार्यवार खार्च का विवरण) कोटीचापन के साथ प्रस्तुत किया जाए।
7. परियोजना प्रस्तावक से उपरोक्त वाहित जानकारी प्राप्त होने पर आगामी कार्यवाही वर्ष जारी।

तदानुसार एसईएसी, उत्तीसगढ़ की 368वीं बैठक दिनांक 06/05/2021 के परिमेय से परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 22/05/2021 को प्रस्तुत किया गया है।

(ई) समिति की 379वीं बैठक दिनांक 19/06/2021:

समिति द्वारा नस्ती प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न सिद्धि पाई गई—

1. कार्यालय कलेक्टर (राजनीज शाखा), जिला-राजनांदगांव वो डापन क्रमांक 34/सालि.02/2021 राजनांदगांव दिनांक 12/05/2021 द्वारा दिए गए निम्नानुसार है—

| वर्ष | चत्पादन (टन) |
|---------|--------------|
| 2010-11 | 2,300 |
| 2011-12 | 2,110 |
| 2012-13 | 1,400 |
| 2013-14 | 3,254 |
| 2014-15 | 6,895 |
| 2015-16 | 10,268 |
| 2016-17 | 4,920 |
| 2017-18 | 5,000 |
| 2018-19 | 5,000 |
| 2019-20 | 4,995 |
| 2020-21 | 3,000 |

2. लीज कीड मेसर्स महायोर कर्ट्रक्षन कंपनी के नाम पर हस्तांतरण किये जाने के संबंध में जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है।



- क्रमांक 7.5 मीटर की सीमा पट्टी से स्थानांतरित कर लीज बोर के अंदर स्थापित करे, तदनुसार रिजर्व की पुनःशीक्षित गणना करते हुये संशोधित अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत नहीं किया गया है।
- उपरी मिट्टी के रख-रखाव के संबंध में विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया है।
- सीईआर (Corporate Environment Responsibility) हेतु विस्तृत प्रस्ताव पूर्ण दिवरण (प्रस्तावित स्कूल का नाम, पक्ष एवं कार्यवाह सर्वे का विवरण) कोटोरापक्ष के साथ प्रस्तुत नहीं किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि वरियोजना प्रस्तावक को सरल छमांक 2 से 5 तक की जानकारी / दस्तावेज विस्तृत जाने हेतु निर्दिष्ट किया जाए।

तदनुसार इसईएनी, छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 28/06/2021 के परिषेध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 11/01/2022 को प्रस्तुत किया गया है।

(उ) समिति की 385वीं बैठक दिनांक 24/01/2022:

समिति द्वारा भर्ती प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई—

- कार्यालय कलोकटर (यमि शाखा), जिला-राजनांदगांव के ज्ञापन छमांक 1107/ख.लि.02/2014 राजनांदगांव, दिनांक 08/10/2014 द्वारा लीज बोर का हस्तातरण मेसरी महारीर कंस्ट्रक्शन लोपनी के नाम पर किया गया है।
- क्रमांक 7.5 मीटर की सीमा पट्टी से स्थानांतरित कर लीज बोर के अंदर स्थापित करे तदनुसार रिजर्व की पुनःशीक्षित गणना करते हुये संशोधित अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत नहीं किया गया है।
- उपरी मिट्टी के रख-रखाव के संबंध में विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया है।
- सीईआर का विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया है। सीईआर का विस्तृत प्रस्ताव एवं प्रस्तावित स्कूल के प्राचार्य (Principal) का सहमति पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
- लीज बोर के घारी और प्रस्तावित 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में कुलारोपण हेतु पीछी का रोपण, फैसिंग, छाद एवं सिंचाई तथा रख-रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकावार व्यय का दिवरण विस्तृत प्रस्ताव जाहिर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा प्रियार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया—

- क्रमांक 7.6 मीटर की सीमा पट्टी से स्थानांतरित कर लीज बोर के अंदर स्थापित करे तदनुसार रिजर्व की पुनःशीक्षित गणना करते हुये संशोधित अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया जाए।
- उपरी मिट्टी के रख-रखाव के संबंध में विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

३. सीईआर का विस्तृत प्रस्ताव एवं प्रस्तावित स्थूल को प्राधार्य (Principal) का समर्पित पञ्च प्रस्तुत किया जाए।
४. सीएच लेव के चारों ओर प्रस्तावित ७.५ मीटर की सीमा पट्टी में दूकारीपण हेतु पौधों का नोपान, बुरुजा हेतु फैसिंग, खाद एवं लिंचाई तथा रख—रखाव के लिए ८ वर्षी का भट्टकावार याद का विवरण सहित प्रस्तुत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
५. उपरीकल वाहित जानकारी/ रक्तावेज प्राप्त होने उपरात आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावका को तदानुसार सूचित किया जाए।

ये उक्त याद ज्ञापन के साथ संपन्न हुई।

(कल्दिश तिकी)

सदस्य राजिय

राज्य सतरीय विहोषण मूल्यांकन रामिति
छत्तीसगढ़

(डॉ. बी.पी. नोंदार)

उपरात

राज्य सतरीय विहोषण मूल्यांकन रामिति
छत्तीसगढ़

गेसर्स श्री नरेन्द्र बतुवैदी लाइम स्टोन मार्फिन
को खासा क्रमांक 354, 491(पाट), 493, 494, 495, 497 एवं 498,
कुल लीज क्षेत्र 5.04 हेक्टेयर, ग्राम-गाँडपेण्डी, तहसील-पाटन, जिला-दुर्ग
में चूना पत्थर (गौण खनिज) उत्थनन - 60,000 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय
स्वीकृति में दी जाने वाली शर्तें

1. यह पर्यावरणीय स्वीकृति अधिकतम उत्थनन क्षेत्रफल (लीज क्षेत्र) 5.04 हेक्टेयर अथवा छत्तीसगढ़ शासन खनिज शासन दिभाग द्वारा स्वीकृत लीज क्षेत्र (दोनों में से जो कम हो) हेतु मान्य होगा। इसी प्रकार खदान से चूना पत्थर का अधिकतम उत्थनन 60,000 टन प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगा। लीज क्षेत्र की सीमाओं का सीमांचन कराकर पब्ले मुनारे लगाया जाए।
2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान से उत्थन जल एवं घरेलू दूषित जल (यदि कोई हो) के उपचार की उमित एवं पर्याप्त व्यवस्था किया जाए।
3. पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता भारत सरकार के पर्यावरण, बन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा पारी ईआईए. नोटिफिकेशन, 2008 (यथा संशोधित) के प्रावधानों के तहत रहेगी।
4. फ्लर्टर हेतु प्रस्तुत कीनन इन्हायरोमैटल मैनेजमेंट प्लान के अनुसार वृक्षारोपण एवं परिवहन साधकों एवं खदान से परिवहन साधक तक पहुंच मार्गों के संधारण का कार्य 6 माह में पूर्ण किया जाए।
5. फ्लर्टर हेतु तैयार ईआईए. रिपोर्ट में जिन रथलों पर भौमिकरिंग कार्य किया गया है, उक्त रथलों पर भैमसिक भौमिटरिंग कार्य (यायु जल तथा मिट्टी) किया जाए। भौमिटरिंग रिपोर्ट छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, अटल नगर, कोटीय कार्यालय पर्यावरण द्वारा पर्यावरण संरक्षण मण्डल, मिलाई-दुर्ग, एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ एवं एक्सीकूटीव एक्सीय कार्यालय, पर्यावरण, बन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर को त्रिमासिक (Quarterly Yearly) प्रेषित की जाए।
6. औद्योगिक प्रक्रिया एवं खदान से उत्थनन किसी भी प्रकार से दूषित जल को किसी नदी अथवा सतही जल झोतों में किसी भी परिस्थिति में निष्ठारित नहीं किया जाए। अपितु इसे प्रक्रिया ने अथवा वृक्षारोपण हेतु मुनाउपयोग किया जाए। परेतू दूषित जल को उपचार के लिए सेप्टिक टैक एवं सौकपीट की व्यवस्था भी जाए एवं जल को किसी नदी अथवा सतही जल झोतों में किसी भी परिस्थिति में निष्ठारित नहीं किया जाए। दूषित जल एवं वर्षात्मक जल तथा गुणवत्ता भारत सरकार, पर्यावरण, बन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानक अथवा छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा अधिसूचित मानक (जो भी कठोर हो) के अनुसार सुनिश्चित किया जाए।
7. अन्य पट्टा धारक खान संचालन बंद करने के उपरान्त (after ceasing mining operations) खनन क्षेत्र तथा किसी भी अन्य क्षेत्र जो कि उनकी खनन गतिविहारों के कारण प्रभावित (disturbed due to their mining activities) हुए हैं, उनकी री-ग्रासिंग (re-grassing) की जाएगी एवं भूमि का पुनर्व्यवस्थापना इस स्थिति तक किया जाएगा, जिससे यह चारा, बनस्पतियों, जीवों आदि के उत्पत्ति हेतु उपयुक्त हो। परियोजना प्रस्तावक द्वारा संक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित मार्फिन क्लोजर प्लान एक माह के भीतर प्रस्तुत किया जाए।

8. मूँ-जल के उपयोग हेतु केन्द्रीय मूँ-जल बोर्ड से उत्खनन आरम करने के पूर्व इनुभवी प्राप्त की जाए।
9. किसी छिन्नी / बेट / पाईट सोसे से पार्टिक्युलेट मेटर उत्खनन की भाग 50 मिलीमीटर / सामान्य छन्नीटर से ज्ञान सुनिश्चित किया जाए। क्षेत्र, स्कॉन, ट्रांसफर प्लाइट्स (यदि बोई हो) में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु डस्ट एक्सट्रैक्शन सिस्टम के साथ उच्च दक्षता का बेट किल्टर स्पष्टप्रति किया जाए। खनिज उत्खनन गतिविधियों के लिये लंबी से उत्पन्न फ्लूजिटिव डस्ट उत्खनन का नियंत्रण गमाती एवं नियमित रूप से किया जाए। पहुँच मार्ग, रैम, संचालन क्षेत्र, भराई एवं अन्य डस्ट उत्खनन डिन्कुओं डस्ट कॉटमेन्ट बम स्प्रेशन सिस्टम एवं जल छिपाकाव की व्यवस्था की जाकर हसका सतत संचालन / संधारण सुनिश्चित किया जाए। रिप्ल ड्रेसिंग बील का निर्माण सुनिश्चित किया जाए।
10. बाहनी, छन्नन एवं अन्य प्रक्रिया से उत्पन्न वायु प्रदूषण को पर्यावरण संखाण अधिनियम, 1986 एवं बायु (प्रदूषण नियारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के तहत लिनिटिव मानकों को अनुसृप रखा जाएगा। उत्खनन क्षेत्र में परिवेशीय वायु की गुणवत्ता भारत सरकार के पर्यावरण बम और जल वायु परिवर्तन संशोधन नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानकों से अधिक नहीं होनी चाहिए।
11. लौज क्षेत्र के चारों ओर छोड़ी गई 7.5 मीटर की ओरी पट्टी में कोई बेस्ट का उप / भण्डारण नहीं किया जाए तथा इस पट्टी में बुझारोपण किया जाए।
12. उत्खनन प्रक्रिया के दौरान हटाई गई ऊपरी मिट्टी (टीप लॉइल) का उपयोग उत्खनन हेतु उपयोग में न लगने याती भूमि के पुनरुद्धार हेतु अध्यया वाहरी औपरचर्चर्ड को लियर (रेट्रेटिलाइज) करने में किया जाए। जहाँ पर ऊपरी मिट्टी (टीप लॉइल) का उत्खनन प्रक्रिया की साथ-साथ (अनिक्टरेट्सी) उपयोग किया जाना संभव न हो, तब इसे पुष्टक से भण्डारित वार भविष्य में उपयोग हेतु रखा जाए।
13. औपरचर्चर्ड एवं अनुपयोगी/विकी अयोग्य खनिज (विस्ट रीक) को पुष्टक से पूर्व से दिनहीन रूपल पर भण्डारित किया जायेगा। इस प्रकार के भण्डारण स्थलों को उपयोग प्रकार से सुरक्षित रखी जाए ताकि भण्डारित पदार्थ आस-पास की भूमि पर विपरित प्रभाव म आल सके। डम्प की ऊंचाई 3 मीटर तथा लोप 28 डिग्री से अधिक न हो। औपरचर्चर्ड उम्प का क्षरण रोकने हेतु ऐड्जनिक तरीकों से बुझारोपण किया जाए।
14. जहाँ तक सम्भव हो औपरचर्चर्ड एवं अनुपयोगी/विकी अयोग्य खनिज (विस्ट रीक) को छन्नन के पश्चात बने गहड़ी में पुनर्भरण (वैक फिलिंग) हेतु उपयोग किया जाए ताकि भूमि का मूल उपयोग अध्यया वाहन एकलिपक उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।
15. परियोजना प्रकल्पक द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि खनन प्रक्रिया से उत्पन्न सिल्ट लौज क्षेत्र के आस-पास की सातही जल स्तोत्रों में प्रवाहित न हो। इसे रोकने हेतु भाईग लैट तथा डम्प क्षेत्र में रिट्रेनिंग चैल / गारलेण्ड ब्रेन की व्यवस्था की जाए।
16. खनिज का परिवहन मेकनेकली कल्डर वाहन से किया जाए ताकि खनिज वाहन से बाहर नहीं गिरे। खनिज का परिवहन कर रहे बाहनों को छन्ना से अधिक नहीं भरा जाना सुनिश्चित किया जाए।
17. सीईआर (Corporate Environment Responsibility) हेतु भिमामुसार ड्रलाव पर कार्य पर्यावरण प्रबलम योजना की अंतर्गत किया जाए।

Bhushan

| Capital Investment (in Lakh Rupees) | Percentage of Capital Investment to be Spent | Amount for CER Activities (in Lakh Rupees) | Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees) | |
|-------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------|
| | | | Particulars | CER Fund Allocation (in Lakh Rupees) |
| 115 | 2% | 2.30 | Following activities at nearby Government High Schools, Village-Gondpendri | |
| | | | Rain Water Harvesting System | 1.00 |
| | | | Solar Panel with light facility | 0.60 |
| | | | Potable Drinking water Facility | 0.20 |
| | | | Running water facility for Toilets | 0.20 |
| | | | Plantation | 0.30 |
| | | | Total | 2.50 |

18. सीईआर के तहत निर्धारित कार्रवाई 03 माह में अनियावृत रूप से पूर्ण किया जाए।
19. उत्तराखण्ड हेतु निषिद्ध क्षेत्र (सारी तारफ 75 मीटर गौँड़ा क्षेत्र), हील रोड, औदरबड़म हम्म आदि में स्थानीय प्रजातियों के 2,000 पूँछों का राघन बृक्षारोपण किया जाए। हरित मट्टी का विकास केन्द्रीय प्रदूषण खोढ़ की भागवदिशिका के अनुसार किया जाए।
20. प्राथमिकता के आधार पर खदान प्रबंधन द्वारा वर्ष 2022–23 में कम से कम 200 नग प्रति हेक्टेयर लीज क्षेत्र के अनुसार बड़, पीपल, नीम, करंज, सीसू, आम, इमली, अर्जुन, सीरस आदि अन्य स्थानीय प्रजातियों के 1,000 पौधों का रोपण खदान के खुले क्षेत्र में किया जाए। रोपण को सुरक्षित रखने के लिये उपयुक्त एवं पर्याप्त व्यवस्था (यथा कांटेदार तार के बाल अथवा द्री गाढ़ का उपयोग) किया जाए। स्थल लगाव नहीं होने की दशा में संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा चिन्हित क्षेत्र में उपरोक्तानुसार बृक्षारोपण किया जाए। उपरोक्त बृक्षारोपण प्रथम वर्ष में पूर्ण किया जाए।
21. बृक्षारोपण का रख-रखाय आगामी 5 वर्ष तक सुनिश्चित करते हुए भूत पीड़ी को प्रतिस्थापित (Mortality replacement) किया जाए।
22. हिये गये बृक्षारोपण की पुष्टी हेतु डीजीपीएस (Differential Global Positioning System) सही एवं फोटोग्राफर अधेनार्किक रिपोर्ट में समाहित करते हुये छत्तीसगढ़ पर्यावरण संस्कारण मण्डल एवं एसईआईएए, छत्तीसगढ़ को प्रेक्षित किया जाए।
23. परियोजना प्रस्तावक द्वारा घनि प्रदूषण के नियन्त्रण हेतु आवश्यक उपाय किया जाए। घनि का स्तर उत्तराखण्ड क्षेत्र में दिन के समय 75 DB(A) एवं रात्रि के समय 70 DB(A) से अधिक नहीं होना चाहिए। तीव्र घनि बाले क्षेत्रों में काम करने वाले शमिकों को इयरफ्लू/मफ आदि प्रदान किए जाएं एवं समय-समय पर घिकिस्तकीय जांच एवं आवश्यकता अनुसार उनका उपचार भी कराया जाए।

24. सदाम प्राधिकारी / दौजी एम.एस. से अनुमति उपरात सुसिंह एवं नियन्त्रित विहि से ब्लास्टिंग किया जाए। पल्भर के छोटे-छोटे टुकड़ों (प्रलाई टीक्स) को उड़ाने से रोकने हेतु पर्याप्त एवं सदाम व्यवस्था किया जाए। वेट ड्रिलिंग अध्यया यायु प्रदूषण नियन्त्रण व्यवस्था आधारित ड्रिलिंग किया जाए, जिससे डबट का चलनार्थी नियन्त्रण में रहे।
25. उत्खनन प्रक्रिया भू-जल स्तर के उपर असंतुष्ट प्रभाग में की जाएगी एवं उत्खनन प्रक्रिया भू-जल स्तर के नीचे किसी भी परिवर्णन में नहीं किया जाए।
26. उत्खनन की प्रक्रिया इस प्रकार सुनिश्चित की जाए कि धनत्यतियों एवं जीव-जन्तुओं पर कम से कम दुष्प्रभाव हो।
27. परियोजना प्रस्तावक द्वारा गीण खनिज का उत्खनन छत्तीसगढ़ गीण खनिज नियम 2015 के प्रावधानी अनुमोदित उत्खनन योजना एवं पर्यावरणीय प्रबंधन योजना के अनुसार किया जाए। मार्च 1952 के प्रावधानी का पालन किया जाए।
28. कार्य रूपल पर बढ़िये अभिक कार्य पर लगाये जाते हैं तो ऐसे अभिकों के अवास हेतु उचित व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाएगी। आवासीय व्यवस्था अस्थायी संरक्षनाओं के रूप में ही सकती है, जिसे परियोजना पूरी होने के पश्चात हटाया जा सके।
29. अभिकों के हिए खनन रूपल पर लगाए विकित्सकीय सुषिठा, भोवाइल टायलेट आदि की व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाए।
30. अभिकों का समय-समय पर आवश्युपेशनात हेतु सर्विलेस करना आवश्यक है।
31. उत्खनन की सकारी, कार्य को एवं अनुमोदित उत्खनन योजना के अनुरूप व्यापिक योजना, जिसमें उत्खनन, खनिज की मात्रा एवं उपशिष्ट सम्मिलित है, में किसी भी प्रकार का परिवर्तन एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ / पर्यावरण बन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूरी अनुमति के बिना नहीं किया जाए।
32. इस पर्यावरणीय स्वीकृति को जारी करने का आशय किसी व्यक्तिगत अध्यया अन्य सम्पत्ति पर अधिकार दर्शाने का नहीं है एवं न ही यह पर्यावरणीय स्वीकृति किसी निती राम्पति को नुकसान पहुंचाने अथवा व्यक्तिगत व्यक्तिकारी के अतिक्रमण अथवा फैन्द, राज्य एवं स्थानीय वरनुमान / विधियों के उल्लंघन हेतु अतिकृत करता है।
33. एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से, परियोजना की रूपरेखा में परिवर्तन असता विभिन्न रूपों की संतोषप्रद रूप से पालन न करने की दशा में विनी भी राती में संसाधन / निरस्त करने अथवा नई राती जोड़ने अथवा उत्सर्जन / निरस्त की नामकों को और उत्खन करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
34. परियोजना प्रस्तावक न्यूनतम 2 स्थानीय समाचार पत्रों में, जो कि परियोजना को आस-पास व्यापक रूप से प्रसारित हो, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर इस आशय की सूचना प्रसारित करेगा कि परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है एवं पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र की प्रतियों वाचिकालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल में अपलोकन हेतु उपलब्ध है। याद ही इसका अपलोकन एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ की वेबसाइट www.seiaacg.org पर भी किया जा सकता है।
35. पर्यावरणीय स्वीकृति ने दी गई राती की पालन हेतु की गई कार्यवाही की अवधि वापिक रिपोर्ट छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, अटल नगर, कोटीय कार्यालय छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, जिलाई-दुर्ग, एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ एवं एकीकृत कोटीय कार्यालय, पर्यावरण, बन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, साधपुर को प्रेषित किया जाए।

36. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में प्रदत्त शर्तों के पालन की मौनिटरिंग की जाएगी। इस हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा समय-समय पर प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों एवं आवेदन का पूर्ण सेट एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर को प्रेसित किया जाए।
37. एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार / एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर / केन्द्रीय प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड / छत्तीसगढ़ पर्यावरण संबंध मण्डल के वैज्ञानिकों/अधिकारियों को शर्तों के अनुपालन के संबंध में उपीजानी भौमिटरिंग हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाए।
38. परियोजना प्रस्तावक छत्तीसगढ़ पर्यावरण संबंध मण्डल एवं सरकार द्वारा दी गई शर्तों का अनिवार्य काप से पालन करेगा। ये शर्तें जल (प्रदूषण नियन्त्रण तथा नियन्त्रण) अधिनियम, 1974 द्वारा (प्रदूषण नियन्त्रण तथा नियन्त्रण) अधिनियम, 1981, पर्यावरण (सरकार) अधिनियम, 1986 तथा इनके तहत बनाये गये नियमों परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबंध एवं सीमापार संबंध) नियम, 2016 तथा लोक दायित्व सीमा अधिनियम, 1991 (यथा सहीवित) के अधीन प्रिमिटिव की जा सकती है।
39. प्रस्तावित परियोजना के बारे में एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ में प्रस्तुत फिल्म ने कोई नी विवलन अथवा परिवर्तन होने की दशा में एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ को पुनर्नवीन जानकारी सहित सुधित किया जाए, ताकि एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ इस परिवार कर शर्तों की उपयुक्तता अथवा नवीन शर्ते निर्दिष्ट करने वालत गिरीय ले सके। सदान में कोई भी विस्तार अथवा उन्नयन एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ / पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्ण अनुमति के बिना नहीं किया जाए।
40. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संबंध मण्डल पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति को उनके क्षेत्रीय कार्यालय, पिला-व्यापार एवं उद्योग केन्द्र एवं कलेक्टर/ राहसीलदार कार्यालय में 30 दिनों की अवधि को सिए प्रवर्शित करेगा।
41. पर्यावरणीय स्वीकृति के विकल्प अपील मेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल की समझ, नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल एकट 2010 की धारा 16 में दिए गए प्राक्षयानों अनुसार, 30 दिन की समय अवधि में की जा सकती।


सदस्य सचिव, एस.ई.ए.सी.


अधिकारी, एस.ई.ए.सी.

**मेरसर्स प्रटीलीह विकास अर्थ कले क्षारी एण्ड फिक्स विमनी लिंक प्लॉट
(प्र) - श्रीगती सुमन देवरानी)**

को खदान क्रमांक 529, 531, 533, 545/4 एवं 545/5, याम-प्रटीलीह, चाहसील-डगरा, जिला-जांजगीर-चांपा, कुल लीज क्षेत्र 1,149 हेक्टेयर, मिट्टी उत्खनन (गौण स्थनिज) क्षमता - 900 घनमीटर (ईट उत्पादन इकाई 9,00,000 नम) प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरण स्वीकृति में दी जाने वाली शर्त

1. यदि खदान खनिज विभाग द्वारा अधिसूचित विसी प्लॉटर में है, तो पर्यावरण स्वीकृति नाम्य नहीं होगी।
2. उत्खनन क्षेत्र 1,149 हेक्टेयर से अधिक नहीं होगा। इसी प्रकार खदान से अधिकतम मिट्टी उत्खनन (गौण स्थनिज) क्षमता - 900 घनमीटर (ईट उत्पादन इकाई 9,00,000 नम) प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगा। लीज क्षेत्र की सीमाओं का सीमांकन करकर पहले मुनारे लगाया जाए।
3. पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता भारत सरकार के पर्यावरण, बन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा जारी ईआईए नोटिफिकेशन, 2006 (यथा संशोधित) के प्रावधानों के तहत रहेगी।
4. भारत सरकार, पर्यावरण, बन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा जारी और दिनांक 24/06/2013 के अनुसार किसी सिद्धिल रद्दूकचर से कम से कम 15 मीटर की दूरी स्थोलकर उत्खनन क्षेत्र की परिस्थि सुनिश्चित किया जाए। किसी विमनी से जारी तरफ उत्खनन क्षेत्र की सीमा कम से कम 15 मीटर दूर सुनिश्चित किया जाए। भारत सरकार, पर्यावरण, बन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा जारी और दिनांक 24/06/2013 में मिट्टी उत्खनन हेतु निश्चित गाईड-लाइन का पालन सुनिश्चित किया जाए।
5. उत्खनन की अधिकतम गहराई 2 मीटर से अधिक नहीं होती। उत्खनन प्रक्रिया भू-जल सतर पर उपर असाधुपा प्रभाग ने की जाएगी एवं उत्खनन प्रक्रिया भू-जल सतर के नीचे किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जाए।
6. खदान से उत्पन्न जल एवं धरेलू दूषित जल (यदि कोई हो), के उपचार की उपित्त एवं पर्याप्त व्यवस्था किया जाए। औद्योगिक प्रक्रिया एवं खदान से उत्पन्न किसी भी प्रकार से दूषित जल को किसी नदी अथवा सतही जल रसोतों में किसी भी परिस्थिति में नियसारित नहीं किया जाए। अपितृ द्वारे प्रक्रिया में अथवा युक्तारोपण हेतु दुनःखालीय किया जाए। धरेलू दूषित जल के उपचार के लिये रीप्रिक टैक एवं सोकपीट की व्यवस्था किया जाए। एवं किसी नदी अथवा सतही जल रसोतों में किसी भी परिस्थिति में नियसारित नहीं किया जाए। दूषित जल एवं दार्ढितु जल अपचार में न मिलने देने हेतु भी व्यवस्था की जाए। उपचारित दूषित जल की गुणवत्ता भारत सरकार, पर्यावरण, बन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा अधिसूचित मानक अथवा अन्तीसमाप्त पर्यावरण संस्थान महल द्वारा अधिसूचित मानक (जो भी कठोर हो) के अनुसार सुनिश्चित किया जाए।
7. भू-जल के उपचार हेतु केंद्रीय भू-जल बोर्ड से उत्खनन आरंभ करने के पूर्व अनुमति प्राप्त किया जाए। (यदि आवश्यक हो)

8. ईट उत्पादन हेतु पिंगलूड चिमनी आधारित ईट भट्टे की उत्पादन किया जाए। ईट भट्टे की चिमनी से पार्टीकुलर मेटर उत्पादन की मात्रा एवं चिमनी की कार्गाई भारत सरकार पर्यावरण, बन और जलवायु परिवर्तन, मज़ालय द्वारा निर्धारित मानक अनुसार सुनिश्चित किया जाए। खानिज उत्पादन के विभिन्न रूपों से उत्पन्न फलूजिटिव डस्ट उत्पादन का नियंत्रण प्रभावी एवं नियमित रूप से किया जाए। पहुंच मार्ग, रेस्प, संप्रहरण क्षेत्र, भराई एवं अन्य डस्ट उत्पादन विनियोगों पर जल छिह्नकार्य की व्यवस्था किया जाकर इसका सातत संचालन / संचारण सुनिश्चित किया जाए।
9. ईट निर्माण में पलाई ऐश का उपयोग भारत सरकार पर्यावरण, बन और जलवायु परिवर्तन, मज़ालय द्वारा समय—समय पर जारी दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाए।
10. याहाँ एवं अन्य प्रक्रिया से उत्पन्न गायु प्रदूषण की पर्यावरण संख्यण अधिनियम, 1986 एवं यायु (प्रदूषण नियंत्रण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के तहत विभिन्न भानकों (जो भी कठोर हों) के अनुसार रखा जाएगा। उत्पादन क्षेत्र में परिवेशीय वायु की गुणवत्ता भारत सरकार पर्यावरण, बन और जलवायु परिवर्तन, मज़ालय द्वारा अधिसूचित मानकों से अधिक नहीं होनी चाहिये।
11. ईट निर्माण में ताप विद्युत संयन्त्रों से उत्पन्न राख का उपयोग भारत सरकार पर्यावरण, बन और जलवायु परिवर्तन, मज़ालय द्वारा पलाई ऐश का उपयोग हेतु जारी अधिसूचना के प्रावधानों के अनुसार किया जाए। ईट भट्टे से उत्पन्न राख का पुनरुपयोग ईट निर्माण में किया जाए। ठोस अपशिष्ट के रूप में उत्पन्न ईट के दुकानों आदि को भू—भरण हेतु उपयोग किया जाए।
12. उत्पादन के दौरान हटाई गई उपरी मिट्टी (टीप रीफ्ल) का उपयोग ईट निर्माण में संघर्षक्त नहीं होने पर उत्पादन हेतु उपयोग में नहीं आने याती भूमि के मूल उद्धार हेतु अथवा बाहरी ओवरबर्डन को स्थिर (स्टेपिलाइज) करने में किया जाए। जहां पर उपरी मिट्टी (टीप रीफ्ल) को रानन प्रक्रिया के साथ—साथ (कॉनकरेटली) उपयोग किया जाना संभव न हो, ताव इसे पृष्ठक से भण्डारित कर भविष्य में उपयोग हेतु रखा जाए।
13. ओवरबर्डन एवं अनुपयोगी मिट्टी को उचित प्रकार से सुरक्षित रखा जाए ताकि भण्डारित पदार्थ आस—पास की भूमि पर विपरित प्रभाव न ढाल सके एवं खनन के पश्चात यसे गड्ढों में पुनर्गरण (डैक फिलिंग) हेतु भूमि का मूल उपयोग अथवा वाचित वैकल्पिक उपयोग सुनिश्चित किया जा सके। भण्डारित ढम्प की ऊंचाई 03 मीटर तक सर्वोप 45 डिग्री से अधिक न हो। ओवरबर्डन ढम्प का क्षरण रोकने हेतु वैज्ञानिक तरीके से घुआरोपण किया जाए।
14. परिवहन प्रस्तावक द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि रानन प्रक्रिया से उत्पन्न सिल्ट लीज क्षेत्र के आस—पास के सातही जल रूपों में प्रवाहित न हो। इसे रोकने हेतु माईन पीट, ढम्प क्षेत्र, ईट भट्टा क्षेत्र में रिटेमिंग गौल / गारलेष्ड ड्रेन की व्यवस्था की जाए।
15. मिट्टी एवं ईट का परिवहन तारपोलिन अथवा अन्य उपयुक्त माध्यम से ढके लूपे बाहन से किया जाए, ताकि मिट्टी अथवा ईट बाहन से बाहर नहीं गिरे। खनिज

का परिषेदन कर रहे वाहनों को दृगता से अधिक नहीं भरा जाना सुनिश्चित किया जाए।

16. सीईआर (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव पर कार्यव्यवस्था प्रबंधन योजना को अलगाव किया जाए—

| Capital Investment (in Lakh Rupees) | Percentage of Capital Investment to be Spent | Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees) | Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees) | |
|--|--|--|--|---|
| | | | Particulars | CER Fund Allocation (in Lakh Rupees) |
| 36 | 2% | 0.72 | Following activities at Government Janpad Primary School, Village- Putidih | |
| | | | Rain Water Harvesting System | 0.60 |
| | | | Portable Drinking Water facility | 0.20 |
| | | | Total | 0.80 |

17. सीईआर को तहस प्रस्तावित समूल के प्राचार्य (Principal) का सहनिति पर एक माह के भीतर प्रस्तुत किया जाए। सीईआर के तहस निर्धारित कार्यवाही 03 माह में अनियाव संप से पूर्ण किया जाए।

18. परियोजना प्रस्तावक द्वारा संख्यनन हेतु विविध लोक (यारी तदण 01 मीटिं बोडी ट्रैनिंग), गोल रोड औद्योगिक इम्प आदि में स्थानीय प्रजाति के 379 युवाओं का संघन वृक्षारोपण किया जाए। हरित पट्टी का विकास केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण योर्ड की मार्गदर्शिका के अनुसार किया जाए।

19. प्राथमिकता के आधार पर खदान प्रबंधन द्वारा वर्ष 2022-23 में कम से कम 200 पौधे प्रति हेक्टेयर लीज लोक के अनुसार बह, पीपल, नीम, करंज, सीसू, आम, इमली, अर्जुन, सीरस आदि अन्य स्थानीय प्रजातियों के 300 पौधों का रोपण खदान के ल्युले होके में किया जाए। रोपण को सुरक्षित रखने के लिये उपयुक्त एवं पर्याप्त व्यवस्था (यथा कनटेनर तार के बाड बथवा ट्री गाढ़ का उपयोग) किया जाए। रथल उपलब्ध नहीं होने की दशा में संबंधित आम पंचायत द्वारा विन्हीन होके में उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण किया जाए। उपरोक्त वृक्षारोपण प्रबंधन वर्ष में पूर्ण किया जाए। वृक्षारोपण नहीं करने पर यारी पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त की जा सकती है।

20. वृक्षारोपण का रस-स्थाव आमामी 5 वर्ष तक सुनिश्चित करते हुये मृत पौधों को प्रतिस्थापित (Mortality replacement) किया जाए।

21. किये गये वृक्षारोपण की पुष्टी हेतु डी.जी.पी.एस. (Differential Global Positioning System) सही एवं फोटोग्राफ्स आर्किविक रिपोर्ट में समाहित करते हुये छत्तीसगढ़ पर्यावरण संस्करण मण्डल एवं राज्य सतरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।

22. संख्यनन दोत्र में प्रयोग प्रदूषण न हो, यह सुनिश्चित किया जाए।



23. उत्थान तो प्रक्रिया इस प्रकार सुनिश्चित बीजाए कि वनस्पतियों एवं जीव-जन्मुओं पर कम से कम दुष्प्रभाव हो।
24. मिट्टी उत्थानन छत्तीसगढ़ गोण खनिज नियम 2015 के प्राक्कानी, अनुमोदित उत्थानन योजना एवं पर्यावरणीय प्रस्तावन के अनुसार किया जाए।
25. कार्य स्थल पर यदि केंद्रिय भूमिका कार्य पर समर्थ होती है तो ऐसी भूमिकों की आवास उथित व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाएगी। आवासीय व्यवस्था अस्थायी संरचनाओं के रूप में हो सकती है, जिसे परियोजना पूरी होने के पश्चात हटाया जा सके।
26. भूमिकों के लिए खगन स्थल पर स्थान परियोजना विफिलावीय सुरक्षा, गोबाहल दायरेट आदि की व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाए।
27. भूमिकों का समय-समय पर आमयूपेशनल हेल्पर सर्विलेस करना आवश्यक है।
28. इस पर्यावरणीय स्वीकृति को प्राप्त करने का आशय किसी व्यक्तिगत अधिकारी अन्य सम्पत्ति पर अधिकार देनाने का नहीं है एवं यह पर्यावरणीय स्वीकृति किसी नियी सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाने अथवा व्यक्तिगत अधिकारी के अधिकामण अथवा बैन्ड, समय एवं रक्षानीय करनुना / पिधियों के उल्लंघन हेतु अधिकृत करता है।
29. उत्थानन की तकनीक, कार्य क्षेत्र एवं अनुमोदित उत्थानन योजना के अनुलग वार्ता योजना, जिसमें मिट्टी उत्थानन समिलित है, में किसी भी प्रकार का परिवर्तन एस ई आई ए ए. छत्तीसगढ़ / पर्यावरण, या एवं जलवायु परिवर्तन मंजालय, भारत सरकार की पूर्ण अनुमति के बिना नहीं किया जाए।
30. एस ई आई ए ए. छत्तीसगढ़ पर्यावरण राज्याण की दृष्टि से, परियोजना की व्यवस्था में परिवर्तन अथवा विविदिष्ट शर्तों के संतोषप्रद सम सौ यालन न करने की दशा में किसी भी शर्त में संशोधन / नियस्त करने अथवा नई शर्त जोकुने अथवा उत्थानन / नियस्त के मानकों को और सख्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
31. परियोजना प्रस्तावक न्यूनतम 02 स्थानीय समाचार पत्रों में जो कि परियोजना क्षेत्र के जास-पारा व्यापक स्थल से प्रसारित हो, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के 07 दिनों के भीतर इस आशय की सूचना प्रसारित करेगा कि परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है एवं पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र की प्रतियोगी संविदालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण सरकार, मण्डल में अपलोकन हेतु उपलब्ध है। इसका अपलोकन भारत सरकार, पर्यावरण, या और जलवायु परिवर्तन, मंजालय की वेबसाइट www.envfor.nic.in एवं एस ई आई ए ए. छत्तीसगढ़ की वेबसाइट www.seiaacg.org पर भी किया जा सकता है।
32. पर्यावरणीय र्तीकृति में दी गई शर्तों के पालन हेतु की गई कार्यवाही की अद्यार्थिक रिपोर्ट छत्तीसगढ़ पर्यावरण संस्कारण मण्डल, अटल नगर, क्षेत्रीय कार्यालय छत्तीसगढ़ पर्यावरण संस्कारण मण्डल, बिलासपुर, एस ई आई ए ए. छत्तीसगढ़ एवं एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, या एवं जलवायु परिवर्तन मंजालय, दायपुर को प्रेषित किया जाए।
33. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, या एवं जलवायु परिवर्तन मंजालय, भारत सरकार, दायपुर द्वारा पर्यावरणीय र्तीकृति में प्रदत्त शर्तों के पालन की मानिटरिंग की जाएगी। इस हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा समय-समय पर प्रस्तुत किये जाये।

दस्तावेजों एवं आधेदन का पूर्ण सेट एकीकृत होशीय कार्यालय पर्यावरण, यन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर को प्रेषित किया जाए।

34. एस.इ.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ पर्यावरण, यन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार/ एकीकृत होशीय कार्यालय पर्यावरण, यन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर/ केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/ छत्तीसगढ़ पर्यावरण सरकार भण्डल को रीड्यामिको/ अधिकारियों को शही के अनुपातम् को संक्ष प में की जाने वाली नीनिटरिंग हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाए।
35. परियोजना प्रस्तावका छत्तीसगढ़ पर्यावरण संस्करण भण्डल एवं सरकार द्वारा दी गई शही का अनिवार्य संपर्क से पालन करेगा। ये शही जल (प्रदूषण नियारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974, वायु (प्रदूषण नियारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981, पर्यावरण (सरकार) अधिनियम, 1986 तथा इसके लहल बनाये गये नियमों परिसंकटनय और अन्य अपरिष्ट (प्रबंध एवं सीमापार संघरण) नियम 2016 तथा लोक दायित्व वीमा अधिनियम, 1991 (व्यावसायिक) के अधीन प्रिनिर्दिष्ट की जा सकती है।
36. प्रस्तावित परियोजना के बारे में एस.इ.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ ने प्रस्तुत विवरण में कोई भी विवलन अध्या परिवर्तन होने की दशा में एस.इ.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को पुनः नवीन जानकारी दाहिल सूचित किया जाए, ताकि एस.इ.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ इस पर विचार कर शही की उपयुक्तता अध्या नवीन शही गिरिष्ट करने साब्दत मिशेंग ते सके। खदान में कोई भी विचार अध्या उन्नयन एस.इ.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ / पर्यावरण, यन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।
37. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण भण्डल पर्यावरणीय स्थीकृति की प्रति को उनके होशीय कार्यालय, जिला-व्यापार एवं उद्योग छेन्ड एवं कलेक्टर/ तहसीलदार कार्यालय में दिवस की अवधि के लिये प्रदर्शित करेगा।
38. पर्यावरणीय स्थीकृति के विलद अपील नेशनल वीन ट्रीब्यूनल को समझ, नेशनल वीन ट्रीब्यूनल एवं 2010 की धारा 16 में दिये गये प्राक्कानां अनुसार, 30 दिन की समय अवधि में की जा सकेगी।


सांसद्य राजिव, एस.इ.ए.सी.


—आयुष, एस.इ.ए.सी.